वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

NSIL
एनसिल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई)

भारत का अग्रणी अंतरिक्ष व्यवसाय

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के तहत केन्द्रीय सार्वजनिकक्षेत्र का उद्यम (सी.पी.एस.ई.)

06वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	4
अध्यक्ष का भाषण	5
मूल्यों, दूरदर्शिता एवं ध्येय की आपूर्ति	6
कार्पोरेट सूचना	7
संवैधानिक रिपोर्ट:	
निदेशक रिपोर्ट	9
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	21
कार्पोरेट शासन रिपोर्ट	24
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाण-पत्र	31
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा	32
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	33
कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र	36
वित्तीय विवरण:	
स्वतंत्र लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट	40
भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विरणों पर टिप्पणियाँ	52
सी व एजी के टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर	55
31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन पत्र	59
31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ और हानि का विवरण	61
इक्विटी परिवर्तन विवरण	62
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण	64
वित्तीय विवरण के नोट	66
31.03.2025 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले नोट्स	78

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के सदस्य कंपनी के व्यापार और प्रचालन का प्रबंधन करते हैं। निदेशक मंडल में अभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक और तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं।

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री एम मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री ए अरुणाचलम
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

श्री ए राधा कृष्णा
निदेशक (वित्त)

गैर-कार्यकारी निदेशक

डॉ शंकरी मुरली

डॉ लूथर एम सिंह

डॉ विवेक कुमार सिंह

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरहोल्डर्स,

मुझे आपके सम्मुख 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अध्यक्ष वक्तव्य प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। कंपनी ने अपनी नींव को सुदृढ बनाया है और अंतरिक्ष उद्योग में एक गतिशील वाणिज्यिक संगठन के रूप में साल दर साल बढ़ रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए उल्लेखनीय रहा है जिसमें कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जैसे फ्लोरिडा, यूएसए से स्पेसएक्स के फाल्कन-9 पर जीसैट-एन2 संचार उपग्रह का सफल प्रमोचन; तीसरे मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन9 जीसैट-एन3, सरकारी प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च शक्ति मल्टीबीम एस बैंड उपग्रह को साकार करने की दिशा में प्रगति; एचएएल और एलएंडटी कंसोर्टियम के माध्यम से 5 पीएसएलवी-एक्सएल यानों को साकार करने की दिशा में प्रगति, सरकारी प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 15 एसएसएलवी प्रमोचन; एक समर्पित प्रमोचन के रूप में पीएसएलवी-सी59 यान पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के प्रोबा-3 उपग्रह का सफल प्रमोचन; भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए पीएसएलवी, एलवीएम3 और एसएसएलवी समर्पित मिशनों के लिए प्रमोचन सेवा समझौते पर सफल हस्ताक्षर; मछली पकड़ने वाले जहाजों में लगभग 35,000 समुद्री उपग्रह सेवा टर्मिनलों की सफल स्थापना, "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के अंतर्गत पोत संचार और सहायता प्रणाली के लिए अखिल भारतीय सैटकॉम नेटवर्क की स्थापना; एनएसआईएल के 15 संचार उपग्रहों के बेड़े से उपग्रह आधारित सेवाएँ सफलतापूर्वक प्रदान करना।

कंपनी उद्यम विभाग द्वारा जारी विभिन्न विधियों और दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एनएसआईएल को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त है और निगरानी लेखा परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की गई है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हस्तक्षेपों के साथ 12.72 करोड़ रुपये का योगदान देकर अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करना जारी रखा।

एनएसआईएल की ओर से, मैं कंपनी की सफलता में उनके अमूल्य योगदान के लिए सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसआईएल आने वाले वर्षों में सभी हितधारकों को मूल्यवान सेवाएँ प्रदान करता रहेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

धन्यवाद,

हार्दिक शुभकामनाएं,

एम मोहन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलूरु

नोट: यह 6वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है

दूरदर्शिता

"भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक ग्राहकों तक पहुंचाने में उत्कृष्टता प्राप्त करना तथा तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में भारतीय उद्योग के विकास को और अधिक प्रोत्साहित करना।"

मिशन

"प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार को बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, उभरते वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार की जरूरतों को पूरा करना, विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए उपग्रह सेवाएं प्रदान करना और उद्योग अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानवजाति के कल्याण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पिन-ऑफ को सक्षम बनाना।"

कॉर्पोरेट सूचना

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

निदेशक मंडल

श्री मोहन एम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.09.2025 से)

श्री अरुणाचलम ए, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) (01.08.2021 से)

श्री राधा कृष्णा ए, निदेशक (वित्त) (06.05.2024 से)

डॉ लूथर एम रंगरेजी, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय (05.08.2025 से)

डॉ शंकरी मुरली, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग (03.06.2025 से)

डॉ विवेक कुमार सिंह, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग (27.01.2025 से)

श्री राधाकृष्णा डी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (30.06.2025 तक)

श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि), विदेश मंत्रालय (05.08.2025 तक)

डॉ सुब्रमण्यम एम, संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अंवि (03.06.2025 तक)

श्री सुरेन्द्र मेहरा, सलाहकार, नीति आयोग (27.01.2025 तक)

प्रबंधन समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री मोहन एम (01.09.2025 से)
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	श्री अरुणाचलम ए (01.08.2021 से)
निदेशक (वित्त)	श्री राधा कृष्णा ए (06.05.2024 से)
कंपनी सचिव	श्रीमती षण्मुगा प्रिया (10.03.2023 से)

बोर्ड की समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति

डॉ लूथर एम रंगरेजी	- अध्यक्ष
डॉ शंकरी मुरली	- सदस्य
डॉ विवेक कुमार सिंह	- सदस्य
श्री अरुणाचलम ए	- सदस्य

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

डॉ विवेक कुमार सिंह	- अध्यक्ष
डॉ लूथर रंगरेजी	- सदस्य
डॉ शंकरी मुरली	- सदस्य

सीएसआर एवं एसडी समिति

डॉ शंकरी मुरली	-	अध्यक्ष
डॉ लूथर रंगरेजी	-	सदस्य
डॉ विवेक कुमार सिंह	-	सदस्य
श्री अरुणाचलम ए	-	सदस्य

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक,
डॉलर कालोनी शाखा,
न्यू बीईएल रोड,
बेंगलूरु-560 054

आईसीआईसीआई बैंक,
8वां मेन,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु-560 055

पंजीकृत कार्यालय

इसरो मु. परिसर
न्यूबीईएल रोड
बेंगलूरु-560 094

कार्पोरेट कार्यालय:

11वीं मंज़िल, ब्रिगेड रूबिक्स
20, वॉच फ़ैक्टरी रोड
फ़ेज़-1, यशवंतपुर
बेंगलूरु-560013

लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक

आर. बी. भुसारी एंड कंपनी
तीसरी मंजिल, कपीश हाउस,
माता मंदिर रोड,
पुनीत सुपर बाजार के सामने,
खरे टाउन, धरमपेठ
नागपुर-440 010
महाराष्ट्र

लागत लेखा परीक्षक

मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी
8, प्रथम तल, चतुर्थ मुख्य मार्ग,
रामेश्वर मंदिर के पीछे,
चामराजपेट,
बेंगलूरु-560 018
कर्नाटक

आंतरिक लेखा परीक्षक

राव और एम्मार
#204 और 205, द्वितीय तल, रमणश्री आर्केड,
एमजी रोड, ट्रिनिटी सर्कल,
बेंगलूरु-560 001
कर्नाटक

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

निदेशकों को कंपनी के "व्यवसाय और प्रचालन" पर 06वीं निदेशक रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी व एजी) द्वारा लेखों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रमुख विशेषताएँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 कंपनी के लिए व्यवसाय और राजस्व की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। वर्ष 2024-25 के दौरान एनएसआईएल की व्यावसायिक उपलब्धियों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- **जीसैट-एन2: [एनएसआईएल का दूसरा मांग-आधारित मिशन]**: फ्लोरिडा, अमेरिका से जीसैट-एन2 संचार उपग्रह का सफल प्रमोचन।
- **जीसैट-एन3: [एनएसआईएल का तीसरा मांग-आधारित मिशन]**: सरकारी प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एस-बैंड संचार उपग्रह जीसैट-एन3 के प्रापण की दिशा में कार्य।
- **पीएसएलवी प्रमोचन सेवाएँ**: एनएसआईएल के समर्पित वाणिज्यिक पीएसएलवी मिशन उपग्रह पीएसएलवी से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के प्रोबा-3 उपग्रह का सफल प्रमोचन।
- **एलवीएम 3 प्रमोचन सेवाएँ**: 2025 की चौथी तिमाही के दौरान अमेरिकी उपग्रह ग्राहक के लिए के तीसरे समर्पित वाणिज्यिक मिशन को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ना।
- **एसएसएलवी प्रमोचन सेवाएँ**: ऑस्ट्रेलिया के ग्राहक उपग्रह को प्रमोचित करने के लिए पहले समर्पित वाणिज्यिक एसएसएलवी प्रमोचन अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर।
- **भारतीय उद्योग के माध्यम से पीएसएलवी उत्पादन**: एनएसआईएल और मेसर्स एचएएल (मेसर्स एचएएल और मेसर्स एलवटी कंसोर्टियम के प्रमुख भागीदार) के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध के भाग के रूप में, 2025 की चौथी तिमाही/वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान पहले भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पीएसएलवी-एन1 के प्रमोचन को पूरा करने की दिशा में कार्य करना।
- **लघु उपग्रह प्रमोचनयान (एसएसएलवी)**: सरकारी उपयोगकर्ता प्रमोचन सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईएल 2026-27 तथा 2027-2028 के दौरान प्रमोचन पूरा करने के लिए 15 एसएसएलवी का निर्माण कर रहा है।
- **उपग्रह विनिर्माण**: एलएसआईएल ने सरकारी उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भू अवलोकन उपग्रहों के निर्माण का अनुबंध हासिल किया।
- **मत्स्य पालन विभाग के लिए परियोजना**: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाइ) के अंतर्गत निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) के लिए समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों में पोत संचार और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए राष्ट्रीय रोलआउट योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनएसआईएल ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर लगभग 26,000 संचार और सहायता प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित की हैं।
- **सैटकॉम सेवाएँ**: एनएसआईएल के 15 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के माध्यम से सफलतापूर्वक उपग्रह आधारित सेवाएँ प्रदान करना।
- **मिशन सहायता सेवाएँ**: अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के चंद्र मिशनों हेतु मिशन सहायता प्रदान करने हेतु इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क ऐंटेना का व्यावसायीकरण।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण**: इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योग को हस्तांतरित करने के लिए अब तक 82 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

व्यवसाय की समीक्षा

एनएसआईएल मुख्य रूप से मांग-आधारित मॉडल पर संपूर्ण वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय गतिविधियाँ के लिए ज़िम्मेदार है। कंपनी का प्रमुख परिचालन अंतरिक्ष व्यवसाय निम्नलिखित से संबंधित है:

i. भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रमोचनयान बनाना

ii. एसएसएलवी, पीएसएलवी और एलवीएम-3 पर वैश्विक उपग्रह ग्राहकों को प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करना;

iii. उपग्रहों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन;

iv. उपग्रह-आधारित सेवाएँ प्रदान करना;

v. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राउंड सेगमेंट की स्थापना करना

vi. प्रमोचनयान और उपग्रह ग्राहकों के लिए दूरमिति एवं ट्रैकिंग (मिशन सहायता सेवाएँ) प्रदान करना;

vii. क्षमता निर्माण और तकनीकी सेवा समाधान प्रदान करना।

एनएसआईएल वर्तमान में 15 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों का स्वामित्व और संचालन करता है और अपने सम्मानित ग्राहकों को वीसैट, डीटीएच, डीएसएनजी, टीवी, प्रसारण, आईएफएमसी सहित विविध संचार उपग्रह सेवाएँ प्रदान करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, एनएसआईएल ने सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भारतीय उद्योगों की व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाया है और वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आक्रामक रूप से काम कर रहा है।

व्यावसायिक कार्यक्षेत्र

विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में एनएसआईएल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ नीचे विस्तार से दी गई हैं:

I. माँग-आधारित मॉडल पर उपग्रहों का स्वामित्व और संचालन

- **एनएसआईएल का दूसरा माँग-आधारित मिशन [जीसैट-एन2]:**
  एनएसआईएल ने नवंबर 2024 के दौरान अपना दूसरा माँग-आधारित संचार उपग्रह मिशन जीसैट-एन2 सफलतापूर्वक पूरा किया। 4700 किलोग्राम वज़न वाला जीसैट-एन2 एक का-का बैंड उच्च थ्रूपुट उपग्रह है जिसकी 48 जीबीपीएस थ्रूपुट क्षमता है, जो भारतीय मुख्य भूमि और पड़ोसी द्वीपों की ब्रॉडबैंड सेवा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस उपग्रह को नवंबर 2024 के दौरान फ्लोरिडा, अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। जीसैट-एन2 ने कक्षा में परीक्षण और कमीशनिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस मिशन का पूरा वित्तपोषण एनएसआईएल द्वारा वहन किया गया है।

- **एनएसआईएल का तीसरा मांग-आधारित मिशन [जीसैट-एन3]:**
  एनएसआईएल भारत सरकार के प्रयोक्ताओं की संचार सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना तीसरा मांग-आधारित संचार उपग्रह मिशन, जीसैट-एन3, एक एस-बैंड संचार उपग्रह, शुरू करेगा। इस मिशन का पूरा वित्तपोषण एनएसआईएल द्वारा किया जाएगा। 4500 किलोग्राम वजनी जीसैट-एन3 उपग्रह को 2026 की चौथी तिमाही के दौरान प्रमोचित करने का प्रस्ताव है।

II. भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रमोचनयान का निर्माण

- **ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचनयान (पीएसएलवी):**
  एनएसआईएल ने 5 पीएसएलवी-एक्सएल के संपूर्ण उत्पादन के लिए मेसर्स एचएएल [मेसर्स एचएएल और एलवटी कंसोर्टिया का प्रमुख भागीदार] के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित पहला पीएसएलवी-एन1 2025 की चौथी तिमाही/वर्ष 2026 की पहली तिमाही के दौरान प्रमोचित होने वाला है।

- **लघु उपग्रह प्रमोचनयान (एसएसएलवी):**
  मांग पर प्रक्षेपण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईएल, इसरो द्वारा निर्धारित भारतीय उद्योग विक्रेताओं के माध्यम से 15 एसएसएलवी का निर्माण कर रहा है। इन 15 एसएसएलवी का प्रमोचन 2026-27 और 2027-28 के दौरान प्रस्तावित है।

- **प्रमोचनयान Mk-III (एलवीएम-3):**
  उभरते वैश्विक प्रमोचन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईएल, भारतीय उद्योग के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 10 से अधिक वर्षों की लंबी अवधि में बड़ी संख्या में एलवीएम-3 के संपूर्ण उत्पादन के विकल्पों पर काम कर रहा है।

III. प्रक्षेपण सेवाएँ

- **ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचनयान (पीएसएलवी):**
  एनएसआईएल ने दिसंबर 2024 के दौरान श्रीहरिकोटा से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 उपग्रह का प्रक्षेपण करके पीएसएलवी के अपने

पाँचवें समर्पित वाणिज्यिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब तक, एनएसआईएल ने पीएसएलवी के माध्यम से 61 अंतर्राष्ट्रीय और 2 भारतीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। एनएसआईएल के पास एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के लिए एक (1) समर्पित पीएसएलवी प्रमोचन सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर हैं और कई संभावित ग्राहकों के साथ चर्चा जारी है।

- **प्रमोचनयान मार्क 3 (एलवीएम3)**:
  एनएसआईएल के पास 2025 की चौथी तिमाही के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह के प्रमोचन के लिए एक समर्पित एलवीएम3 प्रमोचन सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर हैं। इस अमेरिकी ग्राहक उपग्रह को योजना के अनुसार प्रमोचित करने की तैयारी चल रही है।
- **लघु उपग्रह प्रमोचनयान (एसएसएलवी)**:
  एनएसआईएल ने ऑस्ट्रेलिया के एक उपग्रह ग्राहक के साथ समर्पित एसएसएलवी प्रमोचन सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसआईएल ने एसएसएलवी-डी2 पर एक अमेरिकी ग्राहक उपग्रह और एसएसएलवी-डी3 पर एक भारतीय ग्राहक उपग्रह को सह-यात्री के रूप में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

IV. उपग्रह विनिर्माण

- एनएसआईएल ग्राहक के लिए एक उपग्रह का निर्माण और प्रमोचित करेगा, जहाँ पेलोड ग्राहक द्वारा प्रदान किया जाएगा, जबकि उपग्रह बस और परीक्षण सहित उपग्रह एकीकरण एनएसआईएल/इसरो की ज़िम्मेदारी होगी। 2025 की चौथी तिमाही के दौरान पीएसएलवी पर उपग्रह प्रमोचन की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2027 के पहली तिमाही के दौरन एनएसआईएल पीएसएलवी पर 3 और उपग्रहों का निर्माण और प्रमोचन करेगा।
- एनएसआईएल अपने ग्राहकों के लिए भारी संचार उपग्रहों के निर्माण और प्रमोचन के अनुबंध को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में है।
- उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार, एनएसआईएल आने वाले वर्षों में इसरो के प्रक्षेपण यानों पर कई भू अवलोकन उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण करेगा। इन उपग्रहों के निर्माण के लिए कई भारतीय उद्योग भागीदारों को भी अवसर दिए गए हैं।

V. अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ

- एनएसआईएल अपने 15 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों के बेड़े से डीटीएच, वीसैट, टीवी, डीएसएनजी, आईएफएमसी जैसी विभिन्न अनुप्रयोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपग्रह क्षमता पट्टे पर ले रहा है। इसके अलावा, एनएसआईएल डीटीएच और वीसैट अनुप्रयोगों के लिए भारतीय उपयोगकर्ताओं की माँगों को पूरा करने के लिए विदेशी उपग्रहों से क्षमता पट्टे पर ले रहा है। एनएसआईएल ने इसके लिए लगभग 150 से ज़्यादा समझौते किए हैं।

  एनएसआईएल भारतीय उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से भू अवलोकन डेटा और विदेशी उपग्रहों से प्रसारित कर रहा है।
- **समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी हेतु सेवाएँ**:
  एनएसआईएल को मत्स्य पालन विभाग द्वारा "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के अंतर्गत "समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों में निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) हेतु पोत संचार और सहायता प्रणाली की स्थापना हेतु राष्ट्रीय रोलआउट योजना" के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पहचाना गया है। इसके एक भाग के रूप में, एनएसआईएल भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 100,000 स्वदेशी एमएसएस टर्मिनलों ("एक्सपोंडर्स") की आपूर्ति, स्थापना, संचालन और प्रबंधन के लिए काम कर रहा है, जिसमें जमीनी बुनियादी ढांचे और निगरानी केंद्रों का निर्माण/विकास शामिल है। तटीय राज्यों में लगभग 26,000 एमएसएस टर्मिनल पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

VI. दूरमिति एवं ट्रैकिंग सहायता (मिशन सहायता सेवाएँ)

आज तक, एनएसआईएल ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को 12 प्रमोचनयान ट्रैकिंग सहायताएँ; 8 प्रमोचन और प्रारंभिक कक्षा चरण (एलईओपी) सहायता; और 3 गहन अंतरिक्ष मिशन सहायता प्रदान की हैं। ये मिशन सहायता सेवाएँ इसरो ग्राउंड स्टेशनों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

VII. ग्राउंड सेगमेंट की स्थापना

एनएसआईएल विभिन्न कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्राउंड सेगमेंट की स्थापना हेतु कई भारतीय कंपनियों के साथ काम कर रहा है। हब/गेटवे स्टेशनों की स्थापना हेतु भारतीय कंपनियों के साथ इसी तरह के टर्न-की अनुबंधों के अलावा, यह भविष्य में सरकारी

उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में वीसैट टर्मिनलों के निर्माण हेतु भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करने पर भी विचार कर रहा है।

VIII. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

अब तक, एनएसआईएल ने इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण हेतु भारतीय उद्योग के साथ लगभग 82 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

वित्तीय सारांश / मुख्य अंश

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने 2,76,155.96 लाख रुपये का कारोबार और 82,220.18 लाख रुपये का कर-पश्चात लाभ अर्जित किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में कारोबार 2,37,925.45 लाख रुपये और कर-पश्चात लाभ 79,603.06 लाख रुपये था।

मुख्य अंश नीचे दिए गए हैं:

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
घरेलू कारोबार	2,30,912.03	2,15,985.77
निर्यात कारोबार	45,243.93	21,939.68
कुल कारोबार	**2,76,155.96**	**2,37,925.45**
अन्य आय	25,539.31	27,908.26
कुल राजस्व	**3,01,695.27**	**2,65,833.71**
उत्पादन की लागत	1,27,665.54	96,808.18
कर्मचारी लाभ व्यय	1,453.69	617.65
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	60,223.10	59,862.87
अन्य व्यय (ऊपर शामिल नहीं)	1,944.50	1,872.82
कुल व्यय	**1,91,286.83**	**1,59,161.52**
कर से पहले लाभ/(हानि)	1,10,408.44	1,06,672.19
आयकर	28,188.26	27,069.13
कर से पहले लाभ/(हानि)	82,220.18	79,603.06
कर से पहले लाभ/(हानि)	शून्य*	शून्य*
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण	शून्य	शून्य

* छूट हेतु प्रस्ताव डीपीई को प्रस्तुत

लाभांश

एनएसआईएल ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें वित्त वर्ष 2028-29 तक वार्षिक लाभांश के भुगतान से छूट का अनुरोध किया गया है। कंपनी की पूंजी संरचना और लाभांश पर निर्णय लेने के लिए पूंजी प्रबंधन एवं लाभांश निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) की बैठक 10-09-2025 को निर्धारित है। सीएमसीडीसी द्वारा प्रस्तावित पूंजी पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतिम परिणाम आने तक कंपनी कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं कर रही है।

आरक्षित निधियाँ

कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी राशि को आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

राजकोष में योगदान

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने शुल्कों और करों के रूप में 55,623.47 लाख रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 में 17,196.01 लाख रुपये) का योगदान दिया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि और रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा राशि

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

पूँजी एवं वित्त

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने आंतरिक स्रोतों से अपनी पूँजीगत व्यय और परिचालन निधि आवश्यकताओं को पूरा किया है। कंपनी उपलब्ध अधिशेष निधियों को अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों में सावधि जमाओं में निवेश करती है, जैसा कि निवेश नीति में सूचीबद्ध है। कंपनी ने शून्य ऋण कंपनी का दर्जा बरकरार रखा है।

ऋण, गारंटी, प्रतिभूति और निवेश

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी, प्रतिभूति या निवेश नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

कंपनी ने मौजूदा प्रणालियों और लागू नियंत्रणों की पर्याप्तता की समीक्षा और सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स राव एंड एम्मार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

शेयर पूंजी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी की पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कंपनी की अधिकृत पूँजी 7500,00,00,000/- रुपये (मात्र सात हज़ार पाँच सौ करोड़ रुपये) थी, जो 10/- रुपये प्रति शेयर के 750,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

31 मार्च 2025 तक, कंपनी की कुल जारी और चुकता पूँजी 5607,60,00,000/- रुपये (मात्र पाँच हज़ार छह सौ सात करोड़ साठ लाख रुपये) थी, जो 10/- रुपये प्रति शेयर के 560,76,00,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में विभाजित थी।

भारत सरकार कंपनी की 100% शेयर पूँजी रखती है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मूल्यांकन पूरा हो गया है और कंपनी को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा निर्धारित बेंचमार्क लक्ष्य के आधार पर 70% एमओयू स्कोर के साथ "बहुत अच्छा" रेटिंग दी गई है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मानकों की प्राप्ति हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को प्रस्तुत किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मूल्यांकन वर्ष के दौरान डीपीई द्वारा किया जाएगा।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियाँ

रिपोर्ट की तिथि तक, एनएसआईएल को आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हो चुका है।

आउटसोर्सिंग

कंपनी, आवश्यकताओं और गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, भारतीय उद्योगों को अपनी गतिविधियाँ आउटसोर्स करती है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जेम के माध्यम से एनएसआईएल की कुल खरीद 79 ऑर्डर के माध्यम से 9906.54 लाख रुपये की रही।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) से खरीद

कंपनी मुख्य रूप से अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं के व्यावसायीकरण और परियोजना प्रबंधन में संलग्न है। अपने सीमित दायरे में, एमएसएमई से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए आवश्यक प्रयास किए जाते हैं।

भारत सरकार की पहलों के अनुरूप, कंपनी M/s INVOICEMART और M/s Receivables Exchange of India Limited (RXIL) के साथ TReDS प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है ताकि एमएसएमई विक्रेताओं को एनएसआईएल की क्रेडिट रेटिंग के आधार पर तुरंत लिक्विड फंड प्राप्त हो सके।

इसके अलावा, कंपनी ने निविदाओं में भाग लेने के लिए एमएसएमई की पात्रता बताते हुए आवश्यक प्रावधान किए हैं। कंपनी ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में TReDS प्लेटफॉर्म, एमएसएमई संबंध, एमएसएमई समाधान और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उत्पादों और सेवाओं की खरीद 29.76% है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के कार्यबल में इसरो और उसके केंद्रों/इकाइयों के कार्य व्यवस्था के आधार पर और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों के वेतन व्यय की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा वास्तविक रूप से की जाती है। इसरो के कुछ अधिकारियों को कंपनी द्वारा तत्काल समाहित कर लिया जाता है और उन्हें लागू दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत थे और इन्हें एकांतिक आधार पर दर्ज किया गया है।

सदस्य वित्तीय विवरण के नोट संख्या 42 और 47.1 का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित हैं।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विभाग संगठनात्मक लक्ष्यों का समर्थन करता है, कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है और कई पहलों को लागू करके एक उत्पादक कार्य वातावरण विकसित करता है। पिछले वर्ष में, हमने मानव संसाधन प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने पर केंद्रित कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं।

एनएसआईएल प्रशंसा और उत्कृष्टता की संस्कृति का विकास करता है जहाँ हमारी टीम के सदस्यों के अथक प्रयासों को मान्यता और पुरस्कार मिलता है। एनएसआईएल अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण को भी सुनिश्चित करता है, एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करता है जहाँ व्यक्ति वैयक्तिक और व्यावसायिक दोनों ही स्तरों पर फल-फूल सके। टीम के कल्याण में निवेश करके, एनएसआईएल संगठन के भीतर समुदाय और उत्पादकता की एक मज़बूत भावना का विकास करता है।

एनएसआईएल प्रबंधन समझता है कि प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए निरंतर सीखना महत्वपूर्ण है। अपनी टीम के व्यावसायिक विकास में तेज़ी लाने के लिए, एनएसआईएल उन्हें निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। ये पहल कर्मचारियों के नेतृत्व गुणों को बढ़ाने को भी प्राथमिकता देती हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्यबल तेज़ी से विकसित हो रहे और अंतरिक्ष व्यवसाय परिदृश्य में अग्रणी बना रहे।

एनएसआईएल अपने कार्यबल में विविधता और समावेश पर ज़ोर देता है, जिससे विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। लक्षित नीतियों के माध्यम से, एनएसआईएल वंचित समूहों, जिनमें दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोग शामिल हैं, के समावेशन का समर्थन करता है। यह कार्यस्थल में समावेशन सुनिश्चित करने और करियर में उन्नति के लिए सभी को समान अवसर प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

31 मार्च 2025 तक, कंपनी के कार्यबल में 43 कर्मचारी शामिल हैं [पुरुष कर्मचारी: 36; महिला कर्मचारी: 7 और ट्रांसजेंडर कर्मचारी: शून्य]। कंपनी ने आरक्षण संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

एनएसआईएल, एक भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का पालन करने से छूट प्राप्त है। इसलिए, ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए कोई मामला लंबित नहीं है।

मातृत्व लाभ अधिनियम का अनुपालन

कंपनी पुष्टि करती है कि उसने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है और वर्ष के दौरान पात्र महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए गए हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

सभी दिव्यांगजन कर्मचारियों को समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। दिव्यांगजनों को भर्ती के दौरान छूट और उनके लिए लागू अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("आरटीआई अधिनियम") के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी पोस्ट की है। सरकारी निर्देशों के अनुरूप, कंपनी आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन आवेदनों का निपटान कर रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को 21 आरटीआई अनुरोध प्राप्त हुए। उक्त 21 अनुरोधों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। पिछले वर्ष से कोई भी अनुरोध आगे नहीं बढ़ाया गया या किसी अन्य लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया गया। 31 मार्च 2025 तक, निपटान के लिए कोई भी अनुरोध लंबित नहीं था।

कंपनी ने स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का तृतीय पक्ष पारदर्शिता ऑडिट किया है और 79.79% अंक प्राप्त करके केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निर्धारित आवश्यक लक्ष्य को प्राप्त किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा 'हिंदी' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतरिक्ष विभाग/इसरो के साथ मिलकर अपने आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए। एनएसआईएल में हिंदी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने 21 मार्च 2025 को अपनी बैठक बुलाई है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स) की बैठकों में भाग लिया।

कंपनी में 14 से 30 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

सतर्कता तंत्र

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या संहिता के उल्लंघन के बारे में विचार करने हेतु रिपोर्ट बनाने हेतु एक तंत्र स्थापित किया है। यह इस व्यवस्था का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया। व्हिसल ब्लोअर नीति हमारी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर उपलब्ध है। कंपनी के पास सतर्कता तंत्र भी है, जिसका नेतृत्व अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी में उचित और निरंतर जोखिम पहचान और प्रबंधन प्रक्रिया हो। जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा बोर्ड स्तर पर की जाती है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के विरुद्ध कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित थी।

न्यायिक निकायों/नियामकों के महत्वपूर्ण आदेश

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या नियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश नहीं था जो कंपनी की चालू व्यवसाय की स्थिति को प्रभावित करता हो या कंपनी के व्यावसायिक संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हो।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निरंतर विकास (सीएसआर एवं एसडी)

कंपनी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यानपूर्वक निर्वहन किया और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 533.73 लाख रुपये खर्च किए। सीएसआर समिति की संरचना सहित सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीएसआर नीति, परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.nsilindia.co.in/csr पर उपलब्ध है।

लेखा परीक्षक

मेसर्स आर बी भुसारी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीवएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 2.00 लाख रुपये और लागू कर निर्धारित किए हैं।

लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दी गई है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीवएजी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सहपठित धारा 129(4) के अंतर्गत अपने अनुपूरक लेखापरीक्षा में, वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों में टिप्पणियाँ प्रदान की हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) की टिप्पणियाँ और प्रबंधन की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं और अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट नहीं की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन

डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, मेसर्स से प्रमाण पत्र के साथ, बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

मेसर्स बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

प्रेक्षण	टिप्पणी/स्पष्टीकरण
स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई	कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों (प्रकार्यात्मक निदेशकों सहित) की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के माध्यम से किया जाएगा। अंतरिक्ष विभाग, कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक संबंधी कंपनी की नीति

भारत सरकार की कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियम इस पर लागू नहीं होते। प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन हैं।

बोर्ड बैठकें

वर्ष के दौरान, बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, लेखा परीक्षा समिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया जब लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

31 मार्च 2025 तक निदेशक पद का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट की तिथि तक, बोर्ड में 6 निदेशक हैं, जिनमें से 3 पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित) और 3 सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव को कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) घोषित किया गया है।

रिपोर्ट की तिथि तक, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री ए राधा कृष्ण (डीआईएन: 10604322) को 6 मई 2024 से निदेशक वित्त के पद पर नियुक्त किया गया।

नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. विवेक कुमार सिंह (डीआईएन: 10924163) को श्री सुरेन्द्र मेहरा (डीआईएन: 10528404), सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), नीति आयोग के स्थान पर 27 जनवरी 2025 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

डॉ. शंकरी मुरली, (डीआईएन: 11136334), संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अंतरिक्ष विभाग को डॉ. एम. सुब्रमण्यम, (डीआईएन: 09539830), पूर्व संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति एवं विधि), अंतरिक्ष विभाग के स्थान पर 03 जून 2025 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री डी. राधाकृष्णन, (डीआईएन: 08382973) ने 30 जून 2025 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद त्याग दिया था।

डॉ. लूथर एम. रंगरेजी, (डीआईएन: 11229285), अतिरिक्त निदेशक (एलएंडटी), विदेश मंत्रालय को श्रीमती उमा शेखर, (डीआईएन: 09438145), पूर्व अतिरिक्त निदेशक (एलएंडटी), विदेश मंत्रालय के स्थान पर 05 अगस्त 2025 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी) वलियामाला के निदेशक, श्री एम मोहन (डीआईएन: 07267450) को 01.07.2025 से 31.12.2025 तक या किसी नियमित पदाधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री एम मोहन ने 01 सितंबर 2025 से कार्यभार ग्रहण किया।

बोर्ड श्री सुरेंद्र मेहरा, डॉ. एम सुब्रमण्यम, श्री डी राधाकृष्णन और श्रीमती उमा शेखर द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता है, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हो गया।

बोर्ड/निदेशकों का मूल्यांकन

भारत सरकार की कंपनी होने के नाते, बोर्ड/निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों को कानून के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क) **ऊर्जा संरक्षण**: कंपनी के संचालन ऊर्जा-गहन नहीं हैं।

ख) **प्रौद्योगिकी अवशोषण**: कंपनी का संचालन मुख्य रूप से मूल संगठन/प्रशासनिक विभाग, इसरो/अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित उत्पादों और सेवाओं का व्यवसायीकरण करना है।

ग) **विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:**

(लाख रुपए में)

विवरण	2024-25	2023-24
विदेशी मुद्रा आय	46,022.20	22,564.48
विदेशी मुद्रा व्यय	68,717.50	1,03,359.78

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में, निदेशकगण एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखा तैयार करते समय, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि 31 मार्च 2025 तक कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

वार्षिक विवरणी का वेबलिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी https://www.nsilindia.co.in/corporate-governance/पर उपलब्ध है।

लागत अभिलेख

कंपनी कुछ परियोजनाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आती है और उसने आवश्यक लागत अभिलेख बनाए रखे हैं तथा लागत लेखा परीक्षा के अधीन है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स मूर्ति एंड कंपनी एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को नियुक्त किया है।

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित व्यावसायिक संचालन और भविष्य के दृष्टिकोण को शामिल करने वाली प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न है और वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण

कंपनी पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं है, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई मामला नहीं है।

विदेश यात्रा पर व्यय

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा आधिकारिक विदेश यात्रा पर व्यय 23.12 लाख रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 38.09 लाख रुपये था।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

आभार

निदेशकगण भारत सरकार, विशेष रूप से अंतरिक्ष विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, नियामक और वैधानिक प्राधिकरणों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशकगण कंपनी के प्रदर्शन में सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना करते हैं और उसे महत्व देते हैं। निदेशकगण भारतीय उद्योग भागीदारों, व्यावसायिक सहयोगियों, ग्राहकों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों और अन्य हितधारकों को कंपनी को उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन तथा इसके प्रबंधन में उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। निदेशकगण भविष्य में भी इस सहयोगात्मक संबंध और सहायता को जारी रखने की आशा करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

एम मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07267450

दिनांक : 04.09.2025
स्थान : बेंगलूरु

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, जो बढ़ते सरकारी निवेश, निजी क्षेत्र की भागीदारी और विशाल उपग्रह समूहों के साथ पृथ्वी पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बढ़ते अनुप्रयोगों के कारण संभव हो पाई है। भारत सरकार द्वारा 2020 में घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों, जिनका उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार करना और भारत की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी बढ़ाना है, के कारण अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश में तेज़ी आई है, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिला है। ये सुधार अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों में उल्लेखनीय बदलाव ला रहे हैं। भू प्रेक्षण, संचार और नौवहन की संयुक्त शक्ति का लाभ उठाते हुए, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहक्रियात्मक अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, विशाल डेटासेट का विश्लेषण करके और विभिन्न भू प्रेक्षण अनुप्रयोगों के लिए पैटर्न की पहचान करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एमएल) बहुत उपयोगी साबित हुए हैं।

संगठनात्मक संरचना

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और इसरो की वाणिज्यिक शाखा, मार्च 2019 में निगमित हुई। जून 2020 के दौरान, भारत सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के तहत, एनएसआईएल के व्यावसायिक अधिदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 31 मार्च 2025 तक, एनएसआईएल ने अपने वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय संचालन के छह वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं।

रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति); निदेशक (वित्त) और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। प्रशासनिक मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि), ने कंपनी के अनुमोदित संघ के नियमों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने स्वयं के वेतन पर कुछ कर्मियों की भर्ती की है। कंपनी के बढ़े हुए अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, यह अपने स्वयं के वेतन पर और अधिक कर्मियों के साथ-साथ इसरो/अं.वि. से प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन पर अधिकारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया में है।

व्यावसायिक संचालन

निदेशकों की रिपोर्ट में व्यवसाय समीक्षा के अंतर्गत कंपनी के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के व्यावसायिक संचालन पर चर्चा की गई है।

स्वॉट विश्लेषण

कंपनी को व्यावसायिक कार्यनीतियाँ बनाने के लिए उन आंतरिक (शक्तियाँ और कमज़ोरियाँ) और बाहरी (अवसर और खतरे) कारकों का आकलन करना आवश्यक है जो व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। यह विश्लेषण बाजार में वर्तमान स्थिति को समझने, सुधार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और शक्तियों का लाभ उठाने, कमज़ोरियों को कम करने, अवसरों का लाभ उठाने और खतरों के लिए तैयार रहने हेतु कार्यनीतियां विकसित करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करना और वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं को स्थापित करना है। तदनुसार, एनएसआईएल ने स्वॉट विश्लेषण किया है और व्यावसायिक संचालन की योजना बनाने और कार्यनीति बनाने के लिए इसके परिणामों पर विचार किया है।

उत्पाद-वार प्रदर्शन

गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, उत्पाद-वार प्रदर्शन नहीं दिया गया है। (लाख रुपए में)

व्यापार खंड	निर्यात	घरेलू	कुल
प्रमोचन सेवाएं	45,243.93	2,30,912.03	2,76,155.96
मिशन सहायता सेवाएं			
अंतरिक्ष खंड संचार (प्रेषानुकर पट्टे पर देना)			
उत्पादन की बिक्री			
प्रौद्योगिकी अंतरण			

भविष्य की संभावनाएँ

पिछले छह वर्षों में कंपनी ने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अपने विस्तारित अधिदेश और बढ़ी हुई स्वायत्तता के साथ, कंपनी उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण, स्वामित्व और संचालन तथा ग्राहकों को व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी दरों पर संपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार है। यह भारतीय उद्योग के माध्यम से इसरो के परिचालन प्रमोचनयान भी बनाएगी और अंततः उनका स्वामित्व भी लेगी। कंपनी भारतीय उद्योग के साथ प्रभावी जुड़ाव के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) जैसे भविष्य के व्यावसायिक साझेदारी मॉडल और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों में अन्य साझेदारी मॉडल पर विचार कर रही है। कंपनी अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं का उपयोग करके अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार है।

चुनौतियों से निपटने के उपाय

अंतरिक्ष हर स्तर पर एक जोखिम भरा व्यवसाय है। कंपनी अपने द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक क्षेत्रों में जोखिमों को समझती है और जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करती है। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय और अंतरिक्ष क्षेत्र के पेशेवर सलाहकारों/तकनीकी सलाहकारों के परामर्श से चुनौतियों का सामना करने के उपाय भी करती है।

परिचालन निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

परिचालन निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्र सं.	विवरण	2024-25	2023-24	भिन्नता के कारण
i.	देनदारों का कारोबार (व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात)	2.13	2.60	मान्यता प्राप्त राजस्व और बिल न किए गए राजस्व के मुकाबले पीएसयू/सरकारी ग्राहकों से लंबित भुगतान के कारण अनुपात में कमी आई है।
ii.	आविष्करण आवर्त	10.08	लागू नहीं	कंपनी ने पीएसएलवी/एसएसएलवी के उत्पादन के लिए इन्वेंट्री बनाए रखी है
iii.	ब्याज कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv.	चालू अनुपात	1.69	4.05	कंपनी की वर्तमान देनदारियों में विविध लेनदारों में वृद्धि, वर्तमान परिसंपत्तियों में सापेक्ष वृद्धि के बिना वैधानिक देयता में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई।
v.	ऋण इक्विटी अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	
vi.	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	29.90%	33.53%	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनः विवरण के कारण परिचालन लाभ अनुपात में कमी आई।
vii.	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	29.77%	33.46%	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनः विवरण के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में कमी आई।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल संपत्ति पर प्रतिफल में किसी भी परिवर्तन का विवरण और उसका विस्तृत विवरण।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निवल संपत्ति पर प्रतिफल 13.44% (पिछले वित्त वर्ष में 14.42%) है। कंपनी के निवल संपत्ति पर प्रतिफल में कमी लागत में वृद्धि के कारण हुई।

मानव संसाधन विकास

निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं संरक्षण

कंपनी के पास न तो कोई विनिर्माण सुविधा है और न ही वह उसका संचालन करती है और न ही इसके संचालन में पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधियाँ शामिल हैं, इसलिए कंपनी किसी भी पर्यावरणीय/संरक्षण संबंधी समस्या का कारण नहीं बनती है।

चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा निदेशक रिपोर्ट में कंपनी की शक्तियों, अनुमानों और अनुमानों का वर्णन करने वाले कथन भविष्योन्मुखी कथन हैं और लागू कानूनों व विनियमों के अर्थ में प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्योन्मुखी कथनों पर अत्यधिक भरोसा न करें।

निदेशक मंडल की ओर से

एम मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07267450

दिनांक : 04.09.2025
स्थान : बेंगलूरु

कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट प्रशासन में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के मानदंडों के अनुपालन का विवरण इस प्रकार है:

दर्शन

कॉर्पोरेट प्रशासन का ढाँचा और दर्शन कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति, नीतियों, मूल्यों और हितधारकों के साथ संबंधों का प्रतिबिंब है, जो पूरे संगठन में निरंतर संचालित होता है।

कंपनी का मानना है कि दीर्घकालिक कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने और हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के लिए अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यक है। एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी अपने व्यवसाय के कुशल और नैतिक संचालन के लिए ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी की कॉर्पोरेट संस्कृति पर बहुत ज़ोर देती है।

हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी की आचार संहिता और नैतिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों, नीतियों और समिति चार्टर के माध्यम से सुदृढ़ होता है। बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रियाएँ, लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ कॉर्पोरेट प्रशासन ढाँचे के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करती हैं।

निदेशक मंडल

क. संरचना

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक (प्रकार्यात्मक निदेशक), सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। प्रकार्यात्मक निदेशक कंपनी के दैनिक कार्यों का नेतृत्व करते हैं और कार्यनीतिक निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन में लिए जाते हैं।

एनएसआईएल, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन आती है। कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/चयन/नामांकन कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

31 मार्च, 2025 तक, एनएसआईएल बोर्ड में 6 निदेशक शामिल थे, जिनका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक निदेशक और तीन सरकारी नामित निदेशक करते थे।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क किया है।

क. निदेशकों की श्रेणी तथा उपस्थिति

31 मार्च, 2025 तक निदेशक मंडल की संरचना और उस तिथि तक अन्य निदेशक पदों एवं सदस्यता/मंडल की समितियों की अध्यक्षता, 2024-25 के दौरान आयोजित मंडल बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम एवं निदेशक पहचान सं.	पदनाम	कुल निदेशक मंडल की बैठकें		पिछली एजीएम में उपस्थिति	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में अन्य निदेशक पद	अन्य समिति की सदस्यता	
		निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	निदेशक के कार्यकाल के दौरान उपस्थित रहे			सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में
प्रकार्यात्मक निदेशक							
श्री डी राधाकृष्णन) (DIN: 08382973)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	जी हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए अरुणाचलम (DIN: 09262267)	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	5	5	जी हाँ	शून्य	1	शून्य
श्री ए राधाकृष्ण (DIN: 10604322)	निदेशक (वित्त)	5	5	जी हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक							
श्रीमती उमा शेखर (DIN:09438145)	अपर सचिव (एल व टी), विदेश मंत्रालय	5	2	जी हाँ	शून्य	0	1
डॉ एम सुब्रमण्यम (DIN: 09539830)	संयुक्त सचिव (उद्यम, नीति व विधि)	5	5	जी हाँ	1	1	0
श्री सुरेन्द्र मेहरा (DIN: 10528404)	सलाहकार, नीति आयोग	4	3	नहीं	शून्य	1	0
डॉ विवेक कुमार सिंह (DIN:10924163)	व. सलाहकार, नीति आयोग	1	1	लागू नहीं	शून्य	1	0

नोट:

1. कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा चयनित/नियुक्त/नामांकित किए जाते हैं;
2. निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं है (पारिश्रमिक को छोड़कर, जिसमें उपस्थिति शुल्क और कंपनी के व्यवसाय के संबंध में किए गए उनके व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति शामिल है, जिसके वे हकदार हैं);
4. अन्य कंपनियों में निदेशक पद/समिति की सदस्यता संबंधित निदेशकों से प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है;
5. प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी का कोई भी निदेशक दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं रहा है या उन सभी कंपनियों में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है जिनमें वह निदेशक है।
6. कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सदस्यता की सीमा की गणना के उद्देश्य से, केवल लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता/सदस्यता पर विचार किया गया है।
7. कंपनी ने कंपनी पर लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों और गैर-अनुपालन की घटनाओं को सुधारने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों की आवधिक समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड तिमाही अनुपालन प्रमाण पत्रों की समीक्षा करता है।

बोर्ड के बैठकों की तिथियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 28.05.2024, 16.07.2024, 20.09.2024, 23.12.2024, 11.03.2025* और 12.03.2025 को बोर्ड की पाँच बैठकें आयोजित की गईं।

*नोट: 11.03.2025 को आयोजित बैठक 12.03.2025 तक स्थगित कर दी गई।

बोर्ड की वैधानिक समितियाँ

बोर्ड ने विस्तृत चर्चा और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न वैधानिक बोर्ड स्तरीय समितियों का गठन किया है। कंपनी सचिव सभी बोर्ड स्तरीय समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्यों के कार्यक्षेत्र, संरचना, बैठक और उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. **लेखा परीक्षा समिति**

बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है और इसके कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा समिति का गठन सरकार द्वारा नामित निदेशकों और एक प्रकार्यात्मक निदेशक के साथ किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों में से एक को समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

31 मार्च 2025 तक, लेखा परीक्षा समिति में तीन सरकार द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) और एक प्रकार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 27.05.2024, 16.07.2024, 20.09.2024, 23.12.2024 और 11.03.2025 लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें हुईं ।

लेखा परीक्षा समिति के गठन, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकें
1	श्रीमती उमा शेखर	अध्यक्ष	5	2
2	डॉ.एम सुब्रमण्यम	सदस्य	5	5
3	श्री सुरेन्द्र मेहरा	सदस्य	4	2
4	श्री ए अरुणाचलम	सदस्य	5	5
5	डॉ विवेक कुमार सिंह	सदस्य	1	1

नोट:

1. श्री सुरेन्द्र मेहरा 27.01.2025 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं है।
2. डॉ. विवेक कुमार सिंह को 11.03.2025 से लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) समिति

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन बोर्ड द्वारा किया गया है और इसके कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत निर्दिष्ट हैं, जिन्हें इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जा सकता है।

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन सरकार द्वारा नामित निदेशकों और एक प्रकार्यात्मक निदेशक के साथ किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों में से एक को समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

31 मार्च 2025 तक, सीएसआर एवं एसडी समिति में तीन सरकारी नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष सहित) और एक प्रकार्यात्मक निदेशक समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वर्ष के दौरान, 16.07.2024, 02.12.2024, 11.03.2025 को समिति की तीन बैठकें हुईं।

सीएसआर एवं एसडी समिति के गठन, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकें
1	डॉ एम सुब्रमण्यम	अध्यक्ष	3	3
2	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	3	2
3	श्री ए अरुणाचलम	सदस्य	3	3
4	श्री सुरेन्द्र मेहरा[1]	सदस्य	2	1
5	डॉ विवेक कुमार सिंह[2]	सदस्य	1	1

नोट:

1. श्री सुरेन्द्र मेहरा 27.01.2025 से सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्य नहीं हैं।
2. डॉ. विवेक कुमार सिंह को 11.03.2025 से सीएसआर एवं एसडी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है और इसके कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के तहत निर्दिष्ट हैं, जो इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के साथ पठित हैं।

निदेशक(ओं) की नियुक्ति के मानदंड, निदेशक(ओं) के पारिश्रमिक से संबंधित नीति और निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन आदि से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

31 मार्च 2025 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन सरकारी नामित निदेशक शामिल थे। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की अनुपस्थिति में, सरकार द्वारा नामित निदेशकों में से एक को समिति का अध्यक्ष नामित किया जाता है।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष के दौरान, 27.05.2024, 15.07.2024 और 11.03.2025 को समिति की तीन बैठकें हुईं।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और उनमें सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	निदेशक के कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकें
1	श्री सुरेन्द्र मेहरा	अध्यक्ष	2	2
2	डॉ विवेक कुमार सिंह	अध्यक्ष	1	1
3	श्रीमती उमा शेखर	सदस्य	3	1
4	डॉ एम सुब्रमण्यम	सदस्य	3	3

नोट:

1. श्री सुरेन्द्र मेहरा 27.01.2025 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष नहीं हैं।
2. डॉ. विवेक कुमार सिंह को 11.03.2025 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का सदस्य एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

निदेशकों का पारिश्रमिक

(i) **पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक**:

वर्ष 2024-25 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरणी में दिया गया है।

(ii) **सरकारी नामित निदेशकों का पारिश्रमिक**:

सरकारी नामित निदेशक, जो भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, को कंपनी द्वारा न तो कोई पारिश्रमिक दिया जाता है और न ही कोई उपस्थिति शुल्क।

आचार संहिता

कंपनी द्वारा बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता को अपनाया गया है, जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट https://www. nsilindia.co.in पर भी उपलब्ध है। कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणापत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

शेयरधारिता पैटर्न

कंपनी भारत या विदेश में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी की संपूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित व्यक्ति के पास है।

आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2021-22	29.09.2022	10.00 a.m	अध्यक्ष बोर्डरूम, इसरो मु., न्यूबीईएल रोड, बेंगलूरु	जी हाँ
2022-23	25.09.2023	11.00 a.m	अध्यक्ष बोर्डरूम, इसरो मु., न्यूबीईएल रोड, बेंगलूरु	नहीं
2023-24	26.09.2024	02.00 p.m	अध्यक्ष बोर्डरूम, इसरो मु., न्यूबीईएल रोड, बेंगलूरु	नहीं

वार्षिक आम बैठक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छठी वार्षिक आम बैठक: बुधवार, 24 सितंबर, 2025 को अपराह्न 16:00 बजे अध्यक्ष के बोर्ड कक्ष, इसरो मुख्यालय, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु - 560094 में हुई।

प्रकटीकरण

i. संबंधित पक्ष लेन-देन

वर्ष के दौरान, निदेशकों या उनके रिश्तेदारों या प्रबंधन के साथ कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। संबंधित पक्ष लेन-देन का खुलासा लेखा- के नोट संख्या 42 और 47.1 में किया गया है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन/प्रतिबंध/दंड

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर किसी भी मामले में कोई दंड/प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

iii. सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने आवश्यक सतर्कता तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की है जो निदेशकों और कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में वास्तविक कंसर्न की रिपोर्ट करने का माध्यम प्रदान करती है। किसी भी कर्मचारी/ कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

iv. अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन

कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय उन गैर-अनुपालनों के जो कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाणपत्र में देखे गए हैं। गैर-अनुपालन के कारण कार्यरत कंपनी सचिव की टिप्पणियों के उत्तर के रूप में अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

V. राष्ट्रपति के निर्देश

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है।

Vi. लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय की मदें, जो व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं हैं:

व्यय की कोई भी मद, जो सीधे तौर पर इसके व्यवसाय से संबंधित या उससे संबंधित हों, या इसके कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए व्यय के अलावा, लेखा पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई।

vii. व्यय, जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं

निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय, कंपनी के नियमों के तहत अनुमत वेतन, भत्ते, अनुलाभ, लाभ के रूप में हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई अन्य व्यय, जो व्यक्तिगत प्रकृति के हों, नहीं किए गए।

viii. प्रशासनिक और कार्यालय व्यय

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 0.83% है, जबकि पिछले वर्ष यह 1.06% था।

संचार के साधन

- कंपनी अपनी वेबसाइट www.nsilindia.co.in पर कंपनी से संबंधित जानकारी और सूचना का अधिकार अधिनियम व अन्य क़ानूनों के अंतर्गत आवश्यक जानकारी सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करती है।
- कर्मचारियों के हित के मामलों को आंतरिक रूप से सूचना, कार्यालय आदेश और निर्देशों के रूप में प्रसारित किया जाता है।

बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप, कंपनी ने निदेशकों के प्रशिक्षण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है। निदेशकों को कंपनी के कामकाज, व्यवसाय और कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित विषयों पर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, सरकार और डीपीई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया जा रहा था।

कंपनी का प्रबंधन निदेशक को कंपनी, कंपनी के संचालन क्षेत्र, उसके उत्पादों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, प्रशासन, आंतरिक नियंत्रण, विनियमों और कंपनी के कामकाज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराता है।

कंपनी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी सहित) और विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और अंतरिक्ष विभाग से सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। निदेशकों को कंपनी के कामकाज से संबंधित मामलों का आवश्यक जानकारी है।

अनुपालन

कंपनी तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अंतरिक्ष विभाग को निर्धारित प्रारूप के अनुसार तिमाही कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

डीपीई ग्रेडिंग

कंपनी तिमाही और वार्षिक आधार पर अंतरिक्ष विभाग को कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन पर एक ग्रेडिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को वर्ष 2024-25 के लिए 100% समग्र स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' रेटिंग दी गई है।

निदेशक मंडल की ओर से

एम मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07267450

दिनांक : 04.09.2025
स्थान : बेंगलूरु

अनुलग्नक A

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के खंड 4.5 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाण-पत्र

सेवा में
निदेशक मंडल
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:
   - i. इन विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
   - ii. ये विवरण एक साथ, कंपनी के मामलों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।
2. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।
3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमें ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य कमियाँ नहीं मिली हैं।
4. हमने लेखा परीक्षकों को सूचित किया है:
   - i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;
   - ii. लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन करने के लिए लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए हैं;
   - iii. हमारी जानकारी में ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले की जानकारी नहीं है।

	ए राधा कृष्ण	**एम मोहन**
दिनांक : 04.09.2025	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान : बेंगलूरु	DIN : 10604322	DIN : 07267450

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

एम. मोहन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07267450

दिनांक : 04.09.2025
स्थान : बेंगलूरु

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

एनएसआईएल एक सामाजिक रूप से उत्तरदायी कंपनी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उसकी व्यावसायिक नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ समग्र सामाजिक प्रगति, मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। हमारी सीएसआर नीति कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित की गई है।

एनएसआईएल का मानना है कि प्रत्येक व्यवसाय के पास उस समाज को वापस देने का एक तंत्र होना चाहिए जिसमें वह संचालित होता है। कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांत उसकी सीएसआर पहलों के अनुरूप हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास का समाज कंपनी के साथ-साथ विकसित हो।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएसआईएल ने स्वास्थ्य और पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहचानी गई आवश्यकताओं और उपलब्ध निधियों के आधार पर सीएसआर परियोजनाएँ और गतिविधियाँ शुरू कीं। अन्य फोकस क्षेत्रों में आकांक्षी जिले, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास, सतत विकास, स्वच्छता आदि शामिल थे।

ये कार्यक्रम कंपनी अधिनियम 2013 के कानूनी ढांचे के भीतर और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में संचालित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट https://www.nsilindia.co.in/csr पर हमारी सीएसआर और एसडी नीति देख सकते हैं।

2. 31.03.2025 तक सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम संख्या.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक की प्रकृति	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	निदेशक के कार्यकाल के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	डॉ.एम सुब्रमण्यम	अध्यक्ष/ सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3
2	श्रीमती उमा शंकर	सदस्य/ सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2
3	श्री सुरेन्द्र मेहरा*	सदस्य/ सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
4	श्री अरुणाचलम	सदस्य/ निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	3	3
5	डॉ विवेक कुमार सिंह#	सदस्य/ सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1

* 27.01.2025 से सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्य नहीं हैं।

11.03.2025 से सीएसआर एवं एसडी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हुए।

3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के वेब-लिंक उपलब्ध कराएँ।

वेब-लिंक: https://www.nsilindia.co.in/csr

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का कार्यकारी सारांश, यदि लागू हो, वेब-लिंक सहित उपलब्ध कराएँ।

(रुपये में)

5	(क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:	6,36,11,50,576.45
	(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:	12,72,23,012
	(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:	**शून्य**
	(घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:	**शून्य**
	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]:	12,72,23,012

(रुपये में)

6.	(क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य दोनों):	19,71,931
	(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय राशि:	2,02,709
	(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो:	**शून्य**
	(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि [(क)+(ख)+(ग)]:	21,74,640
	(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:	

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरंण की तिथि
21,74,640	12,50,30,712	29/04/2025	PM केयर्स निधि	17,659	30/04/2025

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम. सं.	**विवरण**	**राशि (रुपए में.)**
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	12,72,23,012
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	21,74,640
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	(रुपये में) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (रुपए में.)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तिथि		
1	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**6,83,64,407**	**2,28,48,853**	**4,55,15,554**	**शून्य**	**शून्य**	**2,28,48,853**	**लागू नहीं**
2	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**शून्य**	**24,41,095**	**56,83,552**	**शून्य**	**शून्य**	**24,41,095**	**लागू नहीं**
3	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**लागू नहीं**

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है? खर्च की गई राशि: नहीं

यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें:
वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित व्यय राशि का विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिन कोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर की राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/ प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

(सभी फ़ील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार दर्ज किए जाने चाहिए, फ्लैट संख्या, मकान संख्या, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत का विवरण और अचल संपत्ति का क्षेत्रफल तथा सीमाएँ भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं पर 21,74,640 रुपये खर्च किए हैं। 12,50,30,712 रुपये की अव्ययित राशि विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए है, जिसे अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया है और सीएसआर नियमों के अनुसार खर्च किया जाएगा।

डॉ. शंकरी मुरली
अध्यक्ष
सीएसआर एवं एसडी समिति के
डीआईएन: 11136334

एम. मोहन
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07267450

दिनांक : 04.09.2025
स्थान: बेंगलूरु

BRKS

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन प्रमाणपत्र

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U74999KA2019GOI122175

अधिकृत पूँजी: INR 7500,00,00,000

सेवा में,

सदस्यगण

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

बेंगलूरु

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देश 2010 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सभी प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच की है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया तक सीमित थी।

प्रस्तुत अभिलेखों और प्रस्तुत स्पष्टीकरणों एवं सूचनाओं की हमारी जाँच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उचित अभिलेख बनाए रखे हैं और 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश 2010 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का पालन किया है। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

बीआरकेएस एंड एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(बी राजेश्वर राव)
भागीदार
UDIN:F009940G000540901

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 04.06.2025

BRKS & Associates
Company Secretaries
**# First Floor, 76, Sri Sai Krupa, Phase - 2, Cascading Meadows,
Maragondanahalli, T C Palya, K R Puram, Bangalore - 560036**

नए व्यापार के पहल

अंतरिक्ष मशीन कंपनी, ऑस्टेलिया के साथ एनएसआईएल

एनएसआईएल ने वीआईएएसएटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एनएसआईएल ने बेलाट्रिक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

18 सितंबर 2024 को आयोजित बेंगलूरु अंतरिक्ष एक्सपो की झलक

एनएसआईएल ने एमईएएसएटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केरल के मीनाचिल नदी बेसिन के भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए एक स्वचालित चेतावनी प्रणाली का निर्माण

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के वापुंग गाँव के कोंगोंग में आदिवासी बच्चों के शैक्षणिक उद्देश्य से 2 कक्षाओं का निर्माण

स्व-नियोजित दर्जी मॉड्यूल के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, दाहोद और नर्मदा, गुजरात

इलेक्ट्रिकल बग्गी - कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलूरु में पर्यावरण-अनुकूल परिवर्तन सुविधा का एक साधन

राजस्थान के सिरोही जिले में एक मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना

कर्नाटक के बेंगलूरु स्थित बीएमसीआरआई सूपर स्पेशियलिटी अस्पताल (पीएमएसएसवाई) के हृदय रोग विभाग को 1 इको मशीन और 1 टीएमटी मशीन प्रदान करना

उपचार योग्य अंधेपन की रोकथाम - ओडिशा के कंधमाल जिले में मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा कार्यक्रम और नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में वृद्ध लोगों के लिए फिजियोथेरेपी केंद्र

R. B. BHUSARI & CO.
Chartered Accountants

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण,
बेंगलूरु

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण तथा वित्तीय विवरणों के नोट सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे यहाँ एतद्पश्चात स्टैंडएलोन विवरण कहा गया है) का संक्षेप सार शामिल है।

हमारे मत और हमें प्रदान की गई जानकारी तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित, भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति को कम्पनी के स्टैंडएलोन क्रियाकलापों एवं वर्ष में उक्त तिथि को समाप्त स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह एवं इक्विटी परिवर्तन की उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कम्पनी अधिनियम (अधिनियम) में की गई है।

मत का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसएएस") के अनुसरण में गई है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षकों के दायित्व में किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, हमारे द्वारा की गई स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण, हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त हैं एवं यथोचित हैं।

मामले पर ज़ोर

क) हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कार्य-प्रगति (डब्ल्यूआईपी) के रूप में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन करने में प्रबंधन की असमर्थता का वर्णन है, क्योंकि ये इन्वेंट्री विभिन्न इसरो केंद्रों और उद्योग भागीदारों के पास स्थित हैं। बैलेंस शीट की तिथि तक, कंपनी ने ₹253.27 करोड़ मूल्य की इन्वेंट्री की सूचना दी है, जो कुल परिसंपत्तियों

का लगभग 1.63% है। इसके सापेक्ष आकार के आधार पर, इन्वेंट्री शेष को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

ख) हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 47.4.3 और 47.4.4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें राजस्व और संबंधित लागत से संबंधित पूर्व अवधि की मदों में सुधार के कारण तुलनात्मक जानकारी के पुनर्कथन के कारणों का वर्णन किया गया है। जैसा कि नोट में बताया गया है, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को तदनुसार पुनर्कथन किया गया है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा से जुड़े हमारे व्यावसायिक निर्धारण के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में इन मामलों पर मत के निर्धारण के लिए हमने समग्र रूप से विचार किया है, तथा ऐसे मामलों के लिए हम अलग से अपनी कोई राय प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से भिन्न सूचना तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दी गई सूचना शामिल होती है परन्तु इसमें स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण एवं इससे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे मत में अन्य सूचना को शामिल नहीं किया गया है तथा इसके लिए हम आश्वासन रूपी किसी निष्कर्ष की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान एकत्र की गई जानकारी से संगत है अथवा नहीं है तथा इसमें किसी प्रकार सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य में, हमें इस अन्य सूचना में कोई सामग्रीगत मिथ्या कथन प्रतीत होता है तो हमसे तथ्य की रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इस संबंध में हम कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन तथा शासी प्रबंधन के उत्तरदायी अधिकारियों के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाह, इक्विटी प्रवाह परिवर्तन सहित सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करने वाले इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप करने के प्रति उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में, कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण; उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करना; औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करना एवं अनुमान लगाना; तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार सामग्रीगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त इंड एएस स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चतता के उद्देश्य से अभिकल्प करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे है, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के प्रति उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा किसी महत्वपूर्ण मिथ्याकथन का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

क) वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

ख) लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

ग) प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

घ) लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है। च) प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

भौतिकता, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथन की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से, या समग्र रूप से, स्टैडअलोन वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर उचित रूप से प्रभाव डालते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के जनहित लाभों से अधिक होने की उचित रूप से अपेक्षा की जाती है।

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण मेसर्स शांत कुमार और वेंकटेश, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया था, जिनकी 20 अगस्त 2024 की रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय दी गई है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक A" में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहाँ तक लागू हो, एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   ii. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है;

   iii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण, अन्य व्यापक आय विवरण, इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

   iv. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए;

   v. निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है;

   vi. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;

   vii. प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर, जो एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

   viii. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      क) कंपनी पर कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

      (ख) कंपनी ने लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए प्रावधान किया है; और

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

घ

(i) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस जानकारी के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषित पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझौते के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी; और

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में वर्ष के दौरान धारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

च) हमारी जाँच के आधार पर, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखा पुस्तकों के अनुरक्षण हेतु लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर "अनुलग्नक ग" में एक विवरण दिया जाएगा।

कृते आर बी भूसरी एवं को
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए प्रीति चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 115122
FRN: 101463W
UDIN:25115122BMLDUB5927

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11.06.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-'ए'

सेवा में,

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यगण

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के शीर्षक अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 के संदर्भ के अनुसार)

सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अभिलेखों के अनुसार, हमारा मत है कि:

1. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में:

    (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है और अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

    (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर, जहाँ भी संभव हो, भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं देखी गई हैं।

    (ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए कंपनी के नाम पर शीर्षक विलेख लागू नहीं है।

    (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

    (ई) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक लंबित नहीं है।

II. (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया गया है। इस तरह के सत्यापन के अभाव में, हम प्रबंधन द्वारा अपनाई गई भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाओं की उचितता और पर्याप्तता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और यदि कोई विसंगति हो, तो खाता बही में ठीक से निपटाया गया है।

बी) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है, और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

III. कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) के खंड (ए) से (एफ) के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

IV. हमें दिए गए स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के अनुसार, इसने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा नहीं दी है। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और I86 के प्रावधानों का अनुपालन और आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

V. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा खाता बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए जनता से स्वीकार किए गए जमा और आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग

के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं।

VI. हमने कंपनी के उत्पादों के संबंध में, जिन पर उक्त नियम लागू होते हैं, अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खातों और रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या नहीं।

VII. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खाता पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च 2025 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। इसलिए, आदेश के खंड 3(vii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी विवाद के कारण आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(vii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

VIII. पहले से अनभिलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या खुलासा किया गया हो।

IX. (ए) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(घ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ङ) कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण जुटाया और न ही उसकी कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

X. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण नोट सहित) के माध्यम से धन नहीं संग्रहित किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XI. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास फाइल नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xi)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(ग) कंपनी को वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत नहीं मिली है। इसलिए आदेश के खंड 3(xi)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XII. हमारे मत में और हमारी जानकारी के अनुसार, तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) (ए) से (सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

XIV. (क) हमारे मत में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

XV. हमारी राय में, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान और आदेश के खंड 3 (xv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

XVI. a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी.ओ.आर.) के बिना कोई गैर बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं;

c) हमारी राय में, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सी.आई.सी.) नहीं है। इसके अलावा, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निदेशकों, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xvi)(c) और (d) लागू नहीं होता है।

XVII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XVIII.वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

XIX. वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देयताओं के भुगतान की कालावधि और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का

समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के, तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

XX. (क) कंपनी ने चालू सीएसआर और एसडी परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अव्ययित सीएसआर और एसडी आवंटित राशि को स्थानांतरित कर दिया है।

(ख) कंपनी ने चालू सीएसआर और एसडी परियोजनाओं की शेष अव्ययित राशि को कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

XXI. कंपनी एक स्टैंडअलोन कंपनी है, इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते आर बी भूसरी एवं को
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए प्रीति चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 115122
FRN: 101463W
UDIN:25115122BMLDUB5927

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11.06.2025

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक ख

सेवा में,

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्य

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी पर न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के शीर्षक अन्य विधिक और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 3(vi) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी, हमारे लेखा परीक्षा के साथ है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणी के त्रुटिपूरित विवरणी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा का मत, आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से

स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन, अवहेलना की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

कृते आर बी भूसरी एवं को
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए प्रीति चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 115122
FRN: 101463W
UDIN:25115122BMLDUB5927

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :11.06.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक ग

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के संबंध में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को संबोधित हमारी समसंख्यक तिथि की अन्य विधिक व नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट के पैराग्राफ में संदर्भित।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अंतर्गत

क्र.सं	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन-देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले प्रभाव तथा वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय एवं लेखांकन संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए टैली साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। टैली में निम्नलिखित बाह्य प्रविष्टियां प्रवाहित होती हैं : 1. विदेश से प्राप्य एवं देय संव्यवहार; 2. कर्मचारी हितलाभ व्ययों का आकलन; तथा 3. वार्षिक वित्तीय की तैयारी हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा कम्पनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में ऐसे संव्यवहारों के मानीटरन तथा नियंत्रण के लिए प्रणाली स्थापित है।
2	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी मौजूदा ऋण अथवा मामले में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट / बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा।)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम्पनी द्वारा कोई ऋण प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा तदनुसार यह खंड लागू नहीं है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान / राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग उससे सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कंपनी ने विशिष्ट योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से धनराशि प्राप्त की है/प्राप्तियां हैं तथा उनका निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/उपयोग किया गया।

कृते आर बी भूसरी एवं को
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(सीए प्रीति चौधरी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 115122
FRN: 101463W
UDIN:25115122BMLDUB5927

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक :11.06.2025

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ऑडिट भवन, आई पी एस्टेट
नई दिल्ली-110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL EXPENDITURE
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
AUDIT BHAWAN, IP. ESTATE
NEW DELHI-110002

सं/.म.नि.ले.प./के.व्यय./प.वै.वि.पर्या..अनु./ए.ए/234

दिनांक / DATE 12 SEP 2025

सेवा में,

Chairman and Managing Director,
NewSpace India Limited (NSIL),
Room No. F01, HSFC Building,
ISRO HQ, New BEL Road,
Bengaluru-560 094

विषयः भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत NewSpace India Limited (NSIL) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6)(b) के अंतर्गत NewSpace India Limited (NSIL) के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वितीय खातों पर Comment Certificate भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

उप-निदेशक
(पर्यावरण अनुभाग)

दूरभाष/Phone : 011-23403650, 23403652
E-mail : pdaesd@cag.gov.in

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। 11.06.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह पूरक लेखा-परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और लेखा अभिलेखों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

अपने पूरक लेखा-परीक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक हैं।

A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

लाभ-हानि का विवरण

A1 नोट 25 - परिचालन से राजस्व u2,761.56 करोड़

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रसार भारती को प्रदान की गई अंतरिक्ष-खंड क्षमता सेवाओं के लिए 347.30 करोड़ (चालू वर्ष के u84.60 करोड़ सहित) का बिल न किया गया राजस्व स्वीकार किया और 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया, जिससे 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 की अवधि से संबंधित 262.70 करोड़ का बिल न किया गया राजस्व दर्ज हुआ। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए कंपनी और प्रसार भारती के बीच कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था।

भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अंतर्गत, राजस्व मान्यता के पाँच-चरणीय मॉडल के अनुसार, राजस्व मान्यता से पहले पक्षों के अधिकारों, दायित्वों, भुगतान शर्तों, वाणिज्यिक सार और संग्रहणीयता मानदंडों को प्रमाणित करने वाला एक वैध अनुबंध मौजूद होना आवश्यक है। ऐसे अनुबंध के अभाव में, राजस्व मान्यता तब तक रोक दी जाती है जब तक कि निष्पादन पूरा न हो जाए और प्रतिफल वापस न किया जा सके।

तदनुसार, पूर्व अवधि पुनर्कथन में मान्यता प्राप्त 262.70 करोड़ रुपये का राजस्व भारतीय लेखा मानक 115 के अनुबंध-आधारित मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। पूर्वव्यापी पुनर्कथन भारतीय लेखा मानक 8 "लेखांकन नीतियों में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के त्रुटि सुधार प्रावधानों को भी पूरा करता है, क्योंकि यह किसी मौजूदा

लेखांकन नीति को लागू करने में किसी अवधि की त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि अपेक्षित अनुबंध के बिना राजस्व की मान्यता के कारण उत्पन्न होता है।

राजस्व की गलत पहचान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ 84.60 करोड़ रुपये, प्रतिधारित आय 262.70 करोड़ रुपये तथा परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (बिना बिल वाले देनदारों) को 347.30 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) अधिक दर्शाया गया है।

A. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

बी.1 सांविधिक लेखा परीक्षक की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा संख्या 2(v) में, सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) पर रिपोर्ट दी है जो सही नहीं है क्योंकि यह धारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(डॉ.कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 12.09.2025

सी व एजी के टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

<table>
<tr><th>लेखा परीक्षक की टिप्पणी</th><th colspan="2">प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr>
<td rowspan="3">A. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ
लाभ-हानि का विवरण
A1 नोट 25 - परिचालन से राजस्व
Rs.2,761.56 करोड़
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रसार भारती को प्रदान की गई अंतरिक्ष-खंड क्षमता सेवाओं के लिए ₹347.30 करोड़ (चालू वर्ष के ₹84.60 करोड़ सहित) का बिल न किया गया राजस्व स्वीकार किया और 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया, जिससे 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 की अवधि से संबंधित ₹262.70 करोड़ का बिल न किया गया राजस्व दर्ज हुआ। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए कंपनी और प्रसार भारती के बीच कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था।

भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अंतर्गत, राजस्व मान्यता के पाँच-चरणीय मॉडल के अनुसार, राजस्व मान्यता से पहले पक्षों के अधिकारों, दायित्वों, भुगतान शर्तों, वाणिज्यिक सार और संग्रहणीयता मानदंडों को प्रमाणित करने वाला एक वैध अनुबंध मौजूद होना आवश्यक है। ऐसे अनुबंध के अभाव में, राजस्व मान्यता तब तक रोक दी जाती है जब तक कि निष्पादन पूरा न हो जाए और प्रतिफल वापस न किया जा सके।

तदनुसार, पूर्व अवधि पुनर्कथन में मान्यता प्राप्त 262.70 करोड़ रुपये का राजस्व भारतीय लेखा मानक 115 के अनुबंध-आधारित मान्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। पूर्वव्यापी पुनर्कथन भारतीय लेखा मानक 8 "लेखांकन नीतियों में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के त्रुटि सुधार प्रावधानों को भी पूरा करता है, क्योंकि यह किसी मौजूदा लेखांकन नीति को लागू करने में किसी अवधि की त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि अपेक्षित अनुबंध के बिना राजस्व की मान्यता के कारण उत्पन्न होता है।

राजस्व की गलत पहचान के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹84.60 करोड़ रुपये, प्रतिधारित आय ₹262.70 करोड़ रुपये तथा परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (बिना बिल वाले देनदारों) को ₹347.30 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) अधिक दर्शाया गया है।</td>
<td colspan="2">भारतीय लेखा मानक 115 - ग्राहक के साथ अनुबंधों से राजस्व - के पैरा 2 के अनुसार, एक इकाई ग्राहकों को वादा किए गए माल या सेवाओं के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजस्व की पहचान करेगी, जो वह उस राशि में होगा जो उस प्रतिफल को दर्शाता है और जिसके लिए इकाई उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

भारतीय लेखा मानक 115 के पैरा 9 के अनुसार मान्यता के लिए, अनुबंध की पहचान के मामले में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एक इकाई किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए लेखांकन तभी करेगी जो इस मानक के दायरे में आता है, जब निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे होते हैं।</td>
</tr>
<tr><th>IndAS115 के अनुसार मानदंड</th><th>एनएसआईएल की स्थिति</th></tr>
<tr>
<td>(क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है (लिखित रूप में, मौखिक रूप से या अन्य प्रचलित व्यावसायिक प्रथाओं के अनुसार) और अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं;</td>
<td>यद्यपि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, प्रसार भारती ने कई अवसरों पर नेटवर्किंग और अपने चैनलों के वितरण के लिए प्रेषानुकरों के उपयोग की बात स्वीकार की है। इसलिए, इसे संविदा की मौखिक स्वीकृति माना जा सकता है।

इसके अलावा, प्रत्येक पक्ष अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ है कि संस्था को वादा किए गए सामान या सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।</td>
</tr>
</table>

		इस मामले में, एनएसआईएल ने सेवा प्रदान करना जारी रखा है और प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं के लिए प्रेषानुकरों का उपयोग कर रहा है।
	(ख) इकाई हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान कर सकती है;	प्रत्येक पक्ष का अधिकार स्पष्ट है (अर्थात्) एनएसआईएल को ग्राहक को प्रेषानुकर क्षमता उपलब्ध कराने, किसी प्रेषानुकर की अनुचित प्रकाश का पता चलने पर ग्राहक को सूचित करने आदि का अधिकार है। इसी प्रकार, ग्राहक को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी लेकर दूरदर्शन चैनल और रेडियो प्रसारण के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क्षमता का उपयोग करने का अधिकार है।
	(ग) इकाई हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों की पहचान कर सकती है	भुगतान शर्तों की पहचान करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि लेनदेन मूल्य ग्राहक के साथ अनुबंध में तय हो या बताया गया हो। जब तक भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार (अर्थात, कानून के रूप में प्रवर्तनीयता) मौजूद है और संस्था को लेनदेन मूल्य का अनुमान लगाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, तब तक अनुबंध मानक के तहत लेखांकन के लिए योग्य होगा। इस मामले में, एनएसआईएल ने प्रसार भारती से बकाया राशि का उल्लेख करते हुए कई अनुस्मारक भेजे हैं और प्रसार भारती ने भी बकाया राशि स्वीकार की है, जो लेनदेन मूल्य के अस्तित्व का संकेत है।

	(घ) अनुबंध में वाणिज्यिक सार है (अर्थात अनुबंध के परिणामस्वरूप इकाई के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि बदलने की उम्मीद है); और	एक अनुबंध को वाणिज्यिक सार वाला माना जा सकता है जिसमें इकाई अपने लेन-देन की प्रकृति और संरचना पर विचार करते हुए एक ठोस व्यावसायिक उद्देश्य को प्रदर्शित करने में सक्षम हो। चूंकि, एनएसआईएल को वाणिज्यिक अंतरिक्ष व्यवसाय संचालित करने का अधिदेश दिया गया है और अंतरिक्ष विभाग ने प्रसार भारती को लिखे अपने पत्र (अनुलग्नक-3) में अंतरिक्ष खंड शुल्कों की छूट पर सहमति नहीं जताई थी, क्योंकि इसका एनएसआईएल पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, जो एनएसआईएल की दीर्घकालिक व्यावसायिक संभावनाओं और स्थिरता को प्रभावित करेगा, इसलिए इसमें वाणिज्यिक सार मौजूद है।
	(ई) यह संभावना है कि संस्था ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में वह प्रतिफल प्राप्त करेगी जिसका वह हकदार होगा। किसी प्रतिफल राशि की संग्रहणीयता का मूल्यांकन करते समय, संस्था को केवल ग्राहक की उस प्रतिफल राशि का भुगतान करने की क्षमता और इरादे पर विचार करना चाहिए जब वह देय हो। प्रतिफल की वह राशि जिसका संस्था हकदार होगी, अनुबंध में उल्लिखित मूल्य से कम हो सकती है यदि प्रतिफल परिवर्तनशील है क्योंकि संस्था ग्राहक को एक मूल्य प्रदान कर सकती है।	ग्रहणीयता संभावित है, जिसका अर्थ है ग्राहक द्वारा भुगतान करने की इच्छा। प्रसार भारती द्वारा पूरक अनुदान स्वीकृत करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करना, एनएसआईएल को बकाया अंतरिक्ष खंड शुल्क के भुगतान के लिए और अंतरिक्ष खंड शुल्क के भविष्य के वार्षिक भुगतान हेतु व्यय विभाग को वार्षिक बजट की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए है। यह तथ्य इस मानदंड को पूरा करता है कि अनुदान प्राप्त होने के बाद प्रसार भारती से बकाया राशि वसूल करने की संभावना है।

	चूँकि, एनएसआईएल, ग्राहक के साथ अनुबंध की पहचान के लिए पैरा 9 में उल्लिखित सभी मानदंडों को पूरा करता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और IndAS 115 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व मान्यता के 5-कारक मॉडल को भी पूरा करता है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्व मान्यता उचित है। इसके अलावा, पूर्व अवधि की त्रुटियों में एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों में चूक शामिल है, जो उस विश्वसनीय जानकारी का उपयोग करने में विफलता या दुरुपयोग के कारण हुई है जो वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाने के समय उपलब्ध थी। इसलिए, इस मामले में, पिछले वर्षों में प्रसार भारती से संबंधित राजस्व की पहचान न करना चूक की त्रुटि माना जा सकता है और इस प्रकार पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करना IND AS 8 का उल्लंघन नहीं करता है। विश्वसनीय दस्तावेज़ों की उपलब्धता के बावजूद, पिछले वर्षों में प्रसार भारती से राजस्व की पहचान न करना, IndAS 8 के त्रुटि सुधार प्रावधानों को पूरा करता है और इस प्रकार पिछले वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करना IND AS 8 के अनुरूप है और एनएसआईएल की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
B. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ **बी.1 सांविधिक लेखा परीक्षक की अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 (v) में, सांविधिक लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) पर रिपोर्ट दी है जो सही नहीं है क्योंकि यह धारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है।**	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) में निर्दिष्ट किया गया है कि: कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी का निदेशक है या रहा है जिसने - (क) तीन वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है; या (ख) अपने द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि का पुर्नभुगतान करने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या नियत तिथि पर किसी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या घोषित किसी लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या चुकाने में ऐसी विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है, वह उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति या किसी अन्य कंपनी में उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा, जिस तारीख को उक्त कंपनी ऐसा करने में विफल रहती है। जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी: निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है;

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र

सीआईएन: U74999KA2019GOI122175

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2025 के अनुसार	31.03.2024 को स्थिति
	परिसम्पत्तियां:			
(1)	**गैर चालू परिसम्पत्तियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकर	1	4,29,609.61	3,79,532.64
	(ख) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	2	253.83	294.99
	(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	44,464.02	84,031.81
	(घ) अन्य अमूर्त परिसम्पतियां	4	1.57	19.93
	(च) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	5	20.62	20.62
	(छ) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य		-	-
	(iii) ऋण		-	-
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	6	59,008.07	45,258.49
	(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां निवल		-	-
	(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	7	20.70	22.52
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियां		**5,33,378.44**	**5,09,181.01**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) मालसूचियां	8	25,326.82	-
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश		-	-
	(ii) व्यापार प्राप्य	9	1,53,121.89	1,06,413.67
	(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10	6,25,922.54	1,12,397.98
	(iv) उपर्युक्त (iii) से इतर अन्य बैंक शेष	11	1,52,838.97	2,23,384.92
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	39,119.87	22,878.86
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	26,047.84	16,080.64
	कुल चालू परिसंपत्तियां		**10,22,377.95**	**4,81,156.07**
	कुल परिसंपत्तियां		**15,55,756.39**	**9,90,337.08**
	इक्विटी एवं देयताएं:			
(1)	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	5,60,760.00	5,60,760.00
	(ख) अन्य इक्विटी	15	2,60,996.30	1,78,777.67
	कुल इक्विटी		**8,21,756.30**	**7,39,537.67**

(2)	**देयताएं**			
(क)	**गैर चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) उधारी		-	-
	(ia) पट्टा देयताएं	16	118.56	185.48
	(ii) व्यापार देय		-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	1,23,633.96	1,26,309.91
	(ख) प्रावधान	18	91.60	41.75
	(ग) आस्थागित कर (निवल)	19	6,158.19	5,579.41
	(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं		-	-
	कुल गैर-चालू देयताएं		**1,30,002.31**	**1,32,116.55**
(ख)	**चालू देयताएं**			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण			
	(ia) पट्टा देयताएं	20	153.34	126.10
	(ii) व्यापार देय			
	(क) सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के बकाया देय	21	2,257.84	-
	(ख) सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया देय		75,321.17	62,820.68
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	22	4,68,446.38	25,138.80
	(ख) अन्य चालू देयताएं	23	23,925.55	4,115.98
	(ग) प्रावधान	24	33,893.49	26,481.31
	कुल चालू देयताएं		**6,03,997.77**	**1,18,682.87**
	कुल इक्विटी एवं देयताएं		**15,55,756.39**	**9,90,337.08**

सामग्री लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट संख्या 1 से 47 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारे समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मेसर्स आर.बी.भूसारी एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.101463W

सी ए प्रीति चौधरी
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं.115122
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. षण्मुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 11.06.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण

CIN: U74999KA2019GOI122175

(राशि लाख रुपए में)

	विवरण	नोट संख्या	31.03.2025 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े	31.03.2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार आंकड़े
I	प्रचालन से राजस्व	25	2,76,155.96	2,37,925.45
II	अन्य आय	26	25,539.31	27,908.26
III	**कुल आय (I+II)**		**3,01,695.27**	**2,65,833.71**
IV	**व्यय**			
	(i) प्रचालन से राजस्व की लागत	27	1,27,665.54	96,808.18
	(ii) व्यापार स्टॉक का क्रय		25,326.82	-
	(iii) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर तथा व्यापार स्टॉक	8	(25,326.82)	-
	(iv) कर्मचारी हितलाभ व्यय	28	1,453.69	617.65
	(v) वित्तीय लागत	29	348.75	179.97
	(vi) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	30	60,223.10	59,862.87
	(vii) अन्य व्यय	31	1,595.77	1,692.87
	कुल व्यय (IV)		**1,91,286.83**	**1,59,161.52**
V	**असाधारण मदों के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)**		1,10,408.44	1,06,672.19
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		1,10,408.44	1,06,672.19
VIII	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर :			
	क) चालू वर्ष	32	34,231.29	19,434.51
	ख)पूर्व वर्ष		(6,622.33)	6,859.32
			27,608.96	26,293.83
	(ii) आस्थगित कर	33	579.30	775.30
			28,188.26	**27,069.13**
IX	**जारी प्रचालनों की अवधि से लाभ (VII-VIII)**		**82,220.18**	**79,603.06**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
	क (ii) उपर्युक्त पर परिभाषित हितलाभ योजनाओ का पुर्नमापन	32	(2.07)	(1.36)
			0.52	0.34
	क (iii) आयकर से संबंधित मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
XI	ख (i) मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाना है		-	-
	ख (ii) आयकर से संबंधित मदें जिनका वर्गीकरण लाभ अथवा हानि में किया जाएगा		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय/ (हानियां)		(1.55)	(1.02)
XII	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) अवधि में लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय युक्त**		**82,218.63**	**79,602.04**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (जारी प्रचालनों के लिए):			
	(1) मूल / समायोजित रुपए में	34	1.47	1.42
	(2) डाइल्यूटेड (रुपए)		1.47	1.42

सामग्री लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट संख्या 1 से 47 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारे सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स आर.बी.भूसारी एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.101463W

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

सी ए प्रीति चौधरी
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं.115122
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197
स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 11.06.2025

एस. षण्मुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

CIN: U74999KA2019GOI122175

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2024 की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2025 के अंत में शेष राशि
5,60,760	-	5,60,760	-	5,60,760
(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि				
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 01.04.2023 की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2024 के अंत में शेष राशि
5,60,760	-	5,60,760	-	5,60,760

ख. अन्य इक्विटी

(1) चालू रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल इक्विटी
	पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित अर्जन				
1 अप्रैल 2024 के अनुसार शेष धनराशि				1,78,777.33				1,78,777.33
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि समायोजन (कर के बाद)				-				-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि				1,78,777.33				1,78,777.33
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद)				(2.07)				(2.07)
लाभांश				-				-
वर्ष के लिए लाभांश				82,220.18				82,220.18
कोई नया परिवर्तन				-				-
मार्च 31, 2025 के अनुसार शेष राशि				2,60,995 .44	-		-	2,60,995 .44

(2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को देय कुल इक्विटी
	पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित अर्जन				
अप्रैल 1, 2023 के अनुसार शेष				99,175.62				99,175.62
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि समायोजन (कर के बाद)				-				-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि				99,175.62				99,175.62
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय				(1.36)				(1.36)
लाभांश				-				-
वर्ष के लिए लाभांश				79,603.06				79,603.06
कोई नया परिवर्तन				-				-
मार्च 31, 2024 के अनुसार शेष				1,78,777.33				1,78,777.33

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स आर.बी.भूसारी एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.101463W

निदेशक मंडल की ओर से

सी ए प्रीति चौधरी
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं.115122

एस. षण्मुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान: बेंगलूरू
दिनांक: 11.06.2025

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

CIN: U74999KA2019GOI122175

(राशि लाख रुपए में)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की स्थिति
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर से पूर्व लाभ		**1,10,408.44**	**1,06,672.19**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		60,223.09	59,839.37
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास		0.00	23.50
हानि क्षति		13.34	-
(स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ)/हानि		1.56	0.37
वित्त लागत		348.75	179.97
बैंक जमा से ब्याज का आय		(25,036.99)	(27,436.06)
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार पर ब्याज-सुरक्षा प्रतिभूति		(0.28)	(0.13)
संदिग्ध ऋण का प्रावधान कार पर ब्याज-प्रतिभूति जमा		(78.49)	85.01
अन्य व्यापक आय		(2.07)	(1.36)
अप्राप्त विदेशी मुद्रा (वैईसीटी)		245.19	(39.26)
कार्यशील पूंजी मे परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		**1,46,122.55**	**1,39,323.59**
परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन			
गैरचालू परिसंपत्तियों में बढत/घटत		(13,747.76)	(33,287.68)
चालू परिसंपत्तियों बढत/घटत		(66,395.02)	(9,851.39)
मालसूचियों में बढत/घटत		(25,326.82)	-
गैर-चालू देयताओं में बढत/घटत		(2,626.10)	44.52
चालू देयताओं में बढत/घटत		4,85,287.67	(5,973.27)
कार्यशील पूंजी में निवल परिवर्तन		**3,77,191.97**	**(49,067.81)**
प्रचालन से उत्पन्न नकदी		5,23,314.52	90,255.77
घटाएं: आयकर का भुगतान (निवल)		(27,608.96)	(26,293.83)
प्रचालन गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल नकदी		**4,95,705.57**	**63,961.94**

ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री/क्रय		(70,604.28)	(84,925.10)
		(13.34)	-
स्थायी परिसंपत्तियों से लाभ/हानि		(1.56)	(0.37)
अन्य बैक		70,545.95	67,858.52
बैंक में जमा राशि पर प्राप्त किए गए ब्याज से उपार्जित ब्याज		18,594.06	20,396.13
आरओयू पर ब्याज-सुरक्षा प्रतिभूति		0.28	0.13
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार-सुरक्षा प्रतिभूति		(1.10)	(1.47)
निवेश क्रियाकलापों से निवल लागत		**18,520.00**	**3,327.84**
सी.वित्तीय गतिविधियों से लागत			
भुगतान किए गए लाभांश		-	-
वित्तीय लागत		(348.75)	(179.97)
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान		(107.06)	(5.43)
शेयर जारी करना		-	-
स		**(455.81)**	**(185.40)**
नकदी और नकदी समकक्षों पर विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव (वैईसीटी)		(245.19)	39.26
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि		5,13,524.57	67,143.64
वर्ष के शुरुआत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट 10 का संदर्भ लें)		1,12,397.98	45,254.34
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य (नोट 10 का संदर्भ लें)		**6,25,922.54**	**1,12,397.98**

सामग्री लेखांकन नीतियां तथा संलग्न नोट संख्या 1से 47 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। पिछले वर्ष के आंकडों को आवश्यकतानुसार पुन:व्यवस्थित/पुन:समूहन किया गया है।

हमारे समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते मेसर्स आर.बी.भूसारी एंड को.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं.101463W

सी ए प्रीति चौधरी
भागीदार
आईसीएआई सदस्यता सं.115122
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197

एस. षण्मुगा प्रिया
कंपनी सचिव
एफसीएस : 9535

राधा कृष्णा ए
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 10604322

राधाकृष्णन दुरैराज
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08382973

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 11.06.2025

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणियाँ

1. कंपनी का अवलोकन

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड ("एनएसआईएल" या "कंपनी") अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार (जीओआई) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एनएसआईएल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न उत्पादों और सेवाओं का व्यावसायिक उपयोग करती है और घरेलू तथा वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है तथा भारतीय उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण आधार का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। एनएसआईएल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करती है।

एनएसआईएल की व्यावसायिक गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:

- अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपग्रहों का स्वामित्व
- उपग्रहों का निर्माण और माँग के अनुसार उनका प्रमोचन
- ग्राहकों के उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से प्रमोचनयान का निर्माण और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रहों का प्रमोचन
- वाणिज्यिक आधार पर अंतरिक्ष आधारित सेवाएँ
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को मिशन सहायता सेवाएँ और
- भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इसरो मुख्यालय परिसर, न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरू-560094 में स्थित है।

2. तैयारी का आधार

क. अनुपालन की विवरणी:

ये वित्तीय विवरणी, भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत पर उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं, केवल कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस शिकायत अनुसूची) की अनुसूची III के प्रभाग II की प्रस्तुत आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

ये वित्तीय विवरण इंड एएस1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में निहित वर्गीकरण प्रावधानों के अनुरूप हैं। स्पष्टता के लिए, विभिन्न मदों को लाभ-हानि विवरण और तुलन पत्र में समेकित किया गया है। जहाँ भी लागू हो, इन मदों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में अलग से विभाजित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां किसी नए जारी किए गए लेखांकन मानक को आरंभ में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए, अब तक प्रयोग में रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हो।

ख. प्रकार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण लाखों भारतीय रुपये (लाखों में भारतीय रुपये) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। सभी राशियों को निकटतम लाखों में पूर्णांकित किया गया है।

ग. चालू/गैर-चालू वर्गीकरण

किसी भी परिसंपत्ति या देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

i. परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है या कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा है;

ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए है।

iii. परिसंपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई है;

iv. परिसंपत्ति/देयता की रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीनों तक इसे विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो;

vi. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी लिखतों के निर्गम द्वारा उसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह महीनों का निर्धारित किया है। यह सेवाओं की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों या इन्वेंटरी के अधिग्रहण और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय पर आधारित है।

घ. अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के मान्यता और मापन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों व देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों व देनदारियों के प्रकटीकरण और उस अवधि के दौरान राजस्व व व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में प्रभावित होने वाली किसी भी अवधि में। विशेष रूप से, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोटों में प्रकट की गई है:

(i) **राजस्व मान्यता**:

कंपनी निश्चित मूल्य अनुबंधों के संबंध में पूर्णता की दिशा में प्रगति को मापने के लिए अनुबंध में सहमत गतिविधि के समापन के मील के पत्थर/चरण का उपयोग करते हुए पूर्णता प्रतिशत पद्धति का उपयोग करती है। पूर्णता प्रतिशत पद्धति लेखांकन कुल अपेक्षित अनुबंध राजस्व और लागतों के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस पद्धति का पालन तब किया जाता है जब अनुबंध के विभिन्न तत्वों पर लागू राजस्व और लागतों के यथोचित रूप से विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं। चूँकि इन अनुबंधों की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है जिनका इन अनुबंधों की अवधि के दौरान निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, मान्यता प्राप्त राजस्व और लाभ अनुबंध के पूरा होने की ओर बढ़ने के साथ संशोधन के अधीन होते हैं।

(ii) **आयकर**:

आयकर के प्रावधान के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जिसमें यह निर्णय भी शामिल है कि कर निर्धारण में कर स्थितियां बरकरार रहने की संभावना है या नहीं। कर निर्धारण में जटिल मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जिनका समाधान केवल लंबी अवधि में ही किया जा सकता है।

(iii) **आस्थगित कर**:

आस्थगित कर, आस्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए, रिपोर्टिंग तिथि पर लागू या मूल रूप से लागू दरों पर, मान्य किए जाते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अंतिम प्राप्ति, उन अवधियों के दौरान भविष्य के कर योग्य लाभों के सृजन पर निर्भर करती है जिनमें वे

अस्थायी अंतर और कर हानि आगे ले जाने योग्य हो जाते हैं। कंपनी इस आकलन को करते समय आस्थगित कर, देनदारियों और अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय के अपेक्षित प्रतिवर्तन पर विचार करती है। हालाँकि, यदि आगे ले जाने की अवधि के दौरान भविष्य की कर योग्य आय के अनुमानों को कम कर दिया जाता है, तो वसूली योग्य मानी जाने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि निकट भविष्य में कम हो सकती है।

(iv) परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

परिभाषित लाभ योजनाओं की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

(v) वित्तीय परिसंपत्तियों पर अपेक्षित ऋण हानियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों के हानि प्रावधान चूक के जोखिम और वसूली के अपेक्षित समय के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, ग्राहक की साख, मौजूदा बाज़ार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों पर आधारित है।

ई. उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की कुछ लेखा नीतियों और प्रकटीकरणों में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्यों के मापन की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों को मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।

स्तर 2: में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) प्रेक्षणीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का मापन करते समय, कंपनी यथासंभव प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए प्रयुक्त इनपुट, उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में आते हैं, तो उचित मूल्य मापन को, संपूर्ण रूप से, उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें निम्नतम स्तर का इनपुट होता है, जो संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है।

एफ. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत वर्ष के लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों, पिछले या भविष्य के परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से संबंधित आय या व्यय के मदों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है। कंपनी उन सभी अत्यधिक तरल निवेशों को, जो आसानी से ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित हो सकते हैं, नकद और नकद के समकक्ष मानती है।

3. **भौतिक लेखांकन नीतियाँ**

(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(i) मान्यता और मापन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में उसका क्रय मूल्य, वस्तु को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से देय लागत, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर शामिल हैं, व्यापार छूट और रिबेट घटाने के बाद, शामिल हैं।

अंतरिक्ष विभाग (अंतरिक्ष विभाग) द्वारा हस्तांतरित उपग्रहों की लागत का लेखा, हस्तांतरण को अधिकृत करने वाले विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार किया जाता है।

एनएसआईएल द्वारा वित्त पोषित इन-ऑर्बिट उपग्रहों की लागत में उपग्रह निर्माण, प्रमोचन, बीमा, परिवहन, एलईओपी और इन-ऑर्बिट परीक्षण शुल्क और इन-ऑर्बिट परीक्षण पूरा होने तक लगने वाले अन्य आकस्मिक शुल्क शामिल हैं।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में गणना में लिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी भाग के निपटान पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ii) **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) में परिवर्तन**

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) में परिवर्तन के समय, कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को मान्य अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे पिछले GAAP के अनुसार मापा गया है, और उस वहन मूल्य को ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करेगी (संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर नोट 1 देखें)।

(iii) **अनुवर्ती व्यय**

उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

(iv) **मूल्यह्रास**

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके या परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार,प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों का उपयोग करके, जो भी अधिक हो, मूल्यह्रास को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लगाया गया है।

0.05 लाख रुपये से कम की परिसंपत्तियों की लागत का खरीद के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास किया गया है। 0.05 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की मूल लागत का 1% माना जाता है। 1% का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों के अधिकतम मूल्यह्रास के लिए माना जाता है। कंपनी द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनावधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवनावधि
भवन (विद्युत प्रणालियाँ)	10 वर्ष
भवन (अस्थायी संरचनाएँ)	3 वर्ष
भवन (आंतरिक भाग)	3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर	10 वर्ष
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	3 वर्ष

कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणालियाँ	3 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष
अंतरिक्ष विभाग द्वारा हस्तांतरित उपग्रह (अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित और हस्तांतरण के समय एनएसआईएल को सूचित)	2 से 15 वर्ष
एनएसआईएल के कक्षा में स्थित उपग्रह	निर्धारित मिशन कालावधि के अनुसार
भू अवलोकन उपग्रह	निर्धारित मिशन कालावधि के अनुसार
भू-खंड परिसंपत्तियाँ	3 से 15 वर्ष

अंतरिक्ष विभाग द्वारा कंपनी को हस्तांतरित उपग्रहों का उपयोगी जीवनावधि, अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे हस्तांतरण के समय कंपनी को सूचित किया जाता है। एनएसआईएल के कक्षा में स्थित उपग्रहों सहित उपग्रहों का कोई अवशिष्ट मूल्य नहीं है।

(बी) अमूर्त अचल संपत्तियाँ:

अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति को घटाकर दर्शाया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवनावधि में, उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से, सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

एक पहचान योग्य अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल कई कारकों पर आधारित होता है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी प्रगति) के प्रभाव और संपत्तियों से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुरक्षण व्यय का स्तर शामिल है। परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन काल की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से निर्मित/अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है और सीधी रेखा पद्धति पर पाँच वर्षों में परिशोधित किया जाता है। परिशोधन तब शुरू होता है, जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। जहाँ अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन करना संभव न हो या कोई निश्चित उपयोगी जीवन न हो (चाहे महत्वपूर्ण हो या न हो), वहाँ खरीद के वर्ष में ही लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास की वार्षिक समीक्षा की जाती है और जहाँ मूल्यह्रास का संकेत मिलता है, वहाँ परिसंपत्ति को मूल्यह्रास माना जाता है।

(ग) मालसूची:

मालसूची में व्यापारिक स्टॉक, कच्चा माल, प्रगति पर कार्य और तैयार माल शामिल होते हैं, जिनका मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

सामग्री की लागत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर निर्धारित की जाती है और इसमें उन्हें प्राप्त करने में किया गया व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में की गई अन्य लागतें शामिल होती हैं।

(घ) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब मान्य होते हैं जब यह उचित आश्वासन हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

क) विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित पूंजीगत अनुदानों को संबंधित संपत्तियों के सकल मूल्य से घटा दिया जाता है।

ख) राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्ययों में समायोजित किया जाता है।

ग) अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

(ङ) राजस्व

(i) **सभी**

अप्रत्यक्ष करों को घटाकर प्राप्त राजस्व की पहचान उस समय की जाती है जब ग्राहक या उनके निर्दिष्ट/अनुबंधित परियोजना को वितरणीय वस्तुएं वितरित किए जाते हैं। तथापि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में देरी होती है और ग्राहक स्वामित्व ग्रहण कर लेता है और बिल स्वीकार कर लेता है, तो राजस्व की पहचान तब भी की जाती है जब भौतिक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई हो, बशर्ते कि सुपुर्दगी की पूरी उम्मीद हो और वितरणीय वस्तुएं उपलब्ध हों, पहचाने गए हों और सुपुर्दगी के लिए तैयार हों। यदि सुपुर्दगी स्थापना/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो राजस्व की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर लेता और स्थापना/निरीक्षण पूरा नहीं हो जाता।

(ii) **सेवाएं**

क) प्रमोचन, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण:

ग्राहक के साथ अनुबंध के अनुसार, गतिविधि के समापन के मील के पत्थर/चरण के संदर्भ में, सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व की पहचान की जाती है।

ख) प्रवेश शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता, आदि।

सभी अप्रत्यक्ष करों को घटाकर राजस्व, अनुबंधित सेवा की प्रकृति के आधार पर, प्रदान करते समय तुरंत या आवधिक रूप से, या तो एकमुश्त सेवा या आवर्ती सेवा, मान्यता प्राप्त होती है।

ग) परामर्श सेवा

अनुबंधित परामर्श सेवा की प्रकृति के आधार पर, प्रदान करते समय तुरंत या आवधिक रूप से राजस्व की पहचान की जाती है।

(iii) **अन्य आय**

क) ब्याज

ब्याज आय को प्रोद्‌भवन के आधार मान्यता दी जाती है। तथापि, व्यापार प्राप्य से दंड स्वरूप ब्याज, आय प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) परिनिर्धारित क्षतियाँ

परिनिर्धारित क्षतियों के रूप में किसी भी दावे को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग) स्क्रैप बिक्री

उपकरण अनुरक्षण, माल सूची, परियोजना कार्य आदि से उत्पन्न स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय को प्राप्ति के आधार पर विविध आय के रूप में गणना की जाती है।

घ) रॉयल्टी

रॉयल्टी का लेखा, ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर, प्रोद्‌भवन आधार पर किया जाता है।

च) निवेश पर लाभांश

निवेश पर लाभांश को तब मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

छ) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव

रिपोर्टिंग अवधि के लिए विदेशी मुद्रा में शुद्ध लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है

छ) विदेशी मुद्रा संव्यवहार

(i) **प्रारंभिक मान्यता**

विदेशी मुद्रा लेनदेन, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों को लागू करके, प्रकार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किए जाते हैं।

(ii) **अनुवर्ती मापन**

विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दर पर प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी गई गैर-मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों का पुर्ननुवाद नहीं किया जाता है। विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(छ) वित्तीय उपकरण

(i) **मान्यता तथा प्रारंभिक मापन**

व्यापार प्राप्य राशियों को प्रारंभ में तब मान्यता दी जाती है जब वे उत्पन्न होती हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसके अधिग्रहण या निर्गम से सीधे संबंधित लेन-देन लागतों को लाभ-हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर तुरंत गिना जाता है।

(ii) **वर्गीकरण और अनुवर्ती मापन**

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्ति को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत;
- एफवीटीपीएल (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)
- एफवीओसीआई (अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करती है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करती है और उसे एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को धारण करना है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह उद्भूत होती है, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

एक ऋण निवेश को एफवीओसीआई पर मापा जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है:

- परिसंपत्ति एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर ऐसे नकदी प्रवाह उद्भूत होती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान होते हैं।

किसी ऐसे इक्विटी निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर, जिसे व्यापार के लिए नहीं रखा गया है, कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से निवेश के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को ओसीआई (एफवीओसीआई - इक्विटी निवेश के रूप में निर्दिष्ट) में प्रस्तुत करने का चयन कर सकती है। यह चयन निवेश-दर-निवेश के आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर मापी नहीं गई हैं, एफवीटीपीएल पर मापी जाती हैं।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवल लाभ और हानि, जिनमें कोई भी ब्याज या लाभांश आय शामिल हैं, लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं।
एफवीओसीआई पर ऋण निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज पद्धति के अंतर्गत ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। अन्य निवल लाभ और हानि को ओसीआई में दर्शाया जाता है। मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में संचित लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।
एफवीओसीआई पर इक्विटी निवेश	इन परिसंपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभांश को लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के एक हिस्से की वसूली को न दर्शाता हो। अन्य निवल लाभ और हानि को ओसीआई में दर्शाया जाता है और उन्हें लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	इन परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत में हानि को घटाया जाता है। ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ और हानि तथा हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को, लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय दायित्व:

वित्तीय दायित्वों को परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर मापा जाता है। यदि किसी वित्तीय दायित्व को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और निवल लाभ और हानि, किसी भी ब्याज व्यय सहित, लाभ और हानि विवरण में दर्शाए जाते हैं। अन्य वित्तीय दायित्वों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। मान्यता समाप्ति पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को, भी लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

(iii) **मान्यता रद्द करना**

(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द कर देती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या वह संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को ऐसे लेनदेन में स्थानांतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और प्रतिफल स्थानांतरित हो जाते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के लगभग सभी जोखिम और प्रतिफलों को न तो स्थानांतरित करती है और न ही उन्हें अपने पास रखती है और वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखती है।

(ख) **वित्तीय देयता**:

कंपनी किसी वित्तीय देयता को तब मान्यता नहीं देती है जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन, रद्दीकरण या समाप्ति हो जाती है।

कंपनी किसी वित्तीय देयता को तब भी मान्यता नहीं देती जब उसकी शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर होता है। इस स्थिति में, संशोधित शर्तों पर आधारित एक नए वित्तीय देयता को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त वित्तीय देयता की वहन राशि और संशोधित शर्तों के साथ नए वित्तीय देयता के बीच के अंतर को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ज) क्षति

(i) वित्तीय साधनों की क्षति

कंपनी निम्नलिखित पर अपेक्षित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ते को मान्यता देती है:

- परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्ति ऋण क्षतिग्रस्त हैं। एक वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण क्षतिग्रस्त' तब होती है जब एक या एक से अधिक घटनाएँ घटित होती हैं जिनका वित्तीय परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति के ऋण-क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण में निम्नलिखित अवलोकनीय आँकड़े शामिल हैं:

- आदाता या जारीकर्ता की गंभीर वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे कि चूक या 365 दिन या उससे अधिक समय से बकाया होना;
- कंपनी द्वारा किसी ऋण या अग्रिम का ऐसी शर्तों पर पुनर्गठन, जिन पर कंपनी अन्यथा विचार नहीं करती
- यह संभावना है कि अदाता दिवालिया हो जाए या अन्य वित्तीय पुनर्गठन करेगा: या
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाजार का लुप्त होना

व्यापारिक प्राप्तियों के लिए हानि भत्ते, आजीवन अपेक्षित ऋण के बराबर राशि पर मापे जाते हैं।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकार के विभागों, केंद्र/राज्य स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से देय राशि, जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ते मामले-दर-मामला आधार पर मापे जाते हैं और अपेक्षित ऋण हानि के लिए नहीं माने जाते हैं।

(ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा, की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति परीक्षण के लिए, ऐसी परिसंपत्तियाँ जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करतीं, उन्हें नकदी-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) में समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक सीजीयू उन परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं और जो अन्य परिसंपत्तियों या सीजीयू के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

I) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

(i) उपदान

कंपनी की गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य कर परिसंपत्तियों के अलावा, की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई क्षति का संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति परीक्षण के लिए, वे परिसंपत्तियाँ जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती हैं, उन्हें नकदी-उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) में समूहीकृत किया जाता है। प्रत्येक सीजीयू उन परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो अन्य परिसंपत्तियों या सीजीयू के नकदी प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र होते हैं।

यदि किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो क्षति हानि को मान्यता दी जाती है। हानि हानियों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

कंपनी ग्रेच्युटी प्रदान करती है, जो एन.एस.आई.एल के सभी कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है। यह योजना पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उनके कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है।

प्रावधान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। निवल परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त होते हैं।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)**

एनएसआईएल के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में नामांकित हैं। कंपनी पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% योगदान करती है, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है। योगदान का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है और लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

(iii) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**

दीर्घकालिक और अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, एनएसआईएल के कर्मचारियों के लिए एक अन्य रोजगार लाभ योजना है, जिसका लेखा तुलन पत्र शीट की तिथि पर एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ-हानि विवरण में तुरंत दर्ज किया जाता है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

(झ) आयकर

आयकर में चालू और स्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब कोई मद सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हो।

(i) **चालू कर**

चालू कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य अपेक्षित कर और पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में कोई भी समायोजन शामिल होता है। चालू कर की राशि, आयकर से संबंधित अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, भुगतान या प्राप्त होने वाली अपेक्षित कर राशि का सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों का समायोजन केवल तभी किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, और इसका उद्देश्य परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों के निवल आधार पर या एक साथ निपटान करना हो।

(ii) **आस्थगित कर**

वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में आस्थगित कर की पहचान की जाती है। आस्थगित कर को आगे ले जाए गए कर घाटे और कर क्रेडिट के संबंध में भी मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर निम्नलिखित के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है:

- किसी ऐसे लेन-देन में परिसंपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक पहचान पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी अंतर जो व्यावसायिक संयोजन नहीं है और जो लेन-देन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है;

- सद्भावना की प्रारंभिक पहचान पर उत्पन्न होने वाले कर योग्य अस्थायी अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिनके विरुद्ध उनका उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ - गैर-मान्यता प्राप्त या

मान्यता प्राप्त, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती हैं और क्रमशः उस सीमा तक मान्यता प्राप्त/कम की जाती हैं जहाँ तक यह संभावना है/अब संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होगा।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो उस अवधि पर लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति की वसूली या देयता का निपटान किया जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कानूनों पर आधारित होती है।

आस्थगित कर की गणना उन कर परिणामों को दर्शाती है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं की भरपाई तब की जाती है जब वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की भरपाई का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा एक ही कर योग्य इकाई पर, या विभिन्न कर संस्थाओं पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का निवल आधार पर निपटान करना चाहते हों अन्यथा उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएं एक साथ वसूल की जाएंगी।

(ट) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के निवल लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस निर्गम (यदि कोई हो) की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर तनु आय की गणना के प्रयोजनार्थ, इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले वर्ष के निवल लाभ या हानि और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

(ठ) प्रावधान और आकस्मिकताएँ:

प्रावधान तब माना जाता है जब किसी उद्यम पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है; यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

भारी अनुबंधों के लिए प्रावधान, अर्थात् ऐसे अनुबंध जहाँ अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की अपेक्षित अपरिहार्य लागतें, अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं, तब मान्यता प्राप्त होते हैं जब यह संभावना हो कि किसी दायित्वकारी घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व के निपटान हेतु आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जो ऐसे दायित्व के सर्वोत्तम अनुमान पर आधारित हो।

जब कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन संभवतः नहीं होगी।

(ड) नकद और नकद समतुल्य

नकदी और नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, बैंक जमा और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक निवेश शामिल हैं, जो आसानी से नकदी में परिवर्तित हो सकते हैं और मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

(ढ) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

पिछले वर्षों से संबंधित आय/व्यय, जो प्रत्येक लेनदेन में 300 लाख रुपये या टर्नओवर के 0.5% (जो भी अधिक हो) से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष का आय/व्यय माना जाता है।

(त) सरकारी भवन

अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदान किए गए भवन का किराया स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा बाजार के किराए के मूल्यांकन के आधार पर तब तक दर्ज किया जाएगा जब तक कि अंतरिक्ष विभाग से वास्तविक किराया मांग प्राप्त न हो जाए।

(थ) पट्टे

इंड-एएस 116 के अनुसार, सभी पट्टों का लेखा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देकर किया जाता है, केवल इसको छोडकर:

- कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे; और
- 12 महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टे

प्रारंभिक आवेदन की तिथि, 1 अप्रैल 2021 के बाद निम्नलिखित नीतियाँ लागू होंगी:

पट्टा देयताओं को पट्टा अवधि के दौरान पट्टादाता को देय संविदात्मक भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें छूट दर पट्टे में निहित दर के संदर्भ में निर्धारित की जाती है, जब तक कि (जैसा कि आमतौर पर होता है) यह आसानी से निर्धारित न हो, ऐसी स्थिति में पट्टा प्रारंभ होने पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनशील पट्टा भुगतान केवल तभी पट्टा देयता के मापन में शामिल किए जाते हैं जब वे किसी सूचकांक या दर पर निर्भर हों। ऐसे मामलों में, पट्टा देयता का प्रारंभिक मापन यह मानता है कि परिवर्तनशील तत्व संपूर्ण पट्टा अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। अन्य परिवर्तनशील पट्टा भुगतान उस अवधि में व्यय किए जाते हैं जिससे वे संबंधित हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, पट्टा देयता के वहन मूल्य में यह भी शामिल है:

- किसी भी अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशियाँ;
- कंपनी के पक्ष में दिए गए किसी भी क्रय विकल्प का प्रयोग मूल्य, यदि उस विकल्प का मूल्यांकन करना यथोचित रूप से निश्चित है;
- पट्टा समाप्त करने पर देय कोई भी दंड, यदि पट्टे की अवधि का अनुमान प्रयोग किए जा रहे समाप्ति विकल्प के आधार पर लगाया गया है।

उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्तियों को प्रारंभ में पट्टा देयता की राशि पर मापा जाता है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन के लिए घटाया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा शुरू होने पर या उससे पहले किए गए पट्टा भुगतान;
- प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें; और
- किसी भी प्रावधान की राशि, जहाँ कंपनी को अनुबंध के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति को विघटित, हटाने या पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

प्रारंभिक माप के बाद, बकाया राशि पर स्थिर दर से लगाए गए ब्याज के परिणामस्वरूप पट्टा देयताएँ बढ़ जाती हैं और किए गए पट्टा भुगतानों के लिए कम हो जाती हैं। उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की शेष अवधि या परिसंपत्ति के शेष आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है, यदि, कभी-कभार, यह पट्टा अवधि से कम पाया जाता है।

जब कंपनी किसी पट्टे की अवधि के अपने अनुमान को संशोधित करती है, तो वह संशोधित अवधि में किए जाने वाले भुगतानों को दर्शाने के लिए पट्टा देयता की वहन राशि को समायोजित करती है, जिन्हें संशोधित छूट दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देयताओं का वहन मूल्य भी इसी प्रकार संशोधित होता है जब किसी दर या सूचकांक पर निर्भर भावी पट्टा भुगतानों के परिवर्तनशील तत्व को संशोधित किया जाता है, केवल छूट दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों ही मामलों में, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के वहन मूल्य में एक समान समायोजन किया जाता है, जिसमें संशोधित वहन राशि को शेष (संशोधित) पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की वहन राशि को शून्य पर समायोजित किया जाता है, तो किसी भी अतिरिक्त कमी को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

उन अनुबंधों के लिए जो कंपनी को किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार प्रदान करते हैं और पट्टादाता द्वारा कंपनी को सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता रखते हैं, कंपनी ने पूरे अनुबंध को पट्टे के रूप में गणना के लिए विकल्प के रूप में चयन किया गया है, अर्थात् वह अनुबंध के हिस्से के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए संविदात्मक भुगतान की कोई भी राशि आवंटित नहीं होती है।

31.03.2025 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाले नोट्स

CIN: U74999KA2019GOI122175

(राशि रुपए लाख में)

नोट संख्या	विवरण		चालू रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2025 को समाप्त के आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2024 को समाप्त के आंकड़े
1	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**			
	(क) भवन		12.79	19.04
	(ख) फर्नीचर एवं फिक्सचर्स		47.24	49.94
	(ग) कंप्यूटर्स एवं पेरिफेरेल्स		107.51	97.11
	(घ) कार्यालय उपकरण		30.44	11.27
	(च) संचार प्रणाली		2.53	2.16
	(छ) मोटर कार		62.56	38.89
	(ज) इन- ऑर्बिट उपग्रह - अं.वि से स्थानांतरित		2,46,511.58	2,99,835.68
	(झ) इन-ऑर्बिट उपग्रह - एनएसआईएल		1,82,834.99	79,478.55
			4,29,609.61	**3,79,532.64**
2	**परिसंपत्तियों का उपयोग उपयोग का अधिकार**			
	भवन के उपयोग का अधिकार		253.83	294.99
			253.83	**294.99**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और शुद्ध वहन राशि का समाधान, जिसमें व्यवसाय संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से परिवर्धन, निपटान, अधिग्रहण और संबंधित मूल्यह्रास और हानि या उत्क्रम को दर्शाया गया है, अलग से प्रकट किया गया है।		**इस नोट का अनुलग्नक 1 देखें**	
3	**पूंजीगत कार्य प्रगति पर**			
	भू प्रेक्षण मिशन/संचार उपग्रह		40,676.00	84,031.81
	होस्टेड ऐंटेना		3,788.02	-
			44,464.02	**84,031.81**
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, कालावधि निर्धारण अनुसूची - अनुलग्नक-2 के अनुसार			
4	**अन्य मूर्त परिसंपत्तियाँ:**			
	(क) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		**1.57**	**19.93**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में प्रत्येक वर्ग की परिसंपत्तियों की सकल और शुद्ध वहन राशि का समाधान, जिसमें व्यवसाय संयोजनों और अन्य समायोजनों के माध्यम से परिवर्धन, निपटान, अधिग्रहण और संबंधित परिशोधन और हानि या उत्क्रमण को दर्शाया गया है, अलग से प्रकट किया गया है।		**इस नोट का अनुलग्नक 1 देखें**	
5	**विकासाधीन मूर्त परिसंपत्तियाँ**		**इस नोट का अनुलग्नक 1 देखें**	
	(क) सॉफ्टवेयर		**20.62**	**20.62**
	विकास कालक्रम अनुसूची के अंतर्गत मूर्त परिसंपत्तियां - अनुलग्नक-3 के अनुसार			

6	**अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ-गैर चालू**			
	(i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा राशि		3,600.31	-
	(ii) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि		-	7,600.00
	(iii) माल/सेवा के लिए अग्रिम		55,404.43	37,656.69
	(iv) सुरक्षा प्रतिभूति		3.33	1.80
			59,008.07	**45,258.49**
7	**अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां**			
	(i) प्रीपेड व्यय		17.73	18.91
	(ii) सुरक्षा प्रतिभूति		2.97	3.62
			20.70	**22.52**
8	**मालसूची**			
	(i) कच्चा माल			
	(ii) कार्य प्रगति पर			
	(क) पीएसएलवी उत्पादन सामग्री		22,387.08	-
	(ख) एसएसएलवी उत्पादन सामग्री		2,939.75	-
	(iii) तैयार माल			
			25,326.82	**-**
	नोट: पीएसएलवी और एसएसएलवी के उत्पादन के लिए सामग्री इसरो/उद्योग भागीदारों के विभिन्न केंद्रों पर है, इसलिए भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।			
9	**व्यापार प्राप्य**			
	(i) व्यापार प्राप्त अच्छा माल-प्रतिभूत		5,631.05	959.01
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध भत्ता शोध्य एवं संदिग्ध ऋण भत्ता			
			5,631.05	959.01
	(ii) व्यापार प्राप्य अच्छा माल - अप्रतिभूत		86,300.10	69,647.43
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण भत्ता			
			86,300.10	69,647.43
	(iii) व्यापार प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में अधिक वृद्धि है		221.58	300.07
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण भत्ता		221.58	300.07
			-	-
	(iv) व्यापार प्राप्य - क्रेडिट हानि		-	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण भत्ता		-	-
	(v) बिल न किए गए ऋणदाता		61,190.73	35,807.24
			1,53,121.89	**1,06,413.67**
	व्यापार प्राप्य कालक्रम निर्धारण अनुसूची - अनुलग्नक 4 के अनुसार			
10	**नकद एवं नकद समतुल्य**			
	(i) बैंक में शेष			
	(ii) एमओडी शेष सहित चालू खाते में शेष राशि		24,079.77	17,769.00
	(iii) 3 माह से कम अथवा समान परिपक्वता वाले बैंक शेष		6,01,841.82	94,628.95
	(iv) अग्रदाय नकद राशि		0.95	0.03
			6,25,922.54	**1,12,397.98**

11	**अन्य बैंक में शेष**			
	(i) 12 माह से कम अथवा समान शेष परिपक्वता वाले बैंक जमा		1,50,000.00	2,16,024.98
	(ii) सीएसआर गतिविधियों के लिए उदिष्ठ बैंक शेष		252.89	80.32
	(iii) मत्स्य विभाग के लिए उदिष्ट बैंक शेष		315.00	5,702.77
	(iv) केंद्रीय नोडल एजेंसी के लिए बैंक शेष		2,271.08	1,576.86
			1,52,838.97	**2,23,384.92**
	बैंक के पास निर्धारित शेष मुख्य रूप से विशिष्ट गतिविधि के लिए अलग से रखी गई निधि से संबंधित है, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के अनुसार / कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक है।			
12	**अन्य वित्तीय संपत्तियां-चालू**			
	(i) जारी गारंटी के प्रति मार्जिन धन के रूप में धारित जमा राशि		1,216.07	26.66
	(ii) बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज		6,442.93	7,039.93
	(iii) प्रोद्भूत ब्याज		1,434.26	3,455.18
	(iv) माल अथवा सेवा के लिए अग्रिम		23,364.65	9,391.49
	(v) अं.वि. से प्राप्य		6,661.96	2,965.60
			39,119.87	**22,878.86**
13	**अन्य चालू परिसंपत्तियां**			
	(i) आयकर एवं टीडीएस अग्रिम		25,958.34	16,237.25
	(ii) आयकर वसूली		47.07	(174.04)
	(iii) पूर्व व्यय		18.01	13.22
	(iv) अन्य परिसंपत्तियां		0.01	4.20
	(v) कर्मचारियों को अग्रिम		24.43	0.02
			26,047.84	**16,080.64**
14	**इक्विटी शेयर पूंजी:**			
	(क) प्राधिकृत			
	(i) शेयरों की संख्या	संख्या	7,50,00,00,000	7,50,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (रु) 10 रुपये प्रति शेयर		7,50,000.00	7,50,000.00
	(ख) निर्गम, अभिदत्त एवं पूर्ण नकद चुकता नकद के लिए और नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए			
	(i) शेयरों की संख्या	संख्या	5,60,76,00,000.00	5,60,76,00,000.00
	नकद के लिए जारी किए गए शेयरों की संख्या 91,00,00,000 और नकद के अलावा अन्य विचारार्थ जारी किए गए शेयरों की संख्या			
	(ii) शेयरों की राशि (रु) 10 रुपये प्रति शेयर		5,60,760.00	5,60,760.00
	(ग) प्रति शेयर सममूल्य		10.00	10.00
	(घ) अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान,			
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयरों की संख्या	संख्या	5,60,76,00,000	5,60,76,00,000
	(ii) घटाएं: वर्ष के दौरान वापस क्रय किए गए शेयरों की संख्या	संख्या	-	-
	(iii) जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयरों की संख्या	संख्या	-	-
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान	संख्या	5,60,76,00,000	5,60,76,00,000

(च)	लाभांश एवं पूंजी के पुनर्भुगतान के प्रतिबंधों सहित शेयरों के प्रत्येक वर्ग के साथ सम्बद्ध अधिकार, वरीयता एवं प्रतिबंध: कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अधीन, सभी अधिकार (प्रत्येक इक्विटी शेयर पर एक वोट के अधिकार सहित), सभी वरीयताएँ और प्रतिबंध (इक्विटी शेयरों केअंतरण पर प्रतिबंध सहित) निदेशक मंडल के पास निहित हैं। यदि कोई लाभांश बोर्ड द्वारा प्रस्तावित है, तो उसका भुगतान कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित आवश्यक अनुमोदन के अधीन किया जाएगा। जब तक कि निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्यथा छूट न दी जाए या संशोधित न किया जाए, कर-पश्चात लाभ का न्यूनतम 30% या निवल संपत्ति का 4% (निवल संपत्ति का वार्षिक 5%), जो भी अधिक हो, डीआइआरपीएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा। - कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त वर्ष 2028-29 तक लाभांश के भुगतान से छूट की मांग करते हुए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
(छ)	कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए: भारत सरकार अपने नामांकित व्यक्तियों सहित - 56,07,60,00,000 रुपये की 100% चुकता शेयर पूंजी, 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5,60,76,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित (पिछले वर्ष - 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 5,60,76,00,000 शेयर
(ज)	विकल्प के अंतर्गत कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।
(झ)	तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इक्विटी शेयरों में परिवर्तन योग्य कोई प्रतिभूतियां नहीं हैं।
(i)	तुलन पत्र तैयार किए जाने की तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि से संबंधित सूचना अनुलग्नक 5 के अनुसार:

1 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार प्रोमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरों का कुल प्रतिशत	वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति तथा नामिति	5,60,76,00,000	100.00	शून्य

15	**अन्य इक्विटी**		
	इक्विटी में परिवर्तन के संलग्न विवरण के अनुसार	2,60,995.44	1,78,777.33
	लाभ और हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
	रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	1,78,777.67	99,175.62
	जोड़ें: अवधि के लिए लाभ का हस्तांतरण	82,220.18	79,603.06
	जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(1.55)	(1.02)
	घटाएँ: लाभांश का भुगतान (इक्विटी में परिवर्तन के संलग्न विवरण के अनुसार)	-	-
	रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक शेष राशि	**2,60,996.30**	**1,78,777.67**
16	**वित्तीय देयताएं-गैर चालू**		
	पट्टे पर देयता एं	118.56	185.48
		118.56	**185.48**
	कंपनी द्वारा किए गए पट्टा अनुबंध मुख्य रूप से सामान्य क्रम में अपना व्यवसाय चलाने के लिए पट्टे पर ली गई इमारत से संबंधित हैं।		

17	**अन्य वित्तीय देयताएं-गैर चालू**		
	ग्राहकों से अग्रिम		
	प्रोबा	-	2,675.95
	समूहा	40,288.48	40,288.48
	जीसैट 7बी	83,345.48	83,345.48
		1,23,633.96	**1,26,309.91**
18	**प्रावधान**		
	(क) **कर्मचारी के हितलाभ के लिए प्रावधान**		
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	48.85	26.67
	उपदान के लिए	42.75	15.08
		91.60	**41.75**
19	**आस्थगित कर देयताएं**	6,158.19	5,579.41
	आस्थगित कर देयताएं	**6,158.19**	**5,579.41**
20	**वित्तीय देयताएं-चालू**		
	पट्टे पर देयता	153.34	126.10
		153.34	**126.10**
21	**व्यापार देयताएं**		
	(i) सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योगों (एमएसएमई)* के लिए देयताएं	2,257.84	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों को देय राशि ***	75,321.17	62,820.68
		77,579.01	**62,820.68**
	व्यापार देय एजिंब अनुसूची- अनुलग्नक-6 के अनुसार		
	अतिरिक्त सूचना:		
	कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:		
	विवरण		
	1 देय और अप्रदत्त मूल राशि*	2,257.84	-
	2 उपरोक्त (1) पर देय ब्याज और अदत्त ब्याज	-	-
	3 एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान	-	-
	4 वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान	-	-
	5 उपरोक्त (3) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज	-	-
	6 अर्जित और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	7 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	-	-
नोट	*22,57,84,111 रुपये की देय मूल राशि में से, 19,92,34,890 रुपये मेसर्स वामा इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, जो आईटी उत्पादों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए है। हालाँकि मेसर्स वामा इंडस्ट्रीज ने चालान जमा कर दिए हैं, लेकिन भुगतान देय नहीं है क्योंकि खरीद/कार्य आदेश से संबंधित संबंधित कार्य/कार्यस्थल बैलेंस शीट की तिथि तक अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।		

22	**अन्य वित्तीय हितलाभ**		
	(i) व्यय के लिए ऋणदाता		
	(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय (एमएसएमई)	53.84	3.73
	(ख) एमएसएमई के अलावा देनदारों को बकाया ***	1,219.57	307.33
	व्यय काल निर्धारण अनुसूची के लिए लेनदार - अनुलग्नक-7 के अनुसार		
	विवरण		
	1 मूल धनराशि देय तथा शेष अदत्त	53.84	3.73
	2 उपरोक्त(1) पर देय ब्याज तथा अदत्त ब्याज		
	3 एमएसएईडी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतान पर भुगतान किए गए ब्याज		
	4 वर्ष के दौरान निर्दिष्ट दिवस के बाद किए गए भुगतान		
	5 उपरोक्त (3) के अलावा विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज		
	6 अर्जित और अप्रदत्त ब्याज		
	7 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, आगामी वर्षों में भी देय और बकाया ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।		
	(ii) एसएससी के अलावा अन्यों से अग्रिम	4,61,258.44	12,127.50
	(iii) अग्रमि-मत्स्य विभाग	220.15	5,734.13
	(iv) अग्रदाय प्रतिभूति	1,309.61	1,426.52
	(v) आईसीआरडी इन्सटेंट केपेसिटी रिजर्वेशन डिपॉजिट	640.25	715.88
	(vi) एसएससी के लिए अग्रिम	3,380.52	3,416.64
	(vii) आस्थगित दंडस्वरूप ब्याज	363.56	207.61
	(viii) अन्य देयताएं	0.43	1,199.46
		4,68,446.38	**25,138.80**
23	**अन्य चालू देयताएं**		
	(i) संवैधानिक देयताएं		
	जीएसटी	18,826.60	(1,232.88)
	टीडीएस	1,334.30	2,963.81
	पीटी	0.12	0.06
	(ii) अन्य देयताएं	2,261.14	1,581.73
	(iii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए बकाया	1,503.39	803.25
		23,925.55	**4,115.98**
24	**अल्पकालिक प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी हितलाभ के प्रावधान		
	छुट्टी नकदीकरण के लिए	7.04	3.61
	उपदान के लिए	0.11	0.02
	(ख) अन्य		
	आयकर के लिए प्रावधान	33,886.33	26,477.67
		33,893.49	**26,481.31**

31 मार्च,2025 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के अभिन्न भाग नोट

(राशि रुपए लाख में)

नोट संख्या	विवरण	31.03.2025 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकडे	31.03.2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के अनुसार आंकडे
25	**प्रचालन से राजस्व**		
	(क) उत्पाद की बिक्री		
	(i) निर्यात	-	56.92
	(ii) घरेलू	6,349.65	6,210.52
	(iii) बिल न किया गया आय	16,500.33	-
	कुल क	**22,849.98**	**6,267.43**
	(ख) सेवा की बिक्री		
	(i) **निर्यात**		
	प्रमोचन सेवाएं	44,627.53	21,714.42
	मिशन सहायता सेवाएं	297.91	168.35
	सुदूर संवेदन आय	3.68	-
	प्रमोचन सेवा के लिए प्रचालन सहायता	314.81	-
	(ii) **घरेलू**		
	अग्रेषित संविदा एसएससी-इसरो उपग्रह	27,394.27	27,334.18
	बिल न किया गया राजस्व	-	8,702.16
	घटाएं: अंतरिक्ष विभाग का राजस्व अंशभाग	(24,654.85)	(24,600.76)
		(0.00)	(7,831.94)
		2,739.43	3,603.63
	घटाएं: बिल न की गई लागत - एसएससी संविदा का अग्रेषण-एनसिल उपग्रह	1,14,904.47	1,05,874.62
	बैक टू बैक एसएससी	71,527.10	73,095.32
	प्रमोचन सेवा आईआर	115.60	106.68
	सुदेर संवेदन	1,718.01	-
	गेटवे अवसंरचना तथा प्रचालन प्रभार	-	-
	घटाएं: अंतरिक्ष विभाग राजस्व अंशभाग	-	-
		-	-
	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	240.49	269.00
	मिशन सहायता सेवाएं	7,596.79	1,426.02
	परियोजना प्रबंधन सेवाएं	760.00	-
	बिल न किया गया राजस्व	8,460.16	25,399.97
	कुल (ख)	**2,53,305.98**	**2,31,658.02**
	कुल (क) +(ख)	**2,76,155.96**	**2,37,925.45**

26	**अन्य आय**		
	(क) ब्याज पर आय		
	(i) बैंक में जमा पर	25,036.99	27,436.06
	(ii) एसएससी एवं बी2बी पर	429.99	81.45
	(iii) ब्याज अन्य	-	389.67
	(iv) ब्याज-आरओयू	0.28	0.13
	(ख) विविध आय	72.05	0.95
		25,539.31	**27,908.26**
27	**प्रचालन से राजस्व की लागत**		
	(क) उत्पादों की लागत		
	(i) निर्यात	-	-
	(ii) घरेलू	20,850.59	5,767.77
	कुल क	**20,850.59**	**5,767.77**
	(ख) सेवाओं की लागत		
	(i) **निर्यात**		
	प्रमोचन सेवाएं	29,789.67	15,872.73
	प्रमोचन सहायता के लिए वैकल्पिक सेवाएं	-	-
	मिशन सहायता सेवाएं	133.90	79.09
	(ii) **घरेलू**		
	बैक टू बैक एसएससी	67,600.22	69,152.01
	मिशन सहायता सेवाएं	2,585.06	1,332.73
	प्रोद्योगिकी अंतरण की लागत	219.15	259.74
	प्रमोचन सेवाएं	80.64	(88.32)
	डब्लयूपीसी लाइसेंस प्रभार	-	0.57
	उपग्रह प्रचालन की लागत	4,862.70	4,431.86
	सुदूर संवेदन सेवाएं	1,543.62	-
	कुल (ख)	**1,06,814.95**	**91,040.41**
	कुल (क) + (ख)	**1,27,665.54**	**96,808.18**
28	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	कर्मचारी हितलाभ व्यय-इसरो	62.22	145.03
	कर्मचारी हितलाभ व्यय-प्रतिनियुक्ति	549.19	161.23
	कर्मचारी हितलाभ व्यय-एनएसआईएल		
	वेतन एवं भत्ते	528.78	245.53
	चिकित्सा	1.60	2.58
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएं	4.90	2.12
	निष्पादन संबंधी भुगतान	121.96	15.27
	छुट्टी नकदीकरण भुगतान	3.05	1.17
	छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	25.61	13.99
	उपदान प्रावधान	25.68	6.66
	सेवानिवृत्ति के बाद लाभ	80.00	-
	एनपीएस में योगदान	50.69	24.08
		1,453.69	**617.65**

29	**वित्त लागत**		
	आईटी पर ब्याज / आईटी टीडीएस	314.01	2.18
	एनपीएस प्रेषण में देरी पर ब्याज	-	0.00
	स्त्रोत पर कर कटौति पर आयकर ब्याज	5.72	1.56
	पट्टे पर वित्त लागत	28.91	24.96
	जीएसटी पर ब्याज	0.11	151.26
		348.75	**179.97**
30	**मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	60,108.41	59,829.04
	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	109.65	23.50
	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	5.04	10.33
		60,223.10	**59,862.87**
31	**अन्य व्यय**		
	प्रशासन संबंधी व्यय		
	बैंक गारंटी तथा एलसी प्रभार	2.84	28.58
	बैंक के शुल्क	6.59	12.75
	संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(78.49)	85.01
	संचार व्यय	32.64	27.81
	परामर्शी एवं व्यावसायिक शुल्क	240.35	139.44
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां व्यय	1,272.23	877.81
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रति	2.00	2.50
	आयकर लेखापरीक्षा के प्रति	1.00	0.50
	प्रमाणपत्र प्रभार के प्रति	-	-
	स्थापना व्यय	79.25	50.22
	बीमा की किश्तें	6.01	3.18
	स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	13.34	
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	1.56	0.37
	विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद पर निवल (लाभ)/हानि	(431.28)	257.09
	कार्यालय का व्यय	43.22	50.88
	कार्यालय अनुरक्षण व्यय	16.62	10.52
	सुरक्षा सेवा व्यय	34.66	21.13
	मुद्रण एवं स्टेशनरी व लेखन सामगी	13.74	12.48
	वाहन अनुरक्षण शुल्क	3.16	1.49
	दर एवं कर	6.28	4.65
	किराया एवं भवन का अनुरक्षण	16.63	(123.92)
	विद्युत एवं जल का शुल्क	17.35	17.77
	भर्ती शुल्क	0.29	3.22
	संगोष्ठी, बैठक एवं कार्यक्रम का व्यय	117.54	79.64
	प्रशिक्षण शुल्क	0.45	0.94
	यात्रा व्यय		
	घरेलू	104.12	69.89
	विदेशी	23.12	38.09
	वेबसाइट का अनुरक्षण	8.63	7.41
	विविध व्यय	20.32	0.00
	कुल (क)	**1,574.19**	**1,679.45**

	बिक्री व्यय		
	विज्ञापन एवं प्रचार	17.65	8.71
	व्यापार विकास	3.92	4.71
	कुल (ख)	**21.58**	**13.42**
	कुल अन्य व्यय (क)+(ख)	**1,595.77**	**1,692.87**
32	**आयकर-चालू कर**		
	चालू वर्ष	34,231.29	19,434.51
	पूर्ववत वर्ष	(6,622.33)	6,859.32
		27,608.96	**26,293.83**
33	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उत्पन्न आस्थगित कर (बचत)	579.30	775.30
		579.30	**775.30**

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

32. कर व्यय

क) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि (राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय	27,608.96	26,293.83
आस्थगित कर व्यय (आय)	579.30	775.30
निवल कर व्यय	**28,188.26**	**27,069.13**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि (राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
रोजगार के बाद परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन (हानि) / लाभ	(2.07)	(1.36)
उपरोक्त मद का कर प्रभाव	(0.52)	(0.34)
व्यय (आयकर के बाद शुद्ध)	(1.55)	(1.02)

ग) आयकर प्रावधान का समाधान (राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	दर	राशि	दर
निरंतर प्रचालन से कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,10,408.44	25.168%	1,06,672.19	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय		27,787.60		26,847.26
अपेक्षित आयकर व्यय को रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय से मिलाने के लिए समायोजन का कर प्रभाव				
गैर-कटौती योग्य व्यय				
सीएसआर व्यय	1,272.23	320.19	877.81	220.93
टीडीएस पर ब्याज और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया टीडीएस	319.72	80.47	3.75	0.94
समायोजन का प्रभाव (शुद्ध)	1,591.95	400.66	881.56	221.87
वर्ष के लिए कुल आयकर		**28,188.26**		**27,069.13**
प्रभावी कर दर		**25.53%**		**25.38%**

घ) मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देनदारियां

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)	आस्थगित कर देनदारियां	शुद्ध आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) देनदारियां	'आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)	'आस्थगित कर देनदारियां	शुद्ध आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) देनदारियां
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (अमूर्त संपत्ति सहित)	-	436.17	436.17	-	806.40	806.40
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	-	19.75	19.75	(21.39)	-	(21.39)
प्रावधान- कर्मचारी हितलाभ	(12.91)	-	(12.91)	(5.20)	-	(5.20)
आरओयू और पट्टे पर देनदारियों पर समय संबंधी अंतर		136.29	136.29	(4.51)		(4.51)
ओसीआई पर कर का प्रभाव	(0.52)		(0.52)	(0.34)		(0.34)
शुद्ध आस्थगित कर (परिसंपत्ति) देनदारियाँ	**(13.43)**	**592.21**	**578.78**	**(31.45)**	**806.40**	**774.95**

ई) अस्थायी अंतर में चलन

(राशि रुपए लाख में)

32. कर व्यय	01 अप्रैल 2024 तक शेष राशि	वर्ष 2024-25 के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	वर्ष 2024-25 के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2025 तक शेष राशि
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (अमूर्त संपत्ति सहित)	5,669.30	436.17	-	6,105.48
प्रावधान- कर्मचारी हितलाभ	(9.52)	(12.91)		(22.43)
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	(75.52)	19.75		(55.77)
आरओयू और पट्टे पर देनदारियों पर समय संबंधी अंतर	(4.51)	136.29		131.77
ओसीआई पर कर का प्रभाव		(0.52)		(0.52)
कुल	**5,579.75**	**578.78**	**-**	**6,158.53**

(Amount INR in lakhs)

विवरण	01 अप्रैल 2023 तक शेष राशि	वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	वर्ष 2023-24 के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2024 तक शेष राशि
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (अमूर्त संपत्ति सहित)	4,862.90	806.40	-	5,669.30
प्रावधान- कर्मचारी हितलाभ	(4.32)	(5.20)		(9.52)
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	(54.13)	(21.39)		(75.52)
आरओयू और पट्टे पर देनदारियों पर समय संबंधी अंतर		(4.51)		(4.51)
ओसीआई पर कर का प्रभाव		(0.34)		(0.34)
कुल	**4,804.45**	**774.95**	**-**	**5,579.41**

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएँ

कंपनी का आय और व्यय के कर उपचार से संबंधित आयकर प्राधिकारियों के साथ कोई विवाद नहीं चल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के वैधानिक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के परिणामस्वरूप, कर योग्य आय में संशोधन हुआ जिससे कर देयता प्रभावित हुई। आयकर अधिनियम की धारा 142(1), धारा 143(3) के तहत उनके नोटिस के जवाब में कर विभाग को संशोधित कर योग्य आय प्रस्तुत की गई थी। आयकर अधिकारियों को अभी संशोधित गणना पर विचार करना है और 474.77 लाख रुपये की वापसी के लिए पारित आदेश में सुधार करना है।

19 & 33. आस्थगित कर (शुद्ध)

(राशि रुपए लाख में)

विवरण		31.03.2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का गठन करने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव			
पीपीई के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर			
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्थायी अस्वीकृति		12.91	9.71
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		(19.75)	21.39
ओसीआई		0.52	0.34
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनवशोषित हानियाँ आगे ले जाई गईं			
		(6.32)	**31.45**
आस्थगित कर देयता वाली वस्तुओं का कर प्रभाव			
पीपीई के बही शेष और कर शेष के बीच अंतर पर		436.17	806.40
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्थायी अस्वीकृतियाँ		136.29	-
		572.46	**806.40**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त की जाने वाली राशि		**(578.78)**	**(774.95)**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का आरंभिक शेष		(5,579.41)	(4,804.45)
31 मार्च 2025 तक आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)		**(6,158.19)**	**(5,579.41)**

34. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए मिलने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस राशि की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ और बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित करके की जाती है, जिसमें सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के समायोजन के बाद की जाती है

i. मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ

(राशि रुपए लाख में)

	31 मार्च,2025	31 मार्च,2024
कर के बाद लाभ	82,219	79,602
मूल आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ	**82,219**	**79,602**
अन्य	-	-
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ, विलयन के प्रभाव के लिए समायोजित	**82,219**	**79,602**
प्रति शेयर मूल / समायोजित आय (रुपए में)	1.47	1.42
प्रति शेयर तनुकरण आय (रुपए में)	1.47	1.42

ii. इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या

31-03-2025

विवरण	दिनांक	शेयरों की संख्या	शेयरों का संतुलन	आवंटित वजन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
अथ शेष	01-04-2024	5,60,76,00,000	5,60,76,00,000	365	5,60,76,00,000
ईपीएस बैलेंस के लिए 31 मार्च, 2024 को शेयरों की आरंभिक भारित औसत संख्या					**5,60,76,00,000**

31-03-2024

विवरण	दिनांक	शेयरों की संख्या	शेयरों का संतुलन	आवंटित वजन (दिनों में)	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या
अथ शेष	01-04-2023	5,60,76,00,000	5,60,76,00,000	366	5,60,76,00,000
ईपीएस बैलेंस के लिए 31 मार्च, 2024 को शेयरों की आरंभिक भारित औसत संख्या					**5,60,76,00,000**

35. वित्तीय साधन - उचित मूल्य तथा जोखिम प्रबंधन

A. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य

(राशि रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च,2025				31 मार्च,2024								
	एफवीटी	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	एफवीटी	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	कुल		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ													
गैर - चालू वित्तीय परिसंपत्तियां													
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	59,008.07	59,008.07	-	-	45,258.49	45,258.49		-	-	-	-
पूर्वभुगतान किए गए व्यय			17.73	17.73			18.91	18.91		-	-	-	-
प्रतिभूति जमा			2.97	2.97			3.62	3.62					
	-	-	59,028.77	59,028.77	-	-	45,281.01	45,281.01		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ													
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ													
व्यापार प्राप्य	-	-	1,53,121.89	1,53,121.89	-	-	1,06,413.67	1,06,413.67		-	-	-	-
नकद तथा नकद समतुल्य	-	-	6,25,922.54	6,25,922.54	-	-	1,12,397.98	1,12,397.98		-	-	-	-
अन्य बैंक में बकाया राशि	-	-	1,52,838.97	1,52,838.97	-	-	2,23,384.92	2,23,384.92		-	-	-	-
जारी गारंटी के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई जमा राशि	-	-	1,216.07	1,216.07	-	-	26.66	26.66		-	-	-	-
बैंकों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज	-	-	6,442.93	6,442.93	-	-	7,039.93	7,039.93		-	-	-	-
जमा पूँजी	-	-	1,434.26	1,434.26	-	-	3,455.18	3,455.18		-	-	-	-
वस्तुओं या सेवाओं के लिए अग्रिम	-	-	23,364.65	23,364.65	-	-	9,391.49	9,391.49		-	-	-	-
अंतरिक्ष विभाग से प्राप्य			6,661.96	6,661.96			2,965.60	-					
	-	-	9,71,003.28	9,71,003.28	-	-	4,65,075.43	4,62,109.83		-	-	-	-
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-					
उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ													
पट्टा देयताएं			118.56	118.56			185.48	185.48		-	-	-	-
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया													
गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ													
ग्राहकों से अग्रिम रकम लेना	-	-	1,23,633.96	1,23,633.96	-	-	1,26,309.91	1,26,309.91					
	-	-	1,23,752.53	1,23,752.53	-	-	1,26,495.39	1,26,495.39		-	-	-	-

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-					
वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ													
पट्टा देयताएं			153.34	153.34			126.10	126.10		-	-	-	-
वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर नहीं मापा गया										-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ										-	-	-	-
व्यापार देयताएं	-	-	77,579.01	77,579.01	-	-	62,820.68	62,820.68		-	-	-	-
खर्चों के लिए लेनदारों	-	-	1,273.41	1,273.41	-	-	311.06	311.06		-	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्य के लिए अग्रिम	-	-	4,61,258.44	4,61,258.44	-	-	12,127.50	12,127.50		-	-	-	-
अग्रिम- मत्स्य विभाग	-	-	220.15	220.15	-	-	5,734.13	5,734.13		-	-	-	-
सावधानी जमा	-	-	1,309.61	1,309.61	-	-	1,426.52	1,426.52		-	-	-	-
आईसीआरडी [इनसैट क्षमता आरक्षण जमा]	-	-	640.25	640.25	-	-	715.88	715.88					
एसएससी के लिए अग्रिम	-	-	3,380.52	3,380.52	-	-	3,416.64	3,416.64		-	-	-	-
आस्थगित दंडात्मक ब्याज	-	-	363.56	363.56	-	-	207.61	207.61					
अन्य देनदारियाँ			0.43	0.43			1,199.46	1,199.46					
	-	-	5,46,178.73	5,46,178.73	-	-	88,085.58	88,085.58					

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।.

इस अवधि के दौरान लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है

ख.वित्तीय जाखिम प्रबंधन

कंपनी को वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है:

- उधार जोखिम
- तरलता जोखिम ; और
- बाजार जोखिम

i. **जोखिम प्रबंधन ढांचा**

कंपनी की गतिविधियाँ उसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ारों की अनिश्चितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। कंपनी के लिए प्राथमिक बाज़ार जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का ऋण जोखिम जोखिम मुख्य रूप से ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है।

36. वित्तीय साधनों - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन(जारी)

ii. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम से तात्पर्य उस जोखिम से है जिसमें प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन नहीं कर पाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानि होगी। ऋण जोखिम ग्राहकों से प्राप्त ऋण, बैंकों में नकदी और नकदी समतुल्य, सुरक्षा जमा और ऋणों से उत्पन्न होता है।

कंपनी ने अपने ग्राहकों/प्राप्तियों के लिए एक स्थापित ऋण नीति मानदंड स्थापित किए हैं। एक वर्ष से अधिक अवधि की व्यापारिक प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से सरकारी विभागों, सरकारी संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त होता है, जिससे ऐसी प्राप्तियों से जुड़ा ऋण जोखिम न्यूनतम हो जाता है। गैर-सरकारी व्यापारिक प्राप्तियों के मामले में, अधिकांश व्यापारिक प्राप्तियाँ सतर्कता जमा और बैंक गारंटी के माध्यम से सुरक्षित होती हैं, जिससे ऋण जोखिम कम हो जाता है।

कुछ मामलों में, ग्राहकों को बाज़ार की स्थितियों और उनके पिछले धन-प्रेषण के आधार पर ऋण दिया जाता है। संविदात्मक शर्तों आदि को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाली हानि (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान किया गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में ऋण जोखिम न्यूनतम है क्योंकि वे ज्यादातर सरकारी विभाग/पार्टियों से देय हैं।

37. वित्तीय साधन - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसका सामना कंपनी को वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में, ऐसे दायित्वों के बदले नकदी और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रदान करने में करना पड़ सकता है। तरलता प्रबंधन के प्रति कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहाँ तक संभव हो, उसके पास सामान्य और तनावपूर्ण, दोनों ही स्थितियों में, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हो, बिना किसी अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए।

31 मार्च 2025 को नकद और नकद समकक्ष तथा अन्य बैंक शेष -7,78,761.51 लाख (31 मार्च 2024 तक 3,35,782.90 लाख) थे। यह बैंकों के पास चालू खाता शेष, जिसमें एमओडी शेष भी शामिल है, और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं के रूप में है, सिवाय उन जमाओं के जो कंपनी द्वारा अग्रिम और निष्पादन के लिए प्राप्त बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में रखी गई हैं। सावधि जमाओं का बड़ा हिस्सा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास रखा गया है।

तरलता जोखिम के प्रति जोखिम

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वताएँ निम्नलिखित हैं। ये राशियाँ सकल और बिना छूट वाली हैं, और इनमें अनुमानित ब्याज भुगतान शामिल हैं और नेटिंग समझौतों का प्रभाव शामिल नहीं है।

(राशि रुपए लाख में)

संविदात्मक नकद प्रवाह

31 मार्च, 2025

	राशि का वहन	1 वर्ष की अवधि से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
गैर चालू					
पट्टा देयताएं	118.56	-	118.56	-	-
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियां	1,23,633.96	-	1,23,633.96	-	-
चालू					
पट्टे की देनदारियां	153.34	153.34	-	-	-
व्यापार देय	77,579.01	77,579.01	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	1,273.41	1,273.41	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्य के लिए अग्रिम	4,61,258.44	4,61,258.44	-	-	-
अग्रिम - मत्स्य विभाग	220.15	220.15	-	-	-
अवधान जमा	1,309.61	1,309.61	-	-	-
आईसीआरडी [इनसैट क्षमता आरक्षण जमा]	640.25	640.25	-	-	-
एसएससी के लिए अग्रिम	3,380.52	3,380.52	-	-	-
आस्थगित आय के लिए देयता	363.56	363.56	-	-	-
अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ	0.43	0.43	-	-	-
	6,69,931.26	**5,46,178.73**	**1,23,752.53**	**-**	**-**

संविदात्मक नकद प्रवाह

31 मार्च, 2024

(राशि रुपए लाख में)

	वहन की जा रही राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियाँ					
गैर चालू					
पटे की देनदारियाँ	185.48	-	185.48	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय देनदारियां	1,26,309.91	-	1,26,309.91	-	-
चालू					
पट्टे की देनदारियां	126.10	126.10	-	-	-
व्यापार देय	62,820.68	62,820.68	-	-	-
व्यय के लेनदार	311.06	311.06	-	-	-
एसएससी के अलावा अन्य के लिए अग्रिम	12,127.50	12,127.50	-	-	-
अग्रिम - मत्स्य विभाग	5,734.13	5,734.13	-	-	-
अवधान जमा	1,426.52	1,426.52	-	-	-
आईसीआरडी [इनसैट क्षमता आरक्षण जमा]	715.88	715.88	-	-	-
एसएससी के लिए अग्रिम	3,416.64	3,416.64	-	-	-
आस्थगिम दंडात्मक ब्याज	207.61	207.61	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां	1,199.46	1,199.46	-	-	-
	2,14,580.97	**88,085.58**	**1,26,495.39**	**-**	**-**

38. वित्तीय उपकरण - उचित मूल्य और जोखिम प्रबंधन (जारी)

बाजार ज़ोखिम

बाज़ार जोखिम से तात्पर्य उस संभावना से है कि बाज़ार दरों में बदलाव का कंपनी के मुनाफ़े या उसके वित्तीय साधनों के मूल्य पर असर पड़ सकता है। कंपनी विदेशी विनिमय दरों, ब्याज दरों और अंतर्निहित इक्विटी कीमतों के कारण बाज़ार जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी को विदेशी मुद्रा में उत्पादों और सेवाओं के निर्यात और आयात के कारण मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है।

कंपनी के मुद्रा जोखिम के बारे में सारांश मात्रात्मक डेटा इस प्रकार है:

मार्च 31, 2025 के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				राशि लाख रुपए में			
	वित्तीय परिसंपत्तियां	गैर चालू देनदारियां	चालू देनदारियां	निवल प्राप्य (देय)	वित्तीय परिसंपत्तियां	गैर चालू देनदारियां	चालू देनदारियां	निवल प्राप्य/ (देय)
यूरो (EUR)	75,13,503	-	8,655	75,04,848	6,936.81	-	7.99	6,928.82
यूएस डॉलर (USD)	75,18,888	-	65,19,104	9,99,784	6,434.77	-	5,579.14	855.63

मार्च 31, 2024 के अनुसार

मुद्रा	विदेशी मुद्रा में राशि				राशि लाख रुपए में			
	वित्तीय परिसंपत्तियां	गैर चालू देनदारियां	चालू देनदारियां	निवल प्राप्य (देय)	वित्तीय परिसंपत्तियां	गैर चालू देनदारियां	चालू देनदारियां	निवल प्राप्य/ (देय)
यूरो (EUR)	61,72,200	29,66,100	22,761	31,83,339	5,568.42	2,675.95	20.53	2,871.94
यूएस डॉलर (USD)	33,70,890	-	1,16,07,672	(82,36,782)	2,810.44	-	9,677.77	(6,867.33)

संवेदनशीलता का विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य सभी मुद्राओं के मज़बूत (कमज़ोर) होने की संभावना से विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित वित्तीय साधनों के मापन पर असर पड़ता और इक्विटी तथा लाभ या हानि पर नीचे दर्शाई गई राशियों का प्रभाव पड़ता। यह विश्लेषण यह मानकर किया गया है कि किसी विशेष ब्याज दर में अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं और पूर्वानुमानित बिक्री और ख़रीद के किसी भी प्रभाव को नज़रअंदाज़ किया जाता है।

विवरण	लाभ या हानि		इक्विटी, कर के बाद निवल	
	को सुदृढ़	कमजोर	सुदृढ़	कमजोर
31 मार्च 2025				
यूएसडी (1% संचलन)	8.56	(8.56)	6.40	(6.40)
यूरो (1% संचलन)	69.29	(69.29)	51.85	(51.85)
31 मार्च 2024				
यूएसडी (1% संचलन)	(68.67)	68.67	(51.39)	51.39
यूरो (1% संचलन)	28.72	(28.72)	21.49	(21.49)

	वर्ष-अंतिम दर	
	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
यूएसडी	85.5814	83.3739
यूरो	92.3246	90.2178

39. पूंजीगत प्रबंधन

कंपनी की नीति एक मज़बूत पूँजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशकों, लेनदारों और बाज़ार का विश्वास बना रहे और व्यवसाय का भविष्य का विकास बना रहे। प्रबंधन पूँजी पर प्रतिफल के साथ-साथ साधारण शेयरधारकों को दिए जाने वाले लाभांश के स्तर पर भी नज़र रखता है।

कंपनी 'समायोजित शुद्ध ऋण' और 'समायोजित इक्विटी' के अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करती है। इस उद्देश्य के लिए, समायोजित निवल ऋण को कुल देनदारियों में से नकदी और नकदी समकक्षों को घटाकर परिभाषित किया जाता है। समायोजित इक्विटी में हेजिंग रिज़र्व में संचित राशि के अलावा इक्विटी के सभी घटक शामिल होते हैं।

31 मार्च, 2025 को कंपनी का समायोजित निवल ऋण-इक्विटी अनुपात निम्नानुसार था:

(राशि रुपए लाख में)

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कुल देनदारियां	7,34,000.09	2,50,799.42
घटाएँ: नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	7,78,761.51	3,35,782.90
समायोजित निवल ऋण	**(44,761.43)**	**(84,983.48)**
कुल इक्विटी	8,21,756.30	7,39,537.67
घटाएँ: हेजिंग रिज़र्व	-	-
समायोजित इक्विटी	**8,21,756.30**	**7,39,537.67**
समायोजित निवल ऋण से समायोजित इक्विटी अनुपात	(0.05)	(0.11)

40. कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्तियां और देनदारियां - वित्तीय विवरणों के नोट में सामग्री लेखांकन नीति में (I) देखें

i. उपदान **(राशि रुपए लाख में)**

विवरण	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
वर्तमान सेवा लागत	24.83	6.32
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त निवल आवधिक लाभ लागत	25.68	6.66
अन्य व्यापक (आय)/ हानि)	2.07	1.36
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	42.86	12.50
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (Fva)		
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/देयताएँ	(42.86)	(12.50)
IND AS 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर	6.87%	7.22%
निवल परिसंपत्ति)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त देयता		

A. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव

विवरण	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
ओसीआई में शामिल कुल एक्चुरियल (लाभ)/हानि (भारतीय मानक ब्यूरो 19 पैरा 57(डी)	2.07	1.36
डीबीओ में वित्तीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि)	2.07	0.59
डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि)	(0.00)	0.77
बी. परिभाषित लाभ लागत (पैरा 120)		
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत (इंड एस 19 पैरा 57 सी)	25.68	6.66
ओसीआई में पुनर्माप प्रभाव को मान्यता दी गई; पैरा 120सी	2.07	1.36
कुल परिभाषित लाभ लागत (पैरा 120 ए, बी, और सी)	27.75	8.02
वह राशि जो परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है (पैरा 64(बी) में सीमा)		
निवल व्यय	**27.75**	**8.02**
(इंड एएस) 19 के पैरा 144 के अनुसार छूट दर	**6.87%**	**7.22%**

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
अवित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	42.86	12.50
वित्त पोषित स्थिति [(घाटा)] {(पैरा 64(ए)	(42.86)	(12.50)
निवल देयता		
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त		
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य		
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**(42.86)**	**(12.50)**
वित्तपोषण अनुपात		

धारणा: भारतीय लेखा मानक 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर: 7.52% (पिछले वर्ष 7.58%)

A. चालू और गैर-चालू का विभाजन	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
पीवीओ (अवित्तपोषित योजना)		
चालू	0.11	0.02
गैर-चालू	42.75	12.48

ए. (पैरा 140(ए)(ii) और 141 को समाप्त अवधि में डीबीओ में परिवर्तन		
वर्तमान सेवा लागत	24.83	6.32
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (प्रारंभिक)	-	-
ब्याज लागत	-	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	42.86	12.50
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**14.99**	**16.21**

नीचे दी गई देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल की जानकारी

अनुमानित लाभ दायित्व	42.86	12.50
संचित लाभ दायित्व	20.16	5.27

पांच साल का भुगतान	31-मार्च-2025		31-मार्च-2024	
	छूट मूल्य/वर्तमान मूल्य	बिना छूट वाले मूल्य/ वास्तविक मूल्य	छूट मूल्य/वर्तमान मूल्य	बिना छूट वाले मूल्य/ वास्तविक मूल्य
वर्ष (I)	0.11	0.11	0.02	0.02
वर्ष (II)	1.87	1.97	0.02	0.02
वर्ष (III)	0.10	0.12	0.02	0.02
वर्ष (IV)	0.10	0.13	0.02	0.03
वर्ष (V)	0.10	0.14	0.02	0.03
अगले पाँच साल का भुगतान (6-10 वर्ष)	4.51	7.66	0.50	0.91
दस साल के बाद का भुगतान	36.07	110.25	11.90	42.93
31/03/2025 तक निहित लाभ दायित्व	**0**	-	-	-

निवल तुलन पत्र देयता का समाधान	**31-मार्च-2025**	**31-मार्च-2024**
पैरा 64(बी) को छोड़कर अवधि के लिए निवल अवधि लाभ (लागत)/आय	(25.68)	(6.66)
(उपार्जित)/ अवधि की शुरुआत में प्रीपेड लाभ लागत (समायोजन से पहले)		
निवल आवधिक लाभ (Cos)/ अवधि के लिए आय		
अवधि के अंत में (उपार्जित)/ लाभ लागत (समायोजन से पहले)	(39.55)	(11.26)
अवधि के अंत में संचित ओसीआई में मान्यता प्राप्त राशि	(3.31)	(1.24)
अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त निवल तुलन पत्र परिसंपत्ति/देयताएं	(42.86)	(12.50)
नियोक्ता व्यय के घटक		
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12.50	4.48
चालू सेवा लागत	24.83	6.32
कुल सेवा लागत	24.83	6.32
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	42.86	12.50
मूल्यांकन अवधि में देयता में निवल वृद्धि	30.36	8.02
लाभ/हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	27.75	8.02
चालू वर्ष में पी व एल	25.68	6.66
चालू वर्ष में ओसीआई	2.07	1.36
धारा 64बी का प्रभाव		-
कुल	27.75	8.02
मूल्यांकन तिथि पर तनाव परीक्षण का प्रकटीकरण		
(देयता) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	**(42.86)**	

परिदृश्यों	**डीबीओ में % में वृद्धि**	**देयता**	**डीबीओ में कमी या वृद्धि**
छूट दर + 100 आधार बिंदु	-11.55%	37.91	(4.95)
छूट दर - 100 आधार बिंदु	13.80%	48.77	5.91
वेतन वृद्धि + 100 आधार बिंदु	12.95%	48.41	5.55
वेतन वृद्धि 100 आधार बिंदु	-11.36%	37.99	(4.87)
दुर्घटना दर + 100 आधार बिंदु	-3.30%	41.45	(1.41)
दुर्घटना दर - 100 आधार बिंदु	3.49%	44.35	1.49
मृत्यु दर 10% में वृद्धि	-0.02%	42.85	(0.01)
बिना छत का प्रभाव	0.00%	42.86	-

उपरोक्त विश्लेषण की तैयारी में प्रयुक्त विधियों और मान्यताओं में पिछली अवधि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल इसकी आधार दरें बदल गई हैं।

मुख्य मान्यताएँ	**31-मार्च-2025**	**31-मार्च-2024**
छूट दर (Ind As 19 Sec 83)	6.87%	7.22%
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-	-
वेतन में वृद्धि	7%	7%
दुर्घटना दर	5%	5%
आयु	मृत्यु दर	मृत्यु दर
20	0.000924	0.000924
30	0.000977	0.000977
35	0.001202	0.001202

जनसांख्यिकीय धारणाएँ

मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2012-14) अंतिम
विकलांगता	मृत्यु दर का 5%
निकासी	5.00%
सेवानिवृत्ति की आयु	60.00

ii. छुट्टी नकदीकरण

	31-मार्च-2025	**31-मार्च-2024**
चालू सेवा लागत	35.47	16.89
पी एंड एल में मान्यता प्राप्तनिवल आवधिक लाभ लागत	25.61	13.99
अन्य व्यापक आय/ हानि	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (डीबीओ)	55.89	26.57
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (Fva)		
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/देयताएँ	(55.89)	(26.57)
IND AS 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर		
निवल परिसंपत्ति)/ओसीआई में मान्यता प्राप्त देयता		

क. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रभाव

	31-मार्च-2025	**31-मार्च-2024**
ओसीआई में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (भारतीय मानक ब्यूरो 19 पैरा 57(डी)	-	-
डीबीओ में वित्तीय धारणा परिवर्तनों के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि	2.31	1.01
डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(14.09)	(4.87)
बी. परिभाषित लाभ लागत (पैरा 120)		
पी एंड एल में मान्यता प्राप्त लागत (इंड एस 19 पैरा 57 सी)	25.61	13.99
ओसीआई में पुनर्माप प्रभाव को मान्यता दी गई; पैरा 120सी		
कुल परिभाषित लाभ लागत (पैरा 120 ए, बी, और सी)	25.61	13.99
वह राशि जिसे परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है (पैरा 64(बी) में सीमा)		
निवल व्यय		
(इंड एएस) 19 के पैरा 144 के अनुसार छूट दर	**6.87%**	**7.22%**

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता)	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
गैर वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	55.89	26.57
वित्त पोषित स्थिति [(घाटा)] {(पैरा 64(ए)}	(55.89)	(26.57)
निवल देयता	55.89	26.57
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	(55.89)	(26.57)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	50.86	24.39
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5.03	2.18
वित्तपोषण अनुपात		
धारणा: भारतीय लेखा मानक 19 के पैरा 83 के अनुसार छूट दर: 6.87% (पिछले वर्ष 7.22%)		

क. चालू व गैर-चालू का विभाजन	31-मार्च-2025	31-मार्च-2024
पीवीओ (गैरवित्तपोषित योजना)		
चालू	7.71	3.47
गैर-चालू	48.19	23.10

(पैरा 140(ए)(ii) और 141) को समाप्त अवधि में डीबीओ में परिवर्तन	-	-
चालू सेवा लागत	35.47	16.89
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (प्रारंभिक)	26.57	12.58
ब्याज लागत	1.92	0.95
तत्काल मान्यता के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.78)	(3.86)
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	55.90	26.57
डी बी ओ की भारित औसत अवधि	**14.99**	**15.60**

नीचे दी गई देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल की जानकारी

अनुमानित लाभ दायित्व-अ.छु	42.84	20.61
अनुमानित लाभ दायित्व-अ.वे.छु	13.05	5.96
संचयित अनुमानित दायत्वि		

पाँच साल का भुगतान	31-मार्च-2025		31-मार्च-2024	
	अर्जित अवकाश का रियायती मूल्य/वर्तमान मूल्य	अर्जित अवकाश का अछूता मूल्य/वास्तविक मूल्य	रियायती मूल्य/अर्ध वेतन अवकाश का वर्तमान मूल्य	Undiscounted Values/ Actual value of Half Pay Leave
वर्ष (I)	2.10	2.25	0.64	0.69
वर्ष (II)	4.56	5.43	1.66	1.98
वर्ष (III)	1.73	2.12	0.52	0.63
वर्ष (IV)	1.65	2.16	0.49	0.64
वर्ष (V)	1.57	2.20	0.47	0.65
अगले पाँच साल का भुगतान (6-10 वर्ष)	10.01	17.81	3.08	5.48
दस साल के बाद का भुगतान	21.21	84.62	6.20	23.99
31/03/2025 तक निहित लाभ दायित्व				

निवल तुलन पत्र देयता का समाधान	**31-मार्च-2025**	**31-मार्च-2024**
पैरा 64(बी) को छोड़कर अवधि के लिए निवल अवधि लाभ (लागत)/आय	(55.90)	(26.57)
अवधि के आरंभ में (उपार्जित)/ प्रीपेड लाभ लागत (समायोजन से पहले)	(26.57)	(12.58)
निवल आवधिक लाभ (Cos)/ अवधि के लिए आय	(25.61)	(13.99)
अवधि के अंत में (उपार्जित)/ प्रीपेड लाभ लागत (समायोजन से पहले)	(55.90)	(26.57)
अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त निवल तुलन पत्र परिसंपत्ति/देयताएं	(55.90)	(26.57)
नियोक्ता व्यय के घटक		
चालू सेवा कर	35.47	16.89
कुल सेवा लागत	35.47	16.89
डीबीओ पर ब्याज व्यय	1.92	0.95
कुल निवल ब्याज	1.92	0.95
लाभ)/हानि-अन्य दीर्घकालिक लाभों की तत्काल पहचान	(8.07)	(3.86)
परिभाषित लाभ लागत पी व एल में शामिल है	55.90	26.57

मूल्यांकन तिथि पर तनाव परीक्षण का प्रकटीकरण

परिदृश्यों	**अर्जित अवकाश के संबंध में डीबीओ में % वृद्धि**	**ईएल के संबंध में उत्तरदायित्व**	**ईएल के डीबीओ में कमी या वृद्धि**
छूट दर + 100 आधार बिंदु	-9.89%	38.61	(4.24)
छूट दर - 100 आधार बिंदु	11.95%	47.96	5.12
वेतन वृद्धि + 100आधार बिंदु	11.20%	47.64	4.80
वेतन वृद्धि 100 आधार बिंदु	-9.45%	38.79	(4.05)
दर्घटना दर + 100 आधार बिंदु	-0.44%	42.65	(0.19)
दंर्घटना दर - 100 आधार बिंदु	0.54%	43.07	0.23
मृत्यु दर 10% में वृद्धि	0.00%	42.84	(0.00)

परिदृश्यों	**एचपीएल के लिए डीबीओ में % वृद्धि**	**एचपीएल के लिए देयता**	**एचपीएल के लिए डीबीओ में कमी या वृद्धि**
छूट दर + 100 आधार बिंदु	-9.49%	11.81	(1.24)
छूट दर - 100 आधार बिंदु	11.41%	14.54	1.49
वेतन वृद्धि + 100 आधार बिंदु	10.69%	14.45	1.40
वेतन वृद्धि 100 आधार बिंदु	-9.07%	11.87	(1.18)
दुर्घटना दर + 100 आधार बिंदु	0.42%	13.00	(0.06)
दुर्घटना दर - 100 आधार बिंदु	0.52%	13.12	0.07
मृत्यु दर 10% में वृद्धि	0.00%	13.05	(0.00)

41. A. खंड की जानकारी

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के तहत मात्रा और संबंधित मूल्यों के साथ प्रत्येक वर्ग के सामान की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट दी है और उत्पादों और संचालन के क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, भारतीय लेखा मानक 108 - परिचालन खंड के तहत आवश्यक जानकारी वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है।

42 संबंधित पक्ष - Ind AS-24

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है। कंपनी एक सरकारी संस्था है और इंड एएस के पैरा 18 के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकताओं से मुक्त है। कंपनी इंड एएस 24 के पैरा 26 के अनुसार जानकारी का खुलासा करेगी। संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं:

नियंत्रण करने वाली इकाई **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

संबंधित पक्ष का नाम	संबध (31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए)	संबंध (31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए)
श्री राधाकृष्णन डी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अरुणाचलम ए	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
श्री राधा कृष्णा ए	निदेशक (वित्त) 06.05.2024 से	लागू नहीं
श्रीमती षण्मुगा प्रिया	कंपनी सचिव	कंपनी सचिव

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की सूची **(राशि लाख रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन		
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक	153.10	133.43
अन्य को पारिश्रमिक	38.71	48.40
	191.82	**181.83**
अंतरिक्ष विभाग,भारत सरकार		
वर्ष के दौरान की गई बिक्री से राजस्व	11,343.54	9,312.31
वर्ष के दौरान उत्पाद/सेवाओं पर व्यय लागत	73,156.11	58,708.50
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए अनुबंध प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने से राजस्व	27,394.27	36,036.34
कर्मचारियों को आवंटित आवासीय गृह के लिए एचआरए	38.56	14.07
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	2.85	2.58
भवन का किराया	11.13	17.06

संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि की सूची **(राशि लाख रुपए में)**

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को बकाया	58,913.57	42,752.85
अन्य इसरो के केंद्रों को बकाया	126.35	210.07
अग्रिम - उपग्रह लागत और प्रक्षेपण का भुगतान अं.वि को किया गया	60,364.19	30,345.23

43. कार्पोरेट एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2025 को समाप्त चालू रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े
कंपनी द्वारा वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली आवंटित राशि	**1,272.23**	**877.81**	**494.20**
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	21.75	194.17	122.44
प्रतिबद्ध राशि अलग बैंक खाते में रखी गई	1,250.31	683.64	248.19
अंतरित की जाने वाली राशि / निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि	0.18	-	123.57
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कौशल विकास, सतत विकास, शिक्षा एवं अन्य		
अप्रयुक्त सीएसआर बैंक खाते में अंतरण की तिथि	28-04-2025	25-04-2024	-

I. सीएसआर निधि आवंटन, प्रतिबद्धता और व्यय का सारांश		**2024-25**	**2023-24**	**2022-23**
क	**वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि**	**1,272.23**	**877.81**	**494.20**
ख	खर्च की गई राशि	21.75	194.17	122.44
ग	अव्ययित राशि को एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा	1,250.31	683.64	248.19
घ	शेष राशि निर्दिष्ट निधि में अंतरित कर दी गई	0.18	-	123.57
ङ	निर्दिष्ट निधि में अंतरण की तिथि	03-05-2025	-	27-09-2023
च	**कुल सीएसआर व्यय**	**1,272.23**	**877.81**	**494.20**

II. एक अलग बैंक खाते में रखी गई अव्ययित राशि का विवरण				
1	**अलग बैंक खाते में रखी गई राशि**	**1,250.31**	**683.64**	**248.19**
2	उपरोक्त व्यय की गई राशि में से			
	वित्तीय वर्ष 2023-24 में	-	-	171.58
	वित्तीय वर्ष 2024-25 में	-	455.16	56.84
3	हस्तांतरण की तिथि तक अप्रयुक्त खाते पर अर्जित ब्याज	-	-	4.68
4	निर्दिष्ट निधि में अतरित/ स्थानांतरित की जाने वाली राशि	0.18	-	24.46
	निर्दिष्ट निधि में अतरण की तिथि	30-04-2025	-	21-04-2025
5	**शेष राशि एक अलग बैंक खाते में**	**1,250.31**	**228.49**	**-**

(राशि लाख रुपए में)

		वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2025 के अंत तक के आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2024 के अंत तक के आंकड़े
44	**आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:**		
	(इस सीमा तक कि इसके लिए प्रावधान न किया गया हो)		
	i) आकस्मिक देयता:		
	a) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	शून्य	शून्य
	b) सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के कारण	4,281.99	6.73
	c) सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटियों से उत्पन्न दायित्वों के कारण:	शून्य	शून्य
	d) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:-	शून्य	शून्य
	ii) प्रतिबद्धताएँ:		
	(a) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है,	शून्य	शून्य
	(b) अन्य प्रतिबद्धताऐं	शून्य	शून्य
	कंपनी का मानना है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देनदारियों के लिए संसाधनों का कोई आउटसोर्सिंग नहीं होगा।		
45	सामान्य व्यावसायिक क्रम में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों के बारे में बोर्ड की राय, जो कम से कम उस राशि के बराबर हो, जिस पर उनका उल्लेख किया गया है।	बोर्ड का मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई हैं।.	बोर्ड का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे लेखा पुस्तकों में दर्शाई गई हैं।

46 संपत्ति और पट्टा देनदारियों के उपयोग का अधिकार

कंपनी के पास अपने परिचालन में प्रयुक्त पट्टाधारित भवन के लिए पट्टा अनुबंध हैं

अं.वि से पट्टे पर ली गई एनएसआईएल भवन के लिए पट्टे के अनुबंध अवधि 01-09-2023 से शुरू होकर 5 वर्ष है और एनएसआईएल ब्रिगेड रूबिक्स भवन के लिए पट्टे पर अनुबंध 15-01-2024 से शुरू होकर 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ 5 वर्ष है। गिफ्ट सिटी के लिए पट्रटे के अनुबंध अवधि 09.01.2025 से शुरू होकर 5 वर्ष है। ब्याज दर 13.50% है।

उपयोग के अधिकार के अंतर्गत मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की वहन राशि और अवधि के दौरान संचलन

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
लागत		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	294.99	-
परिवर्धन	68.49	318.49
मान्यता समाप्ति	109.65	23.50
वर्ष के अंत में शेष राशि	**253.83**	**294.99**

संचित मूल्यह्रास		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	23.50	-
परिवर्धन	109.65	23.50
वर्ष के अंत में शेष राशि	**133.15**	**23.50**

पट्टा देनदारियों की वहन राशि और अवधि के दौरान संचलन

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	31-03-2025	31-03-2024
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	**311.58**	**-**
परिवर्धन	67.38	317.02
ब्याज में वृद्धि	28.91	24.96
पट्टे की देनदारियों का भुगतान	135.98	30.40
वर्ष के अंत में शेष राशि	**271.91**	**311.58**
चालू	153.34	126.10
गैर चालू	118.56	185.48
	271.91	**311.58**

47 वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले अन्य नोट्स

47.1 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण :

क. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग (अं.वि), भारत सरकार (जीओआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है।

ख. कंपनी के कार्यबल में नियमित कर्मचारी, इसरो के कर्मचारी या तो कार्य व्यवस्था पर या प्रतिनियुक्ति के आधार पर शामिल हैं।

- कार्य व्यवस्था पर कार्यरत कर्मचारियों की वेतन लागत इसरो को प्रतिपूर्ति की जाती है और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की लागत इसरो द्वारा वहन की जाती है।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की वेतन लागत संबंधित प्रतिनियुक्ति आदेशों के नियमों और शर्तों के अनुसार एनएसआईएल द्वारा वहन की जाती है।

ग. लेखा मानक IND AS 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक श्री राधाकृष्णन डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुणाचलम ए, निदेशक (तकनीकी एवं रणनीति), श्री राधा कृष्ण ए, निदेशक (वित्त) और श्रीमती एस. षणमुगा प्रिया, कंपनी सचिव हैं।

इस अवधि के दौरान केएमपी के साथ सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों (वेतन, यात्रा और अन्य व्यावसायिक व्यय प्रतिपूर्ति) के दौरान किए गए भुगतानों को छोड़कर कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

श्री राधाकृष्णन डी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 28 जून, 2024 तक इसरो के कर्मचारी रहे हैं। इसके बाद उन्हें 30 जून, 2025 तक अनुबंध के आधार पर पुनर्नियोजन पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	प्रशासनिक विभाग
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक विंग
3) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
क) श्री राधाकृष्णन डी.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख) श्री अरुणाचलम ए	निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
ग) श्री राधाकृष्णा ए	निदेशक (वित्त) 06.05.2024 से प्रभावी
घ) श्रीमती षण्मुगा प्रिया	कंपनी सचिव

ND AS 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुसार प्रासंगिक प्रकटीकरण अलग नोट संख्या 42 के अनुसार हैं

47.2 कंपनी ने अपने सभी ग्राहकों से शेष राशि की पुष्टि का अनुरोध किया है, सिवाय उन ग्राहकों के जिनके साथ अनुबंध समाप्त हो चुके हैं या जिन्हें वित्तीय विवरण तैयार होने से पहले बकाया राशि प्राप्त हो गई है और कुछ ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। प्रबंधन की राय में, शेष राशि की पुष्टि न होने से वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।.

47.3 कॉर्पोरेट और सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण:

(a) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 1,272.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 877.81 लाख रुपये)

(b) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि: कृपया अलग नोट संख्या 43 देखें

47.4

47.4.1 अन्वेषा मिशन के प्रमोचन सेवा में विलंब के कारण, कंपनी ने अपने कुछ ग्राहकों (सह-यात्रियों) को अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को रद्द करने का विकल्प दिया था। एयरोस्पेस कैपिटल एलएलसी (170.40 लाख) और राइड एसएएस (-61.01 लाख) ने अपने अनुबंध रद्द करने का विकल्प चुना है और तदनुसार, पिछले वर्षों में प्रमोचन सेवा से प्राप्त आय और संबंधित लागत को वापस ले लिया गया है।

47.4.2 समझौता ज्ञापन के अभाव में, कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए सैटकॉम पीओ द्वारा प्रदान किए गए जीसैट-17 के 3 एमएसएस ट्रांसपोंडर में सेवाओं के प्रावधान के लिए चालान जारी नहीं कर पाई। हालाँकि, सैटकॉम पीओ से पुष्टि के आधार पर, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 846.58 लाख का चालान जारी किया और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 423.29 लाख के राजस्व और अं.वि को देय 380.96 लाख की संबंधित लागत को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत किया।

47.4.3 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डीओएस ने विभिन्न इसरो केंद्रों को प्रदान की गई अंतरिक्ष खंड क्षमता के संबंध में क्षमता के भुगतान के लिए सैटकॉम पीओ को अनुमोदन प्रदान किया था और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी) को छोड़कर सभी इसरो केंद्रों पर टेली शिक्षा के लिए सी, एक्सटेंशन सी और केयू बैंड में 128.75 मेगाहट्र्ज और टेलीमेडिसिन के लिए एक्सटेंशन सी बैंड में 36 मेगाहट्र्ज के लिए चालान बनाए गए थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएसआईएल को 128.75 मेगाहट्र्ज और 36 मेगाहट्र्ज चार्ज करने की मंजूरी के बारे में सूचित किया गया था और तदनुसार वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 7,895.00 लाख रुपये प्लस जीएसटी @ 5% के चालान बनाए गए थे

47.4.4 कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 से जीसैट 10,16,17 और 18 में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो (जिन्हें सामूहिक रूप से प्रसार भारती कहा जाता है) को अंतरिक्ष खंड क्षमता प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, कंपनी अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के लिए अनुबंध प्रबंधक थी क्योंकि उपग्रह अंतरिक्ष विभाग के स्वामित्व में थे और वित्त वर्ष 2021-22 से, एनएसआईएल ने उक्त उपग्रहों का अधिग्रहण कर लिया और सेवा प्रदान करना जारी रखा।

- प्रसार भारती ने सेवाओं के उपयोग पर कोई विवाद नहीं किया है और यह समझता है कि वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भविष्य की कार्रवाई, मुख्य रूप से एनएसआईएल को भुगतान के लिए धन पर स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- एनएसआईएल के बोर्ड ने 11-03-2025 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्त वर्ष 2020-21 से प्रसार भारती को प्रदान की गई सेवाओं के लिए राजस्व की मान्यता को मंजूरी दी थी और तदनुसार, 2024 तक की अवधि से संबंधित 34,102.13 लाख का बिल न किया गया राजस्व, उस वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में लिया गया और 8,460.16 लाख वित्त वर्ष 2024-25 में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा अनुबंध प्रबंधक के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिक्ष विभाग को देय 7,831.94 लाख की संबंधित लागत को वित्त वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन द्वारा बिल न किया गया लागत के रूप में दर्ज किया गया।

46.4.5 वर्ष के दौरान, कंपनी को कार्यनीतिक ग्राहकों से उपग्रहों के निर्माण और प्रमोचन के साथ-साथ भू केंद्र अवसंरचना की स्थापना के लिए ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। इनका निर्माण इसरो और उद्योग भागीदारों के माध्यम से किया जा रहा है। उद्योग भागीदारों को भुगतान संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है और कंपनी ने 16,500.33 लाख रुपये की राशि को बिना बिल वाली आय के रूप में मान्यता दी है।

46.4.6 वर्ष के दौरान, कंपनी को अंतरिक्ष खंड क्षमता के लिए बीबीएनएल से 31,801.00 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, और यह देखा गया कि भुगतान करते समय बीबीएनएल ने रुकावट के लिए पेनल्टी क्रेडिट के रूप में 379.76 लाख रुपये काट लिए थे। 2024-25 और 2022-23 के दौरान रुकावट के लिए काटे गए कुल 6,020.54 लाख रुपये के पेनल्टी क्रेडिट पर एनएसआईएल द्वारा विचार नहीं किया गया है क्योंकि रुकावट की सत्यता के बारे में सैटकॉम से पुष्टि की प्रतीक्षा है।

46.4.7 कंपनी को अंतरिक्ष विभाग की 3 केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत धन के प्रवाह के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईएल ने 3 बचत बैंक खाते और 3 होल्डिंग खाते खोले थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 05-02-2024 और 30-05-2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत धन के प्रवाह के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित किया था। तदनुसार, अंतरिक्ष विभाग ने एनएसआईएल को प्रत्येक योजना के लिए एक आरबीआई असाइनमेंट खाता खोलने का निर्देश दिया है और चूंकि केवल दो योजनाएं - अंतरिक्ष विज्ञान संवर्धन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग ही चालू हैं, एनएसआईएल ने 2 आरबीआई असाइनमेंट खाते खोले हैं। 31.03.2025 तक, इन खातों में परिचालन शुरू नहीं हुआ था। 31.03.2025 तक रुपये 2,271.08 लाख की राशि बकाया थी यह निधि सीएसएस के कार्यान्वयन के लिए समर्पित है और कंपनी की सामान्य गतिविधियों के लिए अभिप्रेत नहीं है। अंतरिक्ष विभाग से दिनांक 02.05.2025 को प्राप्त मेल के आधार पर, सीएनए खातों में शेष 2,267.89 लाख रुपये की अप्रयुक्त राशि 09.05.2025 को अंतरिक्ष विभाग को हस्तांतरित कर दी गई।

46.4.8 मत्स्य पालन विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-लाभार्थी गतिविधि के रूप में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' के एक केंद्रीय प्रायोजित योजना घटक - निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) के लिए समुद्री मछली पकड़ने वाले जहाजों में पोत संचार और सहायता प्रणाली की स्थापना के लिए राष्ट्रीय रोलआउट योजना को मंजूरी प्रदान की थी। एनएसआईएल मत्स्य पालन विभाग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहा है और वर्ष के दौरान मत्स्य पालन विभाग के निर्देशानुसार, कंपनी को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से संचालन के लिए चाइल्ड एजेंसी के रूप में नामित किया गया है और निधि को राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से भेजा जाता है। उक्त परियोजना के लिए मत्स्य पालन विभाग द्वारा हस्तांतरित निधि को विशेष रूप से निर्धारित बैंक खाते / एनएफडीबी नामित खाते में रखा जाता है पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर परियोजना प्रबंधन शुल्क को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है। एनएफडीबी से प्राप्त पुष्टि के अनुसार, पीएफएमएस में निर्दिष्ट सीमा की निकासी सीमा 31 मार्च 2025 को स्वतः समाप्त हो जाएगी और तदनुसार, एनएफडीबी से प्राप्त निधि के संबंध में बही में शेष राशि शून्य कर दी गई है।

46.4.9 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान,एनएसआईएल ने पीएसएलवी/एसएसएलवीपर प्रमोचन सेवाओं के लिए माइलस्टोन भुगतान के रूप में 8,066.42 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। कंपनी ने इसके अनुरूप कोई लागत का प्रावधान नहीं किया है क्योंकि कंपनी विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है कि उक्त प्रमोचन के लिए एनएसआईएल द्वारा निर्मित वाहन या इसरो के यान का उपयोग किया जाएगा।

47.5 एनएसआईएल ने एनएसआईएल/इसरो के एलईओ (निम्न पृथ्वी परिक्रमा) अंतरिक्षयान और प्रमोचनयान के लिए दीर्घकालिक आधार पर एस बैंड टीटीसी (टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड) प्रदान करने के लिए होस्टेड ऐंटेना (एचए) और समर्पित एंटेना (डीए) की स्थापना के लिए केएसएटी, नॉर्वे के साथ समझौता किया है।

वर्ष के दौरान, नॉर्वे में होस्टेड ऐंटेना के लिए भुगतान किए गए 3,788.02 लाख रुपये के गैर-आवर्ती शुल्क को पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत दिखाया गया है क्योंकि केएसएटी के साथ समझौते के अनुसार इन एंटेना को एनएसआईएल के लिए केएसएटी द्वारा स्वालबार्ड में खरीदा और स्थापित किया गया है और टीटीसी, पेलोड डेटा डाउनलिंक और प्रमोचनयान ट्रैकिंग के लिए एनएसआईएल द्वारा दूर से संचालित किया गया है, जिसमें ऐंटेना का स्वामित्व एनएसआईएल के पास रहता है।

47.6 एनएसआईएल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 9 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने के बाद कस्तूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से 109.42 लाख रुपये की लंबी बकाया राशि वसूल की थी। 83.54 लाख रुपये की राशि, जो पहले खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते के रूप में प्रदान की गई थी, को वापस कर दिया गया है।

47.7 प्रस्तावित लाभांश

विवरण	31-03-2025 को समाप्त चालू वर्ष के आंकड़े	31-03-2024 को समाप्त पिछले वर्ष के आंकड़े
(क) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों को वितरित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभांश की राशि	वित्त वर्ष 2028-29 तक दीपम से छूट प्राप्त करने का प्रस्ताव विभाग को सौंपा गया **	वित्त वर्ष 2028-29 तक दीपम से छूट प्राप्त करने का प्रस्ताव विभाग को सौंपा गया **
(ख) प्रति शेयर लाभांश	लागू नहीं **	लागू नहीं ***

** दीपम ने अपने दिनांक 18-11-2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 से लागू होंगे और तदनुसार, दिशानिर्देशों के विविध प्रावधान 9(i) के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई को बायबैक, बोनस शेयर और शेयरों के विभाजन से संबंधित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उन्हें सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव न हो। इसलिए, केवल लाभांश भुगतान से छूट को बोर्ड के अनुमोदन के लिए रखा गया है।

*** वित्त वर्ष 2024-25 के लिए (i) लाभांश का भुगतान (ii) शेयरों की पुनर्खरीद (iii) बोनस शेयरों का निर्गम (iv) शेयरों के विभाजन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीआईपीएएम दिशानिर्देशों से छूट प्राप्त करने के लिए एनएसआईएल बोर्ड की 16-7-2024 को हुई बैठक में अनुमोदन के आधार पर, एनएसआईएल ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

47.8 कंपनी ने पक्षों के साथ नवीकरण समझौता किया है, जिसके अनुसार, पूर्व पक्ष द्वारा आंशिक रूप से निष्पादित अनुबंध को कंपनी द्वारा समर्पित प्रमोचन सेवाओं के निष्पादन को पूरा करने के लिए लिया गया है। उक्त समझौते के अनुसार, अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त होने वाला राजस्व ही कंपनी का राजस्व होगा। राजस्व निर्धारण तदनुसार किया जा रहा है।

47.9 प्रमोचन सेवा समझौतों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी इसरो प्रमोचनयानों का उपयोग करके समर्पित और सह-यात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचनों के संबंध में, तृतीय पक्षों की मृत्यु और संपत्ति की क्षति सहित शारीरिक चोट के लिए कानूनी दायित्व के विरुद्ध, ग्राहकों के लिए स्व-बीमा के माध्यम से, बिना किसी लागत के, बीमा कराने के लिए उत्तरदायी है। इसरो प्रत्येक प्रमोचन के संबंध में स्व-बीमा की नीति का पालन करता है, जिससे कंपनी द्वारा तृतीय पक्ष देयता (टीपीएल) बीमा लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

47.10 लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश की अतिरिक्त जानकारी

5 (ii) (ए) (1) और (2) और 5 (iii) - एनएसआईएल के पास अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है और प्रमोचनयानों का उत्पादन उद्योग भागीदारों / इसरो केंद्रों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए लागू नहीं होता है।

5(viii)(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयातों का मूल्य (I) कच्चा माल; (II) घटक और कल पुर्जे (III) पूंजीगत सामान; शून्य

5(viii)(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान तकनीकी जानकारी, पेशेवर, परामर्श शुल्क और ब्याज के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय: - भुगतान किया गया कानूनी शुल्क 26097.79 अमेरिकी डॉलर और 79854.03 यूरो

5(viii)(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग किए गए सभी आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और घटकों का कुल मूल्य और इसी प्रकार उपभोग किए गए सभी स्वदेशी कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और घटकों का कुल मूल्य और कुल खपत में प्रत्येक का प्रतिशत: -शून्य

वर्ष के दौरान लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में प्रेषित राशि, जिसमें अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या, जिन पर लाभांश देय था तथा वह वर्ष जिससे लाभांश संबंधित था, का विशिष्ट उल्लेख हो: शून्य

5(viii) (ई) निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत विदेशी मुद्रा में आय, अर्थात्: II.जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क, III.ब्याज और लाभांश: - परामर्श शुल्क यूरो 350,000।

47.11 भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 2437 (ई) दिनांक 04 सितंबर 2015 के तहत निम्नलिखित पैरा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में लाभ और हानि का विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटीकरण से छूट दी है:

वर्ष के अंत में मुद्रा अनुवाद [रुपए में];

5(viii) (ई) निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत विदेशी मुद्रा में अर्जन, अर्थात्: I. एफ.ओ.बी. आधार पर परिकलित माल का निर्यात, II. रॉयल्टी, IV. अन्य आय, उसकी प्रकृति का संकेत देते हुए

47.12 वित्तीय वर्ष के दौरान रॉयल्टी और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्रा में व्यय;

विवरण	वर्ष के अंत में मुद्रा अनुवाद [रुपए में]	Dr/Cr	लाभ और हानि का विवरण
बकाया देनदारियों और परिसंपत्तियों से संबंधित	245.19	Cr	प्रशासनिक व्यय में डेबिट किया गया
	(39.26)	Dr	प्रशासनिक व्यय में डेबिट किया गया

पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिखाए गए हैं, "Cr" का अर्थ "क्रेडिट" है और "Dr" का अर्थ "डेबिट" है

47.13 अं.वि. ने 04 जुलाई 2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 01/04/2021 से एनएसआईएल को अपने 10 इन-ऑर्बिट प्रचालनात्मक संचार उपग्रहों अर्थात जीसैट-8, 10, 12आर, 14, 15,16, 17, 18, 30 और 31 को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। अं.वि. द्वारा सूचित स्थानांतरण मूल्य (इसके बाद मूल्य के रूप में संदर्भित) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सममूल्य पर इक्विटी शेयरों के जारी करने के माध्यम से लिया गया था।

स्थानांतरित उपग्रहों का अनुरक्षण मुख्य नियंत्रण सुविधा (एमसीएफ)/इसरो, हासन द्वारा जारी रहा। कंपनी ने प्रमोचन और प्रारंभिक कक्षा संचालन (एलईओपी), उपग्रहों के कक्षा संचालन और अनुरक्षण के लिए अंतरिक्ष विभाग/इसरो और एनएसआईएल के बीच एक व्यापक व्यवस्था की है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक शुल्क 4,862.70 लाख रुपये है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः जीसैट-24(N1) औरअजीसैट-20 (N2) का प्रमोचन किया है। कंपनी ने एक वर्ष के संचालन के साथ प्रारंभिक प्रमोचन लागत का बीमा कराया था। कंपनी "नो क्लेम बोनस" के लिए बीमाकर्ता के साथ चर्चा कर रही है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने जीसैट एन3 के निर्माण और स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए अं.वि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन के अनुसार

महत्वपूर्ण भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी ने ईओ मिशनों के लिए लागत साझा करने के लिए भी भुगतान किया है। वाणिज्यिक गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह - रीसैट-1बी के लिए लागत साझाकरण के आधार पर अंतरिक्ष विभाग को 3,940 लाख रुपये का भुगतान किया था। मई 2025 में निर्धारित प्रमोचन असफल रहा और आगे की कार्रवाई के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ चर्चा की आवश्यकता है।

47.14 कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा जारी बैंक गारंटियों के प्रतिकूल सुरक्षा के रूप में 4,816.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26.66 लाख रुपये) की सावधि जमा राशि बनाए रखी है, जिसमें 34,00,000 यूरो और 1,142.95 लाख रुपये (पिछले वर्ष यूरो शून्य) और यूएसडी शून्य (आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी पिछले वर्ष 8075 अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं। कंपनी ऐसी सावधि जमाओं पर कार्ड दरों पर ब्याज अर्जित कर रही है। वर्तमान में, लेखांकन मानकों में परिभाषित "प्रावधान" की कोई घटना नहीं है और तदनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। बीजी मूल्य प्राप्त करने के लिए मानी जाने वाली विनिमय दर 85.5814 रुपये प्रति यूएसडी (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 83.3739 प्रति यूएसडी) और 92.3246 रुपये प्रति यूरो (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 90.2178 रुपये प्रति यूरो)

47.15 व्यापार के सामान्य क्रम में अचल संपत्तियों और गैर-वर्तमान निवेशों के अलावा किसी भी संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य के बारे में बोर्ड की राय:
बोर्ड का यह मत है कि ऐसी परिसंपत्तियों का सामान्य व्यावसायिक क्रम में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर वे खातों में दर्शाई गई हैं।

47.16 भारतीय लेखा मानक IndAS 38 के अंतर्गत प्रकटीकरण: अमूर्त संपत्तियां

(क)	अमूर्त परिसंपत्तियों का वर्ग	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तियों का वर्ग	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीदी
(ग)	उपयोगी जीवन या प्रयुक्त परिशोधन दरें	उपयोग के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर की खरीद की तारीख से 3 वर्ष और विकसित सॉफ्टवेयर के लिए स्वीकृति की तारीख से 5 वर्ष।
(घ)	प्रयुक्त परिशोधन विधियाँ	सीधी रेखा पद्धति
(च)	सकल वहन राशि (रुपये में)	11.37
(छ)	INR में संचित परिशोधन	9.80
(ज)	अवधि के आरंभ और अंत में संचित हानि	13.32
(झ)	अवधि की शुरुआत और अंत में वहन राशि का मिलान	जैसा कि नोट 4 के अनुलग्नक में दिया गया है
(i)	आंतरिक विकास और समामेलन के माध्यम से प्राप्त योगों को अलग-अलग दर्शाते हुए योग	शून्य
(ii)	सेवानिवृत्ति और निपटान	शून्य
(iii)	अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हानि (यदि कोई हो)	13.32
(iv)	अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में उलटी गई हानियाँ (यदि कोई हो)	शून्य
(v)	अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त परिशोधन (रुपए में)	5.04
(vi)	वित्तीय विवरणों को प्रस्तुति मुद्रा में अनुवाद करने पर तथा किसी विदेशी परिचालन को इकाई की प्रस्तुति मुद्रा में अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले शुद्ध विनिमय अंतर।	शून्य
(vii)	वर्ष के दौरान वहन राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

47.17 कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ और प्रदर्शन संबंधी वेतन का प्रावधान किया है

47.18 कंपनी के पास ब्रिगेड रूबिक्स, इसरो मुख्यालय और गिफ्ट सिटी स्थित अपनी इमारत के पट्टे के लिए अनुबंध हैं। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की वहन राशि और पट्टा देनदारियों की वहन राशि नोट संख्या 46 के अनुसार है। पट्टा भुगतान कंपनी द्वारा वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके निर्धारित दर पर छूट प्राप्त है।

47.19 वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त जानकारी

47.19.1 अघोषित आय के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)

47.19.2 बेनामी संपत्ति का विवरण

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहाँ 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

47.19.3 क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

47.19.4 उधार ली गई निधि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी: (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।

47.19.5 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ के साथ अग्रिम, उधार या निवेशित धनराशि नहीं दी है कि मध्यस्थ: (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

47.19.6 च0ालू परिसंपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधार: शून्य

47.20 संशोधित अनुसूची III की आवश्यकता से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

47.20.1 निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम (मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि निर्दिष्ट किए चुकाने योग्य):

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी व्यक्ति को कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया जो बकाया हो (मांग पर या पुनर्भुगतान की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य) (31 मार्च, 2024 तक शून्य)।

47.20.2 विपदाग्रस्त कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भी बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया।

47.20.3 31-3-2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी के पास 34,00,000 यूरो की बैंक गारंटी और आईसीआईसीआई बैंक से 1,142.95 लाख रुपये की बकाया राशि थी, जो सावधि जमा के विरुद्ध सुरक्षित थी। कंपनी ने आरओसी के साथ पंजीकृत 34,00,000 यूरो के लिए शुल्क सृजित किए हैं।

47.20.4 कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है, जिसे कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पढ़ा गया है।

47.21 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति की पुष्टि के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

47.22 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 11-06-2025 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था

हमारे समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आर.बी.भूसारी एंड को.

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण सं.101463W

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

सी ए प्रीति चौधरी	**एस. षण्मुगा प्रिया**	**राधा कृष्णा ए**	**राधाकृष्णन दुरैराज**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आईसीएआई सदस्यता सं.115122	एफसीएस : 9535	डीआईएन : 10604322	डीआईएन : 08382973
आईसीएआई यूडीआईएन : 24007191BKIPVT4197			

स्थान : बेंगलूरू

दिनांक : 11.06.2025

अनुपात

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्षों के लिए अनुपात निम्नानुसार हैं :

विवरण	गणक	विभाजक	31 मार्च के अनुसार,		भिन्नता - वृद्धि / (घटत)	भिन्नता के कारण
			2025	2024	in %	
चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताऐं	1.69	4.05	(58)	कंपनी की वर्तमान देनदारियों में विविध लेनदारों की संख्या में वृद्धि, वर्तमान परिसंपत्तियों में सापेक्ष वृद्धि के बिना वैधानिक देयता में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई।
ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
इक्विटी पर प्रतिफल(आरओई)	करों के पश्चात् निवल लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	10.01%	10.76%	(7)	वर्ष के दौरान कंपनी के शुद्ध लाभ में वृद्धि के कारण इक्विटी पर रिटर्न थोड़ा कम हुआ है, जो लागत में वृद्धि के बिना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आय में वृद्धि और पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण है।
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	2.13	2.60	(18)	कंपनी के व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात में पीएसयू/सरकारी ग्राहकों से मान्यता प्राप्त राजस्व और बिल न किए गए राजस्व के विरुद्ध लंबित भुगतान के कारण थोड़ी गिरावट आई है।
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	औसत व्यापार प्राप्य	2.18	1.38	58	अंवि सहित विविध लेनदारों को समय पर भुगतान के कारण व्यापार देय टर्नओवर अनुपात में सुधार हुआ है।
निवल पूँजी टर्नओवर अनुपात	राजस्व	कार्यशील पूँजी	0.66	0.66	0.56	वर्ष के लिए राजस्व में वृद्धि के कारण अनुपात में थोड़ा सुधार हुआ है।
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	राजस्व	29.77%	33.46%	(11)	पिछली अवधि से संबंधित राजस्व और संबंधित लागत को मान्यता देने के कारण पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन के कारण शुद्ध लाभ अनुपात में कमी आई।
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज एवं कर पूर्व आय	नियोजित पूँजी	8.68%	9.15%	(5)	खंड मिश्रण में परिवर्तन के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है।
निवेश पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व आय	निवल परिसंपत्तियाँ	8.68%	9.15%	(5)	पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों के पुनर्निर्धारण के कारण ईबीआईटी में कमी के कारण चालू वर्ष मेंआरओआई में कमी आई है।

नोट के लिए अनुलग्नक14

तुलन पत्र तैयार करने की तारीख से ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि की जानकारी

अनुलग्नक-5

	विवरण	31.03.2025 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2024 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2022 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े	31.03.2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आंकड़े
(i)	नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	4,69,76,00,000	4,69,76,00,000	4,69,76,00,000	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और श्रेणी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी का गठन 06/03/2019 को हुआ था। शेयरों का पहला बैच केवल 2019-20 में आवंटित किया गया था। तदनुसार, नोट-15 का अनुलग्नक पिछले 5 वर्षों, अर्थात् 2020-21 से आगे के लिए तैयार किया गया है।

अनुलग्नक-1

(राशि लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2024-25

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2024	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2025	संचित जमा 01.04.2024	अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2025	31.03.2025 तक निवल वहन मूल्य	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य
भवन													
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-			11.10	10.99	-	-	-	10.99	0.11	0.11
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.98	-	-			1.98	0.67	0.19	-	-	0.86	1.12	1.31
भवन आंतरिक सज्जा	19.29	-	-			19.29	1.68	6.06	-	-	7.73	11.56	17.61
फर्नीचर एवं जुडनसार	63.22	3.56	-			66.78	13.28	6.26	-	-	19.54	47.24	49.94
कंप्यूटर एवं संबंधित सामग्री	198.22	76.85	3.51			271.56	101.11	64.87	1.93	-	164.05	107.51	97.11
कार्यालय उपकरण	24.15	23.48	-			47.62	12.88	4.31	-	-	17.18	30.44	11.27
संचार प्रणाली	3.96	1.63	0.27			5.31	1.80	1.26	0.27	-	2.79	2.53	2.16
मोटर वाहन	46.12	31.30	-			77.42	7.23	7.64	-	-	14.87	62.56	38.89
कक्षीय उपग्रह	4,69,760.00	-	-			4,69,760.00	1,69,924.32	53,324.11	-	-	2,23,248.42	2,46,511.58	2,99,835.68
कक्षीय उपग्रह-एनएसआईएल	86,837.97	1,10,050.15	-			1,96,888.13	7,359.42	6,693.72	-	-	14,053.14	1,82,834.99	79,478.55
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार-भवन	318.49	68.49	-			386.98	23.50	109.65	-	-	133.14	253.83	294.99
कुल	5,57,284.49	1,10,255.46	3.78	-	-	6,67,536.17	1,77,456.86	60,218.06	2.20	-	2,37,672.72	4,29,863.45	3,79,827.63

1) व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से कोई अधिग्रहण नहीं किया जाता है

2) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए संशोधन के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अनिवार्य है, घटक लेखांकन को भवन के लिए वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया जाता है और ऐसे घटकों को भवन के व्यापक शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

3) पट्टे पर ली गई इमारत के संबंध में, कंपनी ने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को मान्यता दी है, जो पट्टा प्रारंभ तिथि पर पट्टा अवधि के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में आरंभ तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन काल को पट्टा अवधि माना जाता है।

4) मोटर वाहन को छोड़कर कंपनी की अचल संपत्तियों का बीमा नहीं है।

5) शुद्ध वहन राशि से कम शुद्ध वसूली योग्य मूल्य वाली परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त के रूप में दर्शाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24

(राशि लाख रुपए में)

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2023	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2024	संचित जमा 01.04.2023	अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2023 तक शुद्ध वहन मूल्य
भवन													
भवन अस्थाई संरचना	11.10	-	-	-	-	11.10	10.99	-	-	-	10.99	0.11	0.11
भवन इलेक्ट्रिकल प्रणाली	1.96	0.02	-	-	-	1.98	0.46	0.21	-	-	0.67	1.31	1.50
भवन आंतरिक साज सज्जा	1.29	18.00	-	-	-	19.29	0.92	0.75	-	-	1.68	17.61	0.37
फर्नीचर एवं जुडनसार	27.44	35.79	-	-	-	63.22	8.61	4.67	-	-	13.28	49.94	18.83
कंप्यूटर एवं संबंधित सामग्री	141.76	56.46	-	-	-	198.22	50.16	50.94	-	-	101.11	97.11	91.59
कार्यालय उपकरण	17.18	6.89	-	-	0.08	24.15	9.18	3.61	-	0.08	12.88	11.27	7.99
संचार प्रणाली	2.16	2.87	1.07	-	-	3.96	1.30	0.95	0.45	-	1.80	2.16	0.86
मोटर वाहन	22.12	23.99	-	-	-	46.12	3.90	3.33	-	-	7.23	38.89	18.22
कक्षीय उपग्रह	4,69,760.00	-	-	-	-	4,69,760.00	1,15,962.26	53,962.05	-	-	1,69,924.32	2,99,835.68	3,53,797.74
कक्षीय उपग्रह-एनएसआईएल	86,101.77	736.20	-	-	-	86,837.97	1,556.91	5,802.51	-	-	7,359.42	79,478.55	84,544.86
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार- भवन	-	318.49	-	-	-	318.49	-	23.50	-	-	23.50	294.99	-
कुल	5,56,086.78	1,198.71	1.07	-	0.08	5,57,284.49	1,17,604.69	59,852.54	0.45	0.08	1,77,456.86	3,79,827.63	4,38,482.08

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2024-25

	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2024	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2025	संचित जमा 01.04.2024	के अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2025	31.03.2025 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य
सॉफ्टवेयर	37.21	-	25.83		-	11.37	17.27	5.04	12.51	-	9.80	1.57	19.93
						-	-	-	-	-			
कुल	37.21	-	25.83		-	11.37	17.27	5.04	12.51	-	9.80	1.57	19.93

अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2023-24

	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2023	आवर्धन	विलोपन	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2024	संचित जमा 01.04.2023	के अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2023 तक शुद्ध वहन मूल्य
सॉफ्टवेयर	36.60	0.61	-		-	37.21	6.95	10.33	-	-	17.27	19.93	29.65
						-	-	-	-	-			
कुल	36.60	0.61	-	-	-	37.21	6.95	10.33	-	-	17.27	19.93	29.65

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2024-25

विवरण	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
	सकल राशि 01.04.2024	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2025	सचित जमा 01.04.2024	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2025	31.03.2025 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य
कंप्यूटर एवं संबंधित सामग्री	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
संचार उपग्रह-N1	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
संचार उपग्रह-N2	80,091.81	29,958.34	1,10,050.15			-	-	-	-	-	-	-	80,091.81
भू प्रेक्षण उपग्रह-रिसैट-1B	3,940.00	-	-			3,940.00	-	-	-	-	-	3,940.00	3,940.00
भू प्रेक्षण उपग्रह - RS3A	-	1,016.00	-			1,016.00	-	-	-	-	-	1,016.00	-
भू प्रेक्षण उपग्रह - RS3SA		1,520.00	-			1,520.00						1,520.00	
जीसैट-N3		34,200.00	-			34,200.00	-	-	-	-	-	34,200.00	-
होस्टेड ऐंटेना		3,788.02	-			3,788.02						3,788.02	
कुल	84,031.81	70,482.37	1,10,050.15	-	-	44,464.02	-	-	-	-	-	44,464.02	84,031.81

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
	सकल राशि 01.04.2023	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समायोजन	कुल 31.03.2024	संचित एमोर 01.04.2023	अवधि के दौरान	विलोपन	समायोजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2023 तक शुद्ध वहन मूल्य
कंप्यूटर एवं संबंधित सामग्री	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
संचार उपग्रह-N1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
संचार उपग्रह-N2	-	80,091.81	-	-	-	80,091.81		-	-	-	-	80,091.81	-
भू प्रेक्षण उपग्रह - रिसैट 1B	-	3,940.00	-	-	-	3,940.00		-	-	-	-	3,940.00	-
होस्टेड ऐंटेना	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
कुल	-	84,031.81	-	-	-	84,031.81	-	-	-	-	-	84,031.81	-

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2024-25

	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2024	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2025	संचित एमोर 01.04.2024	अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2025	31.03.2025 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य
सॉफ्टवेयर	20.63		-		-	20.63		-	-	-	-	20.63	20.63
कुल	20.63	-	-	-	-	20.63	-	-	-	-	-	20.63	20.63

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(राशि लाख रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2023-24

	सकल ब्लॉक						ऋणमुक्ति					डब्ल्यूडीवी	
विवरण	सकल राशि 01.04.2023	आवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि (यदि पुनर्मूल्यांकन कुल शुद्ध वहन राशि के 10% से अधिक है)	समा योजन	कुल 31.03.2024	संचित एमोर 01.04.2023	अवधि के दौरान	विलोपन	समा योजन	कुल 31.03.2024	31.03.2024 तक शुद्ध वहन मूल्य	31.03.2023 तक शुद्ध वहन मूल्य
सॉफ्टवेयर	7.55	13.08	-		-	20.63		-	-	-	-	20.63	7.55
कुल	7.55	13.08	-		-	20.63		-	-	-	-	20.63	7.55

अनुलग्नक-2

नोट 3 का अनुलग्नक-प्रगति पर पूंजीगत कार्य

राशि लाख रुपए में

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ					
- भू प्रेक्षण उपग्रह - आरएस3ए	1,016.00	-			1,016.00
- भू प्रेक्षण उपग्रह - आरएस3एसए	1,520.00	-			1,520.00
- संचार उपग्रह - जीसैट-N3	34,200.00	-			34,200.00
- होस्टेड ऐंटेना	3,788.02	-			3,788.02
- भूप्रेक्षण उपग्रह- रिसैट 1B	-	3,940.00			3,940.00
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-				-
	40,524.02	3,940.00			44,464.02

नोट 3 का अनुलग्नक-प्रगति पर पूंजीगत कार्य

राशि लाख रुपए में

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में एक अवधि के लिए राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक कुल
प्रगति पर परियोजनाएँ					
- संचार उपग्रह -जीसैट-N2	80,091.81	-	-	-	80,091.81
- भू प्रेक्षण उपग्रह- रिसैट 1B	3,940.00	-	-	-	3,940.00
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	84,031.81				84,031.81

नोट 5 का अनुलग्नक - विकास आयु अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां

अनुलग्नक-2

(राशि लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुज
प्रगति पर परियोजनाएँ-ओसीपी ट्रांसपोंडर		13.08	-	7.55	20.63
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	

नोट 5 का अनुलग्नक - विकासाधीन कालावधि अनुसूची के अंतर्गत अमूर्त संपत्तियां

(राशि लाख रुपए में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक कुज
प्रगति पर परियोजनाएँ-ओसीपी ट्रांसपोंडर	13.08	-	-	7.55	20.63
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-				

प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए, जिसका पूरा होना विलंबित हो चुका है या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है*
सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम

परियोजना का नाम	1वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएँ-ओसीपी ट्रांसपोंडर	-	20.63	-	-
कुल	-	-	-	-

अनुलग्नक-4

नोट 9 का अनुलग्नक- व्यापार प्राप्य कालावधि निर्धारण अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-अच्छे समझे गए	30,096.42	23,063.13	26,037.45	11,760.36	973.80	91,931.16
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	221.58	221.58
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-
(v) बिल न किए गए देनदार	61,190.73	-	-	-	-	61,190.73
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता			-	-	(221.58)	(221.58)
कुल	91,287.15	23,063.13	26,037.45	11,760.36	973.80	1,53,121.89

नोट 9 का अनुलग्नक- व्यापार प्राप्य कालावधि निर्धारण अनुसूची

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्त-अच्छे समझे गए	26,569.82	30,782.18	11,857.77	111.11	841.11	70,161.98
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	43.60	39.95	-	-	216.52	300.07
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छे समझे गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-
(vi)विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	(43.60)	(39.95)	-	-	(216.52)	(300.07)
(v) बिल न किए गए देनदार	36,251.69					36,251.69
कुल	62,821.51	30,782.18	11,857.77	111.11	841.11	1,06,413.67

नोट 21 का अनुलग्नक- व्यापार देय कालावधि निर्धारण अनुसूची

अनुलग्नक-6

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुल
(i) एमएसएमई को देय कुल बकाया	2,257.84	-	-	-	-	2,257.84
(ii) अन्यों को देय कुल बकाया	56,988.42	17,703.41	457.79	0.16	171.39	75,321.17
(iii) विवादित देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	59,246.27	17,703.41	457.79	0.16	171.39	77,579.01

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक कुल
(i) एमएसएमई को देय कुल बकाया		-	-	-	-	-
(ii) अन्यों को देय कुल बकाया	35,421.38	27,141.29	107.34	2.18	148.49	62,820.68
(iii) विवादित देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	35,421.38	27,141.29	107.34	2.18	148.49	62,820.68

नोट 22(i) का अनुलग्नक- व्यय के लिए लेनदार कालावधि निर्धारण अनुसूची

अनुलग्नक-7

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2025 तक कुल
(i) एमएसएमई को देय कुल बकाया	53.74	0.03	-	0.00	0.07	53.84
(ii) अन्यों को देय कुल बकाया	1,212.83	4.94	1.29	0.22	0.29	1,219.57
(iii) विवादित देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	1,266.57	4.97	1.29	0.22	0.36	1,273.41

(राशि लाख रुपए में)

विवरण	भुगतान की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 माह - 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक कुल
(i) एमएसएमई का कुल बकाया	3.63	-	0.00	0.07	0.03	3.73
(ii) अन्य का कुल बकाया	306.39	0.43	0.22	-	0.28	307.33
(iii)विवादित देय -एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	310.02	0.43	0.22	0.07	0.31	311.06

वित्तीय विवरणों के लिए नोट

अनुलग्नक-8

31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र की पुनः घोषित मदों का निवारण

राशि लाख रुपए में

विवरण	नोट सं	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
अन्य विवरण	15	1,59,087.14	19,690.18	1,78,777.33
आयकर के लिए प्रावधान	24	19,858.97	6,622.33	26,481.31
व्यापार प्राप्य	9	-	-	-
बिल न किए गए देनदार	-	-	35,807.24	35,807.24
असुरक्षित व्यापार प्राप्य	-	69,202.97	444.45	69,647.43
व्यापार देयताएं	21	-	-	-
बिल न किए गए लेनदारों	-	-	(7,831.94)	(7,831.94)
अंवि पीएओ एसएससी देय	-	(21,826.50)	(380.96)	(22,207.47)
वैधानिक देयताएँ- जीएसटी	23(i)	2,959.15	(1,726.27)	1,232.88

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते की उल्लिखित मदों का समाधान

विवरण	नोट सं	जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट - GSAT17 MSS Txpd	25(b)(ii)	26,910.89	423.29	27,334.18
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट - इसरो उपग्रह-बिना बिल वाला	25(b)(ii)	-	8,702.16	8,702.16
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट -एनएसआईएल के उपग्रह बिना बिल वाला	25(b)(ii)	-	25,399.97	25,399.97
अंतरिक्ष खंड शुल्क की लागत -आईआर	25(b)(ii)	(24,219.80)	(380.96)	(24,600.76)
बिना बिल वाली लागत पर अं.वि राजस्व का हिस्सा	25(b)(ii)	-	(7,831.94)	(7,831.94)
कुल कर आय/व्यय	-	2,691.09	26,312.52	29,003.60
वर्ष के लिए लाभ	-	59,912.88	26,312.52	86,225.40
कर	32	19,434.51	6,622.33	26,056.84
कुल व्यापक आय	-	59,911.52	19,690.18	79,601.70
प्रति शेयर आय (मूल और तनु) आईएलआर में	34	1.07		1.42

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण का समाधान

विवरण		जैसा कि पहले बताया गया था	समायोजन	जैसा कि पुनः कहा गया है
कर पूर्व लाभ		80,359.67	26,312.52	1,06,672.19
चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी		26,400.30	(36,251.69)	(9,851.39)
चालू देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(22,534.78)	16,561.51	(5,973.27)
भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)		19,671.50	6,622.33	26,293.83

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
(अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई)
पंजीकृत कार्यालय: इसरो मुख्यालय कैंपस, न्यूबीईएल रोड, बेंगलूरु-560094
कार्पोरेट कार्यालय: 11 वां तल, ब्रिगेड रूबिक्स 20, वॉच फैक्टरी रोड, फेस-1, यशवंतपुर, बेंगलूरु-560 013
फोन: 9180 23 22 7777 **ईमेल**: contact@nsilindia.co.in **वेबसाइट**: www.nsilindia.co.in
सीआईएन: **U74999KA2019GOI122175**
जीएसटीआईएन: **29AAGCN4411P1Z1**